लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६—अंक १ से १०—२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १—सोमवार, २० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१—८६
दिनांक १३-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७—९०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	९०—९२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य ी दोषसिद्धि	९२—९५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	९५—९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९७—१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . .	१०१—०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२—०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८—०९
प्रत्यंपण विधेयक	१०९
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०—२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०—२४
खंड २ से ३० तथा १	११४—२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२—२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५—२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५—२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९—३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ९३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६९, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८९ . .	१३९–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५ .	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१ . . .	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति-- . .	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि .	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . .	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित . .	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१ .	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक . . .	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . .	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३—गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . २९२-३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४—४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . ४२८—२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४३१—३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४—३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९—४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९—४०

खंड १ से ११ . . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०—४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . . ४४९—६३

अंक ४—शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७—५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३—४४

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५९
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राश बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—९१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . .	५९३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०९
खंड २ से ३९ और १	७०९—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ७०२ और ७०४ से ७०६ . .	७८६–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९१
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४९० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० कों० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

क

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टु कप्पल्ली, श्री जार्ज़ थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)

चावल, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़---खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित ---जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब ,श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)

नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानावाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवो द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कड्डलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पल्लकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीरं)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बसुम्तारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जतियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)
मनाथन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगारेड्डि, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र---(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमहेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित---अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स---(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर---उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूवेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी सामान्य

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानो

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामो

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह--सभापति

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन--सभापति

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन––सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य–सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री सत्य नारयण सिंह ––सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू ० एस० बालिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण , आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

खंड ५९] दूसरी लोक सभा के चौदहवें सत्र का पहला दिन [अंक १

लोक-सभा

सोमवार, २० नवम्बर, १९६१
२९ कार्तिक, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बोनस आयोग

\+

* . **श्री प्र० गं० देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री साधन गुप्त :
श्री दामानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस आयोग ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में विचार करेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) इस आयोग के क्षेत्राधिकार में उन सरकारी क्षेत्रीय प्रस्थापनाओं को रखा जायेगा जो विभागीय तौर पर नहीं चलाये जाते और जो गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रस्थापनाओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

†**श्री प्र० गं० देव** : बोनस आयोग के गठन में इतने महीने विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : यह बिल्कुल एक नई प्रस्तावना है और सरकारी क्षेत्र का प्रश्न उठा कि क्या उसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का भी प्रतिनिधि हो। एक कारण यह था। मालिक लोग भी आपस में इस बात पर राजी नहीं हो पाये थे कि उनका एक प्रतिनिधि हो या अधिक। आयोग के अध्यक्ष के बारे में भी कुछ विवाद था।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या आयोग को औद्योगिक न्यायालय पूरी बेंच फार्मूला द्वारा निर्धारित कुछ मापदंड को अथवा म्योर मिल केस को, जिसमें श्रमिकों द्वारा बोनस अर्जित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित किया गया है, पुनरीक्षित करने के अधिकार हैं?

†**श्री नन्दा** : जी, हां।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या बोनस आयोग उन सभी कर्मचारियों के बारे में विचार करेगा जो सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं और जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है?

†**श्री नन्दा** : जो उत्तर दिया जा चुका है, उससे यह स्पष्ट है कि इसमें क्या शामिल किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि बैंकिंग समवायों के मामले में कुछ रक्षित राशि के बारे में बताना जरूरी नहीं। उपमंत्री महोदय के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करेगी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में और रक्षित बैंक के बारे में उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय नहीं माना जायेगा और उनको अन्य उद्योगों के समान समझा जायेगा।

†**श्री नन्दा** : इस मामले पर विचार किया गया था और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रश्न के बारे में जांच के लिए एक न्यायाधिकरण बना हुआ है, यह निर्णय किया गया था कि इसे आयोग के ध्यान में लाया जाये और इस समय, मैं नहीं समझता, कि कुछ और कार्य किया जा रहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार ने उस रकम का कोई अनुमान लगाया है जो विभिन्न कारखानों द्वारा बोनस के रूप में दिया जायेगा?

†**श्री नन्दा** : इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वे उस सिद्धान्त का निर्णय कर रहे है जिससे बोनस दिया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : यह बोनस कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ से सम्बन्धित होगा अथवा यह प्रोत्साहन के रूप में होगा--अधिक उत्पादन अधिक बोनस?

†**श्री नन्दा** : मैं तो आयोग नहीं हूं। आयोग ही सिद्धान्त निर्धारित करेगा।

†**श्री त्यागी** : क्या निदेश पदों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आयोग बोनस के इस सिद्धान्त के बारे में कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ के सम्बन्ध में निर्णय करे अथवा किये गये काम के सम्बन्ध में?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा**: इस मामले में लाभ का अधिक महत्व है परन्तु उत्पादन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या रिपोर्ट देने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

†**श्री नन्दा**: जी, नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या सरकार विभिन्न सरकारी क्षेत्रीय प्रस्थापनाओं में, जो इस बोनस आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उदाहरणत: प्रतिरक्षा, रेलवे आदि, काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में निर्णय करेगी?

†**श्री नन्दा**: इसका यह मतलब नहीं कि यदि बोनस आयोग किसी श्रेणी के कर्मचारियों के मामले पर विचार नहीं करता तो उनको किसी अन्य प्रकार लाभ नहीं मिलेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या आयोग का अन्तिम रूप से गठन किया जा चुका है और यदि हां, तो आयोग में श्रमिकों का प्रतिनिधि कौन है?

†**श्री नन्दा**: इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी है परन्तु अभी नामों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि अभी कुछ पक्षों से वे प्राप्त नहीं हुए हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह**: क्या आयोग में श्रमिकों का भी कोई प्रतिनिधि रखा जायेगा?

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा**: क्या टर्म्स आफ रेफेरेंस में मिनिमम बोनस देने का भी उल्लेख है जैसा कि बम्बई, अहमदाबाद और इन्दौर में एग्रीमेंट के द्वारा मिलता रहा है?

†**श्री नन्दा**: आयोग इस पहलू पर विचार कर सकता है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

+

†*२. **श्री मो० ब० ठाकुर:**
श्री प्र० गं० देव:
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री अजित सिंह सरहदी:
श्री प्रकाश वीर शास्त्री:
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्रीमती मफीदा अहमद:
श्री बसुमतारी:
श्री विद्याचरण शुक्ल:
श्री चुनी लाल:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं के उद्योगों की स्थापना के स्थान के बारे में कोई निश्चय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित होंगे; और

(ग) क्या इस निश्चय के सम्बन्ध में किसी राज्य ने कोई विरोध-पत्र भेजा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३२८७/६१।]**

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : विवरण की कंडिका २ में कुछ प्रविधिक समितियों का जिक्र किया गया है । उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और क्या उसमें राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभी कागजात सभा पटल पर रख दिये गये हैं । रिपोर्टों में समितियों के बारे में तथा राज्य सरकारों से परामर्श आदि के बारे में सभी ब्यौरे दिये गये हैं।

चीन द्वारा नेपाल को कपड़े का निर्यात

†*३. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन द्वारा नेपाल सरकार की लगभग २ करोड़ रुपये के मूल्य के कपड़े के प्रस्तावित संभरण पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल को कपड़े का निर्यात बढ़ाने और चीन सरकार द्वारा भेजे जाने वाले कपड़े के मूल्य से स्पर्धा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) यह पता लगा है कि चीन नेपाल में चीन की सहायता से बनाये जाने वाली परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिये नकद और कपड़ा समेत उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में योगदान करने को राजी हो गया है। यह समझा जाता है कि चीन से कपड़े के प्रस्तावित आयात का भारत पर मामूली असर पड़ेगा ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्योंकि हम नेपाल सरकार को विभिन्न प्रकार की सहायता दे रहे है, क्या हम, जैसाकि चीन ने किया है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे जिससे नेपाल में हमारे कपड़े के प्रति उनकी रुचि बनी रहती ?

†**श्री कानूनगो** : नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध हम दोनों के लिये हितकर हैं । वास्तव में सभी भुगतान भारतीय रुपये में किया जाता है और चाहे जो भी हो, व्यापार सम्बन्ध ऐसे हैं और भुगतान व्यवस्था ऐसी है कि उससे हम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : प्रश्न नेपाल में हमारे कपड़े के प्रति उनकी रुचि बनाये रखने के बारे में है । क्या हम सहायता के मामले में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते से जिससे हम नेपाल को कपड़े का निर्यात बनाये रखते ?

†**श्री कानूनगो** : हम ऐसी कोई शर्त नहीं रखना चाहते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** यह आयात चीन से नेपाल किस प्रकार पहुंचेगा ? यह सड़क के रास्ते होगा अथवा समुद्र के रास्ते या समुद्र के रास्ते और सड़क के रास्ते दोनो ?

†**श्री कानूनगो :** उन्हें सड़क के रास्ते आना होगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय हिन्दुस्तान से नेपाल में भारतीय वस्त्रों का कितना ऐक्सपोर्ट होता है और चीन के वस्त्र जब नेपाल में आने लगेंगे तो उस वक्त हमारे उस ऐक्सपोर्ट की अवस्था क्या होगी ?

श्री कानूनगो : मैंने जवाब में कहा है कि जो चीन से इम्पोर्ट होगा, उसका भारतीय निर्यात पर मामूली असर होगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** भारतीय वस्तुओं के नेपाल की मंडी में मूल्य की चीनी वस्तुओं के मूल्य से क्या तुलना है ?

†**श्री कानूनगो :** नेपाली मंडी में और वास्तव में किसी भी बड़ी मंडी में कोई चीनी माल नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या मंत्री महोदय को कोई ठीक जानकारी है क्योंकि नेपाली मंडी में जूते समेत कई चीनी वस्तुएं हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मैं केवल कपड़े के बारे में बात कर रहा हूं ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** चीन द्वारा नेपाल को निर्यात करने से हमारे निर्यात में २ करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी । हम इस हानि को किस प्रकार पूरा करेंगे ?

†**श्री कानूनगो :** कपड़े का हमारा कुल व्यापार २ करोड़े रुपये का है । मेरे पास उनके करार की प्रति नहीं है परन्तु हमारी जानकारी यह है कि वे उनको अधिकतम २५ लाख रुपये का माल देंगे ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** समाचार पत्रों का समाचार यह है कि चीनी २ करोड़ रुपये के मूल्य का कपड़ा भेजेंगे और मंत्री महोदय कहते हैं कि जहां तक उन्हें मालूम है, करार की शर्तों के अधीन यह केवल २५ लाख रुपये है । इन दोनों में कैसे समता स्थापित की जाये ? स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय का उत्तर अधिक ठीक है ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि २ करोड़ रुपये का माल हमारा वहां जाता है और दो करोड़ का चीन से आयेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारा कौन-सा माल वहां जाता है और चीन से कौन-सा माल आयेगा और उसमें क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री कानूनगो : टेक्सटाईल के बारे में मैंने बतलाया कि दो करोड़ का तो नहीं लेकिन उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा २५ लाख रुपये का चीनी माल आयेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

स्ट्रेप्टोमाइसिन की शीशी में मरी मक्खी

+

†*४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गोरे :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री साधन गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री महन्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री नंजप्पा :
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में एक स्थानीय फार्मेसी द्वारा बेची गई और एक मजदूर को दी गई बन्द बैच संख्या १४३८-१८ एफ० की स्ट्रेप्टोमाईसिन की एक शीशी में जो अगस्त, १९६१ में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा बनाई गई थी, एक मरी मक्खी पाई गई ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) यह सच है कि एक ग्राम स्ट्रेप्टोडिसीन की एक शीशी में जिसमें स्ट्रेप्टोमाईसीन और डाईहाईड्रो स्ट्रेप्टोमाईसीन बराबर मात्रा में मिली हुई थी और जिस पर हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का लेबल तथा मुहर लगी हुई थी, एक मरी हुई मक्खी पाई गई ।

(ख) इस मामले में महाराष्ट्र राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा जांच की गयी । हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने भी अगस्त, १९६१ में बनाये गये बैच संख्या १४३८—१८ एफ का परीक्षण किया । इसमें औषधि स्वीकृत स्तर का पाया गया ।

प्रश्नाधीन सारा बैच बम्बई शहर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन विभिन्न पक्षों में वितरित किया जा चुका था । रिपोर्ट की तारीख पर वितरित की गयी ११,१०० शीशियों में से केवल १००० शीशियां बिना इस्तेमाल की बची हुई थीं । इन शीशियों में

†मूल अंग्रेजी म

से महाराष्ट्र राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा निकाले गये नमूनों के उनके विश्लेषकों द्वारा परीक्षण किये जाने से पता लगा कि औषधि का स्तर ठीक है । तथापि बाकी शीशियों को एहतियात के तौर पर बेचा नहीं गया ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जिन विश्लेषकों ने इन नमूनों का परीक्षण किया, उनकी अर्हताएं क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कई विश्लेषकों द्वारा कई परीक्षण किये गये । इन परीक्षणों से सम्बद्ध अधिकांश विश्लेषक या एम० एस०सी० हैं या बी० एस सी० ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है, 'इस मामले में महाराष्ट्र राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा जांच की गयी' उस जांच से क्या नतीजा निकला और उसमें किस का दोष था और उसको क्या दंड दिया गया । इसका कोई विवरण नहीं दिया गया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जांच का यह परिणाम आया कि उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही वायल में यह मरी हुई मक्खी निकली है और बाकी जितनी वायल्स को ऐग्जामिन किया गया उनमें कोई दोष नहीं था । ११,००० में से १०,००० इस्तेमाल हो चुकी थीं बाकी जो १,००० रहती थीं उनको फ्रीज कर दिया गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह जांच केवल उस ही शीशी विशेष के बारे में की गयी जिसमें मक्खी थी या उन्होंने बम्बई में सभी शीशियों को वापस मंगाया ? क्या शत प्रतिशत परीक्षण किया गया, यदि नहीं, तो परीक्षण की प्रतिशतता क्या थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ने अभी बताया कि ११,००० शीशियों में से १०,००० इस्तेमाल हो चुकी थीं और औषधि बिक्रेताओं से बाकी १,००० शीशियों को इस्तेमाल न करने के लिये कहा गया और इस बात के बावजूद भी कि केवल एक शीशी में मक्खी पायी गयी, उनको नष्ट कर दिया गया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय को यह बात बतायी गयी है कि सरकारी कारखाने में स्ट्रेप्टोमाईसीन और पेनिसिलीन के उत्पादन के विरुद्ध किसी गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा व्यापक प्रचार किया जा रहा है ? इसको समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसा कोई प्रचार नहीं है । दूसरी ओर हम केवल हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का विस्तार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि, जैसा सदन को ज्ञात है, हम स्ट्रेप्टोमाईसीन और पेनिसिलीन समेत औषधियों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में चार और औषधि परियोजनायें स्थापित कर रहे हैं ।

†**डा० सुशीला नायर :** यह प्रश्न शीशियों की जांच के बारे में नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि शीशियों में औषधि भरने के स्थान पर मक्खी कैसे पहुंची । यह एक गंभीर विषय है—इंजेक्शन की दवाई का दूषण । स्थान, तरीके और शीशियों में मक्खी पहुंचने की संभावनाओं की जांच के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह:** भारत सरकार में अन्य औषधि उपक्रमों की तरह इस उपक्रम में किस्म नियंत्रण का कार्य बहुत ऊंचे दर्जे का है और इसलिये मैं एक मामूली घटना पर, जो किसी भी कारण हो सकती है, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता । कोई ऐसा कहना तो नहीं चाहता, परन्तु हो सकता है कि यह वहां डाल दी गई हो या फिर यह एक आकस्मिक घटना हो सकती है । कुछ भी हो, मक्खी किसी प्रकार शीशी में पहुंच गई।

जैसा मैंने बताया, ११,००० शीशियों में से १०,९९९ में कोई खराबी नहीं पायी गयी । १०,००० इस्तेमाल की जा चुकी थीं और शेष रोक ली गयीं ।

†**डा० सुशीला नायर :** मंत्री महोदय का कहना है कि मक्खी किसी प्रकार शीशी में पहुंच गयी । इंजेक्शन के लिये शीशी में औषधि भरने का स्थान ऐसा बनाया जाता है कि उसमें सामान्यतः कोई मक्खी अथवा मच्छर न जा सके । मक्खी वहां चली जाती हैं ? यदि एक बार यह उसमें घुस गई तो दूषण अवश्यमभावी है । क्या इस बात को ध्यान में रख कर कोई जांच की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या तर्क कर रही हैं।

†**डा० सुशीला नायर :** उनका कहना है कि किसी प्रकार मक्खी को चोट पहुंची और वह उसमें चली गई । अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मक्खी आदि उस स्थान पर जा सकती हैं जहां शीशियों में दवाई भरी जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्या का यह सुझाव है कि किसी ने मक्खी शीशी में डाल दी ?

†**श्रीमती रेणुका राय :** मैं महोदय से कम से कम यह बताने का आग्रह करती हूं कि केवल एक ही मक्खी का पता लगने पर, जो हानिकारक है, क्या कोई और उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** क्योंकि हम ऊंचे दर्जे की किस्म और नमूने को आवश्यक समझते हैं, हम केवल कारखाना स्तर अथवा औषधि नियंत्रण स्तर पर ही नियंत्रण नहीं बल्कि एक भारत की पुर्ननियंत्रण संस्था स्थापित करने की सोच रहे हैं, जो कि शीघ्र ही स्थापित हो जायेगी, ताकि हम जो ६० से १०० करोड़ रुपये के मूल्य की औषधियां सरकारी क्षेत्र में बना रहे हैं, हम उनकी पृथक रूप से दुबारा जांच कर सकें।

†**श्री नाथ पाई :** मंत्री महोदय ने कहा कि संभवतः मक्खी वहां छोड़ दी गयी होगी । यह कहने के बाद कि यह आकस्मिक है, आगे उन्होंने बताया कि यह छोड़ दी गयी होगी । उन्ह यह शक कैसे हुआ कि ऐसी सम्भावना हो सकती है और यदि ऐसा है, तो इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि ऐसी घटना पुनः न हो ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह केवल अनुमान था । मैं ने यह बात एतिहात के तौर पर कही । एक अटकल अथवा अनुमान ऐसा ही हो सकता है जैसा कि दूसरा । ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है कि किसी ने वह वहां छोड़ दी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान द्वारा झूठा प्रचार

*६. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचना मिली है कि पाकिस्तानी समाचार-पत्रों द्वारा पंजाब (भारत) के हिन्दुओं तथा अकाली दल के सम्बन्ध में गलत तथा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) जी, हां । परन्तु यह प्रचार पंजाब के हिन्दुओं के विरुद्ध नहीं किया गया था । यह मुख्यतः "हिन्दू कांग्रेस सरकार" के विरुद्ध किया गया था कि जो यह कहा गया था कि भारत के सिखों और मुसलमानों समेत सभी अल्पसंख्यकों को कुचलने की नीति पर चल रही है ।

(ख) कराची स्थित हमारे उच्चायुक्त ने १९ अगस्त, १९६१ को इस मामले में पाकिस्तान के विदेश सचिव को एक स्मरण-पत्र दिया । फिर उन्होंने उनके साथ इस मामले पर १० सितम्बर, १९६१ को बातचीत की । कराची स्थित हमारे उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में प्रकाशित कुछ सम्पादकीय टिप्पणों और अन्य आपत्तिजनक लेखों की ओर भी पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और उन्हें बताया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सूचना परामर्शदाता समिति के निर्णय का उल्लंघन किया है इन अभ्यावेदनों पर पाकिस्तान सरकार का उत्तर अभी प्रतिक्षित है ।

श्री खुशवक्त राय : हाई कमिश्नर द्वारा जो प्रयत्न किये गये क्या उनका कोई फल निकला ?

श्री सादत अली खां : मैंने अर्ज किया कि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि पाकिस्तान सरकार की ओर से उनके समाचारपत्रों में पंजाब के सिक्खों और हिन्दुओं के बीच में तनाव पैदा करने के लिये जो समाचार प्रकाशित होते हैं उसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार की पुस्तिकायें भी प्रकाशित कर के पंजाब में भेजी गई हैं जोकि इन दोनों के संबंधों के अन्दर खटास पैदा करने वाली हैं और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मेरी समझ नहीं आया कि माननीय सदस्य का सवाल क्या है ?

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी समाचार पत्रों में पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के बीच तनाव पैदा करने के लिये जो समय-समय पर समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, क्या उनके अतिरिक्त कोई इस तरह की बुकलेट भी छाप कर पंजाब में भेजी गई, जिससे इस बात को और बढ़ावा मिले। यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इसका जवाब हां या न में नहीं दे सकता कि ऐसा कोई पैम्फलेट छपा या नहीं । इस वक्त मेरे इल्म में यह बात नहीं है । शायद छपा हो, लेकिन मैं नहीं जानता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राजेन्द्र सिंह : माननीय प्रधान मंत्री तो बाहर थे ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुये कि पाकिस्तानी समाचारपत्रों ने गलत प्रचार किया और पंजाब के व्यक्तियों को पंजाबी सूबा के मामले पर हिंसक क्रांति करने के लिये भड़काया, क्या में जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह हमारा घरेलू मामला है और इसमें हस्तक्षेप करने का उनको कोई अधिकार नहीं है ?

†श्री सादत अली खां: जी, हां । उनको बताया गया है कि यह समझौते का उल्लंघन करना है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारणों का सर्वेक्षण

+

†*७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० एल० मेहता ने जुलाई, १९६० में हुई केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारणों के सर्वेक्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट इस बीच पूरी करके पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां का क्या ब्यौरा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रिपोर्ट देने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** समय-सीमा का कोई प्रश्न नहीं है। यह रिपोर्ट विभागीय कार्यवाही के लिये है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री मेहता विभिन्न एसोसियेशनों और संघों के प्रतिनिधियों से मिले थे ; और यदि हां, तो उनकी कितनी एसोसियेशनों और संघों ने ज्ञापन दिये ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** वह राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले थे । मैं प्रतिनिधियों की ठीक संख्या नहीं बता सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह समिति हड़ताल के कारणों का पता लगाने के लिये बनाई गई थी । मै यह जानना चाहता हूं कि क्या, रिपोर्ट दिये जाने के बाद, इस मामले पर सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई वार्ता होगी ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** श्री मेहता को उपलब्ध जानकारी विश्लेषण करने और कुछ अतिरिक्त जानकारी इकट्ठी करने के लिये नियुक्त किया गया था। यह रिपोर्ट केवल विभागीय इस्तेमाल के लिये है और अन्य किसी के लिये नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, हम यह कह सकते हैं कि हमने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। अतः किसी वार्ता का या रिपोर्ट का इस प्रक्रम पर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि आम हड़ताल करने का जो प्रयत्न किया गया था, उसमें कुछ मजदूर संघों का प्रधान हाथ रहा था और अब उन्हीं मजदूर संघों को फिर से मान्यता दी जा रही है ? क्या यह बात भी सही है कि इस मान्यता के मिलने के बाद इन लोगों ने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री तंगामणि ।

डा० गोविन्द दास : श्रीमन्, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

डा० गोविन्द दास : मैं यह पूछ रहा था कि क्या आम हड़ताल का एक कारण यह नहीं था कि कुछ मजदूर संघों ने, और विशेषकर साम्यवादी मजदूर संघों ने, वह हड़ताल कराने की कोशिश की थी और क्या यह बात सही नहीं है कि उनको फिर स मान्यता मिलने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी हरकतें फिर शुरू कर दी हैं ?

श्री नन्दा : सब कुछ सोच-विचार कर यह मान्यता दी गई है।

†**श्री तंगामणि :** भूतकाल में श्री आर० एल० मेहता ने भी इस प्रकार की जांचें की थीं जैसे कि पत्तन श्रमिकों के मामले में। वह प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रतिवेदन भी प्रकाशित किया जायेगा और हमें दिया जायेगा ?

†**श्री नन्दा :** नहीं, श्रीमान्।

†**श्री रंगा :** क्या यह प्रतिवेदन कम से कम त्रिपक्षीय समिति के समक्ष रखा जायेगा ताकि उन्हें संबंधित पक्षों को यह सुझाव देने का अवसर मिल सके कि इस प्रकार की हड़तालों की पुनरावृत्ति को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से रोका जा सकता है ?

†**श्री नन्दा :** हमें जो सामग्री प्राप्त होगी यदि उससे उत्पन्न होने वाले किन्हीं प्रश्नों के संबंध में ऐसी कार्यवाही आवश्यक होगी तो हम उसे निश्चय ही उसके समक्ष पेश करेंगे।

†**श्री नाथ पाई :** श्रम मंत्री ने कहा कि प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया जायेगा। चूंकि सरकार का हड़ताल की जिम्मेदारी के संबंध में एक निर्दिष्ट दृष्टिकोण है, यह किस प्रकार उचित और न्याय्य है कि यह प्रतिवेदन, जो कारण पता लगाने के संबंध में है, संसद् और जनता से रोक कर रखा जाये ?

†**श्री नन्दा :** जैसाकि मैंने संकेत किया था, इसका उद्देश्य उस अवधि में हुई समस्त बातों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना एकत्रित करना था और उसे हम सार्वजनिक संलेख नहीं बनाना चाहते थे। परन्तु पहले प्रतिवेदन प्राप्त होने दीजिये। फिर हम उसके बारे में आगे कुछ विचार करेंगे।

†**श्री अशोक मेहता :** भूतकाल में इस प्रकार की अनेक जांचें हो चुकी हैं और मुझे ऐसी कुछ जांचों की जानकारी है जिनके संबंध में प्रतिवेदन सामान्य जनता को उपलब्ध किये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि भूतकाल में क्या प्रक्रिया थी और क्या अब हम उससे विमुख हो रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा :** पहले मुझे प्रतिवेदन देख लेने दीजिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** श्रमिकों के प्रतिनिधियों को श्री मेहता के समक्ष साक्ष्य देने के लिये बुलाया गया था। क्या उन्हें यह बताया गया था कि वह प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया जायेगा ?

†**श्री नन्दा :** जी, हां ।

†**श्री नाथ पाई :** मेरा निवेदन है कि मेरा भी हड़ताल से दूर का संबंध रहा था। श्री मेहता ने हमें जो निमंत्रण दिया था उसमें यह संकेत किया गया था कि यह एक सार्वजनिक जांच है और उसकी उपपत्तियां देश, संसद् और समस्त जनता को उपलब्ध कराई जायेंगी ।

†**श्री नन्दा :** ऐसा नहीं था। जब यह विचार पेश किया गया था तो यह सूचना दी गई थी कि यह एक सार्वजनिक संलेख नहीं होगा। हमारे पास यह सूचना मौजूद है। जैसाकि मैं कह चुका हूं, इस मामले में अग्रेतर विचार किया जा सकता है ।

पेकिंग में भारतीय राजदूतावास

†*८. +
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री बलराज मधोक :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने पेकिंग में भारतीय राजदूतावास पर और शंघाई, ल्हासा और तिब्बत के अनेक स्थानों में स्थित विभिन्न व्यापार मिशनों पर असाधारण प्रतिबन्ध लगा दिये हैं जिनके फलस्वरूप उनके लिये अपना कार्य करना असंभव हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). यह सच है कि पेकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास तथा चीन और विशेषकर चीन के तिब्बत प्रदेश में स्थित अन्य भारतीय मिशनों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिनसे उनके कार्यपालन में कठिनाई होती है। भारत सरकार ने इस असाधारण स्थिति की ओर चीन सरकार का ध्यान अनेक अभ्यावेदनों में आकर्षित किया है परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला और हमारे चीन स्थित मिशनों के सदस्य अभी भी गम्भीर असमर्थताओं से ग्रसित हैं। यद्यपि भारत स्थित विदेशी मिशनों के सदस्यों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाना सरकार की सामान्य नीति नहीं है। इस संबंध में विदेशियों पर, नाजुक सीमांत क्षेत्र में स्थित कलिम्पोंग में नियुक्त राजनयिक स्तर के व्यक्तियों को सम्मिलित करके, कुछ प्रतिबन्ध आरोपित करना आवश्यक समझा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वी० चं० शर्मा :** चीन के इन स्थानों में काम करने वाले हमारे राजदूतावास के तथा अन्य कर्मचारियों पर लगाये गये ये असाधारण प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उनके यहां-वहां जाने पर प्रतिबन्ध ह और उन्हें स्थानीय लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर नहीं दिया जाता है । विशेषकर पैकिंग क्षेत्र में, राजदूतावास का कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के २० किलोमीटर से आगे नहीं जा सकता है । तिब्बत में ल्हासा में एक मिशन में गार्ड नियुक्त हैं जो दिखावे के लिये तो हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये हैं परन्तु वस्तुतः वे हमारे अधिकारियों को स्थानीय जनता से सम्पर्क स्थापित करने से भी रोकते हैं ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के संबंध में इस प्रकार की बदले की कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मूल उत्तर में यह दिया हुआ है कि सरकार की नीति इस प्रकार की प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने की नहीं है । इस प्रकार की प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही केवल कलिम्पोंग में की जाती है क्योंकि वह एक नाजुक क्षेत्र में स्थित है ।

†**श्री बलराज मधोक :** चूंकि हमारे राजदूतावास के कर्मचारियों पर आरोपित प्रतिबन्धों से उनको अपना सामान्य कार्य करना कठिन हो गया है, क्या सरकार वहां के राजदूतावास को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही का सुझाव है । श्री हेम बरुआ ।

†**श्री वाजपेयी :** प्रश्न यह है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि राजदूतावास को बन्द किया जाएगा अथवा नहीं ? यह कार्यवाही का सुझाव है ।

†**श्री वाजपेयी :** हम सरकार की नीति जानना चाहते हैं । (**अन्तर्बाधायें**) ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । माननीय सदस्य अपने स्थान ग्रहण करें । नीति सम्बन्धी प्रश्न प्रश्नों के घण्टे में नहीं पूछे जा सकते हैं । यदि माननीय सदस्य सरकार की वर्तमान नीति से संतुष्ट नहीं हैं और सुझाव देना चाहते हैं, तो वे अन्य कदम उठा सकते हैं जो वे भली प्रकार जानते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** उपमंत्री ने कहा कि चीन सरकार से किए गए अभ्यावेदन का कोई परिणाम नहीं हुआ और वे दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के सम्बन्ध में इस प्रकार की बदले की कार्यवाही करने नहीं जा रहे हैं । अतः वे अन्य क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मेरा उत्तर ...

†**अध्यक्ष महोदय :** उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, मैं श्री **हेम बरूआ** का नाम पुकार चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये प्रतिबन्ध केवल हमारे राजदूतावास पर ही नहीं हैं वरन् अन्य देशों के राजदूतावासों पर भी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब मैं किसी माननीय सदस्य का नाम पुकारता हूं और कोई अन्य माननीय सदस्य बीच में प्रश्न पूछ बैठते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस सदस्य का नाम मैंने पहले पुकारा है उसी के प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। मंत्री को अन्य सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या चीन ने हमारे राजनयिकों के उस देश में उचित कार्यकरण पर लगाए गए इन प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में कोई कारण बताए हैं ताकि हम उन कारणों की जांच कर सकें और, यदि आवश्यक हो तो, अपने देश में भी उसी प्रकार की कार्यवाही कर सकें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ये प्रतिबन्ध समस्त विदेशी राजनयिकों पर लगाए गए हैं, वे केवल भारतीय राजनयिकों पर नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे ऊपर कोई विशेष प्रतिबन्ध लागू होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, यह उनकी सामान्य नीति रही है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरा निवेदन है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना प्रश्न फिर से पूछिए।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उपमंत्री ने कहा कि हमने चीन सरकार को जो अभ्यावेदन भेजे उनका कोई परिणाम नहीं हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि बदले की कार्यवाही नहीं की जाने वाली है तो क्या सरकार इसके सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? उनका प्रश्न यह है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले पर समय-समय पर विचार करना होता है। हमने चीनियों के सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण स्थान—अर्थात् कलिम्पोंग—में कार्यवाही की है। अन्य स्थानों के सम्बन्ध में यदि हम वांछनीय समझेंगे तो कार्यवाही की जाएगी। अभी हमारा ऐसी कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री रंगा** : ये प्रतिबन्ध कब लगाए गए थे ? उन्हें कितना समय हो गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : चीनियों द्वारा अथवा हमारे द्वारा ? वे कुछ समय से चले आ रहे हैं।

†**श्री रंगा** : क्या निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ? एक वर्ष हुआ है अथवा छः महीने अथवा अधिक ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : चीनियों द्वारा ? वे मेरे विचार से बहुत समय—अनेक वर्षों —से लगे हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा :** श्रीमान्, मैं एक ग्रौचित्य प्रश्न पेश करना चाहता हूं। इस प्रकार का उत्तर कैसे हो सकता है ? माननीय मंत्री यह बताने में ग्रसमर्थ हैं कि चीन ने यह कार्य-वाही कितने समय पहले की थी ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा था कि दो वर्ष पूर्व।

†**श्री हेम बरुग्रा :** उन्होंने कहा था कि "मेरे विचार से वे कुछ वर्षों ग्रथवा ग्रधिक समय से चले ग्रा रहे हैं।"

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं सही तारीख बताने के लिए पूर्व सूचना चाहती हूं। (**ग्रन्तर्बाधायें**)।

†**श्री रंगा :** उसको पहले क्यों नहीं प्रकाशित किया गया ? (**ग्रन्तर्बाधायें**)

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। प्रत्येक माननीय सदस्य को मौका मिलेगा। श्री वाजपेयी।

†**श्री वाजपेयी :** माननीया मंत्री ने कहा कि पेकिंग में समस्त विदेशी मिशनों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। क्या वे प्रतिबन्ध बिल्कुल एक से हैं ग्रौर क्या ग्रन्य विदेशी मिशनों के लिए भी पेकिंग में कार्य करना ग्रसंभव हो गया है ?

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** क्या हमारे प्रति कोई भेदभाव किया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुख्य प्रतिबन्ध विचरण करने की स्वतंत्रता पर है; वह एक क्षेत्र तक सीमित है। जहां तक हमारी जानकारी है यह प्रतिबन्ध वहां के प्रत्येक मिशन पर लागू होता है। मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि क्या भारतीय मिशन पर कोई विशेष प्रतिबन्ध है; मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री रंगा :** यदि ये प्रतिबन्ध सब पर सामान्यत: लागू होते हैं तो उन्हें "ग्रसाधारण" प्रतिबन्ध नहीं कहा जाना चाहिए।

दण्डकारण्य परियोजना

†*६. { **†श्री ग्रजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महंती :
श्री विद्याचरण शुक्ल : }

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास परियोजना में, पश्चिमी बंगाल के शिविरों से शरणार्थियों की परियोजना-स्थान पर जाने की ग्रनिच्छा के कारण, लगभग संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; ग्रौर

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ग) शरणार्थियों को परियोजना स्थान पर जाने के लिए तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल से कैम्प परिवारों को दण्डकारण्य भेजने में बहुत असफलता का सामना करना पड़ा है । इस मामले के सम्बन्ध में संघीय पुनर्वास मंत्री ने सितम्बर, १९६१ में पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री के साथ चर्चा की थी । राज्य के पुनर्वास मंत्री ने यह मत व्यक्त किया था कि कैम्प परिवारों के दण्डकारण्य जाने की मन्द गति के कारण अनुचित भय नहीं उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि पूजा के अवकाश के उपरान्त स्थिति सुधरने की संभावना थी और सामान्य निर्वाचन की समाप्ति पर वह निश्चित ही अधिक अच्छी हो जायेगी । इसलिए अगले कुछ महीनों तक स्थिति का अवलोकन करने का निर्णय किया गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : चूंकि यह स्थिति पिछले दो वर्षों से चली आ रही है, क्या इस क्षेत्र को बसाने के लिए किन्हीं वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : जब स्थिति उत्पन्न होगी तब इसके सम्बन्ध में विचार किया जाएगा परन्तु इस समय नहीं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या बहुत से शरणार्थियों ने अपनी नब्बे दिन की समयावधि के पश्चात् दण्यकारण्य चले जाने की इच्छा व्यक्त की है और यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ ढिलाई करने को तैयार है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : राज्य सरकार की प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच यह तय हुआ है कि जिन कैम्प वालों को १ जनवरी, १९६१ को अथवा उसके पश्चात् नोटिस दिए गए थे और जिनके नोटिस की अवधि बहुत पहले खत्म हो चुकी है, उन्हें दण्डकारण्य जाने की सुविधा देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए यदि वे अभी भी अपना विचार बदल लें ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : पश्चिम बंगाल के कैम्पों में न रहने वाले शरणार्थियों को, जिनको या तो अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है या जिन्हें केवल आंशिक सहायता प्राप्त हुई है, बड़ी संख्या में दण्यकारण्य जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ?

†**श्री पु० शे० नास्कर** : वर्तमान नीति कैम्पों में न रहने वाले दस प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को अनुमति देने की है । कैम्प में रहने वालों का कोटा भी पूरा नहीं हुआ है । अधिक संख्या में भेजने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : दण्डकारण्य क्षेत्र में शरणार्थियों के लिए तैयार किए गए कितने मकान और मैदान खाली पड़े हैं और कितने समय से ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : दी गई सूचना यह थी कि कोई भी मकान खाली नहीं पड़ा है । श्रीमन्, जैसा कि आप जानते हैं, आपके निदेश के अन्तर्गत हम, माननीय सभा को प्रत्येक सत्र में अनुकालिक प्रतिवेदन पेश करते हैं और पिछले सत्र में भी हमने एक प्रतिवेदन पेश किया था और उसे सदस्यों में परिचालित किया था। इस सत्र में भी हम शीघ्र ही वैसा करने जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या दण्डकारण्य विकास परियोजना में लगभग संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है? इस महीने की १६ तारीख को मंत्रालय ने कलकत्ता से एक प्रेस सूचना जारी की थी जिसमें इसका प्रतिवाद किया गया था। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस तथाकथित संकट के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हमने वह प्रेस सूचना देखी है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया और मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस समाचार के प्रतिवाद की ओर आकर्षित करूंगा जो हमारे मंत्रालय ने अगले दिन निकाला था।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : उसमें केवल इतना कहा गया है कि कोई भी संकट नहीं है।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : ऐसा कोई संकट नहीं है।

†**श्री सूपकार** : चूंकि इस परियोजना के विकास के लिए बहुत से जंगल काटने पड़ेंगे, क्या सरकार कार्य की गति को धीमा करने की वांछनीयता पर विचार करेगी यदि शरणार्थियों के वहां जाने की गति सर्वथा संतोषजनक नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही का सुझाव है।

†**श्री जयपाल सिंह** : हमें अभी बताया गया कि सरकार दो महीने और प्रतीक्षा करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह निश्चित लक्ष्य होगा और यदि इस अवधि के पश्चात् भी स्थिति असंतोषजनक रही, अर्थात् यदि पश्चिम बंगाल के शरणार्थी फिर भी दण्डकारण्य जाने को तैयार न हुए, तो सरकार उसके संबंध में एक निश्चित सार्वजनिक घोषणा करेगी जो श्री सरहदी ने पूछा है कि किन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा? क्या ये लोग वह होंगे जो वहां से विस्थापित किए गए हैं अथवा कोई अन्य? इसके संबंध में हमें निश्चित उत्तर मिलना चाहिये। जब कभी भी यह प्रश्न उठाया जाता है तो हमें अनिश्चित उत्तर दिये जाते हैं कि कुछ प्रतिशत आदिवासी, जो विस्थापित हुए हैं, भी पुनर्वासित किया जा रहे हैं। स्थिति उससे भिन्न मालूम होती है जो कुछ सरकार हमें बताती है।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : दण्डकारण्य विकास योजना एक विकास योजना है और इस समय पूर्व बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों और भूमिहीन स्थानीय आदिवासियों को अग्रिमतायें दी जाती हैं। जब समय आयेगा तब सरकार अन्य भूमिहीन श्रमिकों को भी दण्डकारण्य में बसाने के संबंध में विचार करेगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या वह अवधि दो महीने है जिसके बाद सरकार पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के निश्चय करने के लिये प्रतीक्षा नहीं करेगी? मेरा प्रश्न यह है जिसका उत्तर मैं चाहता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दो महीने की अवधि निश्चित है अथवा उसे बढ़ाया जाएगा?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : माननीय सदस्य दो महीने कहते हैं। मैंने यह कहा था कि इस समय विस्थापित व्यक्तियों के दण्डकारण्य जाने की गति बहुत मन्द है परन्तु राज्य सरकार ने हमें बताया है कि पूजा के अवकाश के बाद स्थिति में सुधार होगा और सामान्य

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन के पश्चात् निश्चित ही। श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ राजनैतिक दल ऐसे हैं जो यह आशा दिला रहे हैं कि सामान्य निर्वाचन के पश्चात् राज्य सरकार बदल जायेगी और स्थिति बदल जायेगी और वे पश्चिम बंगाल में बसा दिये जायेंगे। इस आशा में विस्थापित व्यक्ति अभी अपने स्थान से नहीं हिल रहे हैं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि दण्डकारण्य ले जाये गये परिवारों में से लगभग एक हजार परिवार अभी भी कार्य-स्थान कैम्पों[1] में हैं और दण्डकारण्य प्राधिकारी उनको बसाने में सफल नहीं हुए हैं।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : कुछ परिवार–लगभग कुछ सौ, एक हजार नहीं—मानसून के कारण गांव तक नहीं ले जाए जा सके। मैं सभा की जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि उन्हें अब पुनर्वास-स्थान में ले जाया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री अ० चं० मुह** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : वे अभी उन्हीं परिवारों को नहीं बसा सके हैं जो वहां हैं इसलिए यह जल्दबाज़ी क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूँ। माननीय सदस्य अपना एकाधिकार नहीं जमा सकते हैं।

फिल्म सेंसर बोर्ड

*१०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर के नियमों का ठीक तरह से पालन करने के बारे में कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने में कहां तक सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : (क) और (ख). इस विषय पर निर्माताओं और बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किया गया है और सेंसर के नियमों का ठीक तरह से पालन करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था हो रही है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिल्म निर्माता लोग फिल्म सेन्सर के वर्तमान नियमों में किसी प्रकार के संशोधन कराना चाहते हैं, और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Work-site Camps.

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : यह तो तफसील की बातें हैं। वे लोग समझते हैं कि ज्यादा काम होने के मार्ग में दिक्कतें हैं, और इसीलिये इस सम्बन्ध में बातें हो रही हैं कि नियमों में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाय कि यह काम अच्छे ंग से और आसानी से हो सके। बातचीत काफी हो चुकी है, बल्कि कुछ मामलों में तसफिया हो चुका है, और इस महीने के अन्त तक या दिसम्बर के पहले सप्ताह तक सब बातों के बारे में सन्तोषजनक तसफिया हो जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जहां फिल्म निर्माता लोग वर्तमान नियमों में ढील करने पर ज़ोर दे रहे हैं वहां अधिकांश लोग उनको और कड़ा कराना चाहते हैं, और क्या वार्ता के सिलसिले में इस बात का भी ध्यान रक्खा जायेगा ?

डा० केसकर : हां, हम सब बातों को ध्यान में रक्खेंगे।

डा० गोविन्द दास : यद्यपि यह बात बहुत पुरानी हो गई है और बार-बार इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है, क्या यह बात सरकार जानती है कि इस समय जिस प्रकार के चित्रों का निर्माण हो रहा है, उनसे हमारे देश की नई पीढ़ी, विशेषकर युवकों का नैतिक पतन हो रहा है ? क्या सेन्सर के मामले में इस प्रकार के कुछ नियम बनाये जा रहे हैं कि जिनसे इस प्रकार के फिल्मों का निर्माण ही न हो सके या इस प्रकार के जो फिल्म बनते हैं उनमें से इस प्रकार के हिस्सों को काट दिया जाय ?

डा० केसकर : इस मामले में बजट डिबेट्स में काफी बहस हो चुकी है। ऐसे सिद्धान्त के मामले में सवालों के जवाब में कुछ ज्यादा कहना मेरे लिये कठिन है। लेकिन निर्माताओं से जो मतभेद रहा है वह मूल सिद्धान्तों के बारे में नहीं है, बल्कि हम उन सिद्धान्तों का इंटरप्रेटेशन किस प्रकार करें, इस बारे में रहा है, और कुछ दूसरी प्रोसीजरल बातों के बारे में शिकायत है कि उनसे काम में अड़चन पड़ती है और उसमें देर लगती है। इन सब के बारे में कोई सन्तोषजनक तरीका निकालने का हम विचार कर रहे हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है कि सरकार को महिलाओं के अनेक संगठनों से बहुत से अभ्यावेदन और हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं जिनमें अधिक प्रभावी एवं कठोर सेंसर की मांग की गई है और क्या यह सच है कि उन्होंने किसी प्रकार के पूर्व सेंसर की मांग भी की है ताकि खराब फिल्में न बनाई जा सकें और प्रोड्यूसरों द्वारा फिल्मों में रुपया लगाए जाने के पूर्व कुछ पथ प्रदर्शन किया जाए ? यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**डा० केसकर** : मुझे यह ज्ञात है कि जनता का एक बड़ा भाग फिल्मों के पूर्व सेंसर के पक्ष में है और सरकार एक वैज्ञानिक तथा संतुलित नीति निर्धारण करने में सब बातों का विचार करती है।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ मशहूर फिल्मी कलाकार जो उत्पादक बन गये हैं फिल्मों के, वे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनके लिये प्रशंसापत्र प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद सेन्सर बोर्ड में ले जाते हैं। साथ ही साथ

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या यह भी वे जानते हैं कि फिल्म सेन्सर बोर्ड के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत है कि छोटे छोटे फिल्म उत्पादकों के फिल्मों को सेन्सर करने में देरी की जाती है और बड़ों-बड़ों को प्रश्रय दिया जाता है ?

.डा० केसकर : मेरे पास शिकायत नहीं आई है, लेकिन चूंकि आनरेबल मेम्बर ने कहा है, इसलिये मैं इसकी तहकीकात करूंगा।

चीन का भारत विरोधी प्रचार

+

†*११. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के समाचार-पत्र देश में तथा बाहर उनके द्वारा दिये गये विभिन्न वक्तव्यों, विशेषकर बेलग्रेड में तटस्थ राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के दौरान दिये गये वक्तव्यों के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है और क्या सरकार ने उसके सम्बन्ध में चीन सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस झूठे प्रचार का प्रतिवाद करने के लिए भी कोई कदम उठाये थे; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम हुआ ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रचार का मुख्य लक्ष्य यह प्रदर्शन करना है कि भारत ने कुछ पश्चिमी शक्तियों के कहने पर उपनिवेशवाद के मामले पर नर्म रवैया रखा और परिणामस्वरूप अपने आपको अफरीकी-एशियाई विचारधारा की मुख्य लहर से अलग रखा है। चीनी सरकार का ध्यान उस आन्दोलन की ओर दिलाया गया है जो भारत सरकार की नीतियों के प्रति सामान्य विरोधी भावना पैदा करने के शरारतपूर्ण दृष्टिकोण से बेलग्रेड में प्रधान मंत्री के द्वारा दिये गये वक्तव्य को बिगाड़ कर व्यक्त करने के लिये चीनी समाचार पत्र में किया गया है। चीनी प्रचार से उत्पन्न धारणा को ठीक करने के लिये, प्रधान मंत्री के वक्तव्य के सही रूप का वहृत प्रचार किया गया है और साथ ही चीनियों द्वारा वक्तव्य के बिगाड़े गये स्वरूप की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ग) और (घ). उपनिवेशवाद के मामले पर भारत सरकार के विचार सर्वविदित हैं। चीनियों के कितने भी द्वेषपूर्ण प्रचार से लोग उपनिवेशवाद के बारे में सरकार की नीति में परिवर्तन वाली कहानियों में विश्वास नहीं करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : जैसा कि उपमंत्री ने अभी बताया है, क्या कुछ बिगाड़े गये वक्तव्यों और गलत बयानों के बारे में खंडन करने के सरकार के प्रयत्नों का चीनी समाचारपत्रों द्वारा किये गये प्रचार के बारे में कुछ सक्रिय परिणाम हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : चीनी समाचारपत्रों की प्रतिक्रिया को जानना बड़ा कठिन है क्योंकि जसा कि सब जानते हैं, वहां समाचारपत्रों की कोई स्वतंत्रता नहीं है, और सब चीजों पर राज्य का नियंत्रण होता है । इसलिये हम ठीक से नहीं जानते कि इस मामले में चीनी लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ?

† **श्री श्रीनारायण दास** : इस संबंध में पीकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास ने क्या कार्य-वाहियां की हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया, हम सही बयान देते हैं और हमारे प्रकाशन--इण्डियन न्यूज़ और दूसरे इश्तहार होते हैं, जिनमें हम इन बातों के बारे में सचाई का प्रकाशन करते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि चीनी समाचारपत्रों ने मा० प्रधान मंत्री के अभिभाषण में से इस एक विशिष्ट वाक्य को उठा लिया है "परम्परागत उपनिवेशवाद का युग समाप्त हो गया है ।" और यदि यह सच है तो प्रधान मंत्री ने किन मूलभूत कारणों से यह वक्तव्य दिया था, जिसका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि वे वर्तमान इतिहास को देखें जो मेरी इस बात का शत प्रतिशत सत्यापन करती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्य समझ गये होंगे । अब मैं प्रश्न संख्या २१ को लूंगा जिसे इस प्रश्न के साथ लिया जाएगा । कुछ सदस्यों की ऐसी इच्छा थी ।

बेलग्रेड सम्मेलन

\+

†*२१. **श्री साधन गुप्त** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री ;
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटस्थ राष्ट्रों के बेलग्रेड सम्मेलन में किन मामलों पर विचार किया गया और क्या निर्णय किये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत का क्या रुख रहा;

(ग) क्या यह रुख अन्य अफ्रीकी-एशियाई राष्ट्रों द्वारा अपनाये गये रुख से भिन्न था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा रुख अपनाने का क्या कारण है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) बेलग्रेड सम्मेलन में जिन विषयों की चर्चा की गई थी और जो निर्णय किये गये थे वे समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये हैं। सम्मेलन की अन्तिम घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३२९९ / ६१]**

(ख) से (घ) उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में सम्मेलन ने जो निर्णय किया है वह अन्तिम घोषणा में दिया गया है, जिस का मसौदा तैयार करने में भारतीय प्रतिनिधि ने महत्वपूर्ण योग दिया। इसलिये भारत तथा भाग लेने वाले अन्य देशों के दृष्टिकोणों में अन्तर होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री साधन गुप्त : क्या सम्मेलन के दौरान हमारे प्रतिनिधि अर्थात् प्रधान मंत्री तथा कुछ अन्य अफरीकी-एशियाई प्रतिनिधियों के बीच उपनिवेशवाद गतिविधियों की निन्दा पर जोर दिये जाने तथा उसे दृष्टिगत रखते हुए निशस्त्रीकरण एवं शान्ति पर जोर देने के बारे में मतभेद हो गया था और यदि हां, तो क्या उपनिवेशवाद विरोधी बात पर जोर देने के बारे में हमारी इनकारी स अन्य प्रतिनिधियों के बीच हमारे बारे में गलत धारणा पैदा हो गई कि हमने उपनिवेशवाद के बारे में अपना विरोध कम कर दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे लिये यह कहना मुश्किल है कि अन्य लोगों ने या अन्य प्रतिनिधियों ने क्या समझा। वे बेलग्रेड सम्मेलन में हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व में युद्ध और शान्ति की खतरनाक स्थिति पर, जो कि सोवियत रूस द्वारा आणविक प्रयोग शुरू किये जाने से ज्यादा खतरनाक हो गई है, जोर दिया जाय और उसे सुधारने की कोशिश की जाए। हमने इस बात पर जोर दिया भी है। इस का अर्थ यह नहीं है कि उपनिवेशवाद के विरोध या अन्य मामलों पर कम जोर दिया है। ये मामले भी महत्वपूर्ण हैं और उनका भी उल्लेख किया गया था। किन्तु आवश्यक बात है कि संसार कायम रहे और यह अणु युद्ध से नष्ट न हो जाए।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बेलग्रेड सम्मेलन में हर प्रकार के तटस्थतावाद--सक्रिय तटस्थतावाद, असम्बद्ध तटस्थतावाद, अप्रतिक्षित तटस्थतावाद और इस प्रकार की सभी राजनीतिक दलबंदियों सम्बन्धी विचारधाराओं के प्रतिनिधि मौजूद थे, वहां की कठिनाइयों से पार पाने के लिये हमारे प्रधान मंत्री ने किस मूलभूत नीति को अपनाया ?

†**जवाहरलाल नेहरू** : निस्सन्देह, जब बहुतेरे देश इकट्ठे होते हैं, वे साधारणतया छोटे मामलों में या बड़े मामलों में भी मतभेद दिखाते हैं। लोग एक दूसरे की बात को हां, हां करने के लिये इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि वे सब बातों पर सहमत नहीं होते। यह नैसर्गिक है। बेलग्रेड सम्मेलन में अधिकांश देश अफरीका और अरब के थे। उन पर स्थानीय बातों आदि का प्रभाव था। नीति निर्धारित करने में यह ऊंची नीति नहीं थी--भूगोल का स्थान होता है – इन बातों की चर्चा की जाती है और अन्ततोगत्वा कुछ निर्धारित होता है। यहां एक विज्ञप्ति तैयार हुई, जो अन्ततोगत्वा एक मत से पारित हो गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई :** प्रधान मंत्री ने बताया है कि उपनिवेशवाद के विरोध के मामले पर कोई मतभेद नहीं था। क्या आण्विक प्रयोगों के जारी किये जाने और बर्लिन सम्बन्धी मामलों के बारे में किये जाने वाले रवैये के बारे में कोई मतभेद था? भारत तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच विशेष तौर पर क्या मतभेद थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मतभेद शब्द भ्रामक है। यह हमेशा जोर देने का प्रश्न होता है। भारत ने युद्ध और शान्ति की स्थिति के बारे में एक पृथक् संकल्प रखा था जो स्वीकार हो गया था। इस में आण्विक प्रयोगों आदि का उल्लेख था। इस मामले पर अत्याधिक शीघ्रता की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। जब कुछ अन्य लोग इसे कम महत्व का विषय समझते हैं, तो हम उसको मतभेद नहीं मानते, किन्तु अन्य मामलों को समान महत्व दिया जाना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई :** बर्लिन के बारे में क्या स्थिति थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस विषय की वहां चर्चा नहीं की गई। इसका बड़े महत्वपूर्ण मामले के तौर पर उल्लेख किया गया था, किन्तु इस पर चर्चा नहीं की गई।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच था कि बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लेने वाले तीन नेताओं की, जिन में हमारे प्रधान मंत्री भी शामिल हैं, कल मुलाकात हुई थी और उसमें यह प्रस्ताव आया था कि सम्मेलन कायम रखा जाय और एक नया सम्मेलन होना चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** काहिरा में ?

†**श्री तंगामणि :** जी हां।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्या ऐसा प्रस्ताव था कि सम्मेलन जारी रखा जाए ? सम्मेलन स्थायी तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता। इसे कभी पूर्ण होना होगा।

†**श्री तंगामणि :** मुझे गलत समझा गया है। समाचार पत्रों में छपा है कि जब तीन नेताओं की मुलाकात हुई थी तो एक प्रस्ताव आया था कि बेलग्रेड सम्मेलन के समान एक सम्मेलन उसको जारी रखने और उन विषयों पर विचार करने के लिये जो रह गये थे, किया जाए। क्या यह तथ्य है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं, इस का वहां कोई उल्लेख नहीं था।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या वहां विश्व सरकार की चर्चा हुई थी या नहीं, क्योंकि केवल सन्धियों से शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती ? उपनिवेशवाद सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में मुझे कहना है कि यह नैसर्गिक बात है। जहां मानवीय लहरें बाहर फैलती हैं, वे अन्य देशों में पहुंच जाती हैं। क्या इस बात पर चर्चा हुई थी या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसकी चर्चा नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों में श्रमिकों और प्रबंधकों के सम्बन्ध

†*१२. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एन्थनी पिल्ले :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का कोयला खान के श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित जांच गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की कोयला खानों के श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों के बारे में की जाएगी ; और

(ग) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). ऐसी कोई समिति नियुक्त करने का इरादा नहीं है। तथापि कोयला खानों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों के बारे में एक विभागीय जांच प्रादेशिक श्रम आयुक्त धनबाद के द्वारा सरकार की सूचना के लिये करवाई जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह पाया गया है कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त धनबाद पक्ष ले रहा है और यदि हां, तो क्या इस प्रश्न की जांच के लिये अन्य अफसर नियुक्त किया जाएगा, जो यह देखे कि किस संघ या कार्यकर्ता ने हिंसात्मक कार्यों में भाग लिया था ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : जांच करने के लिये जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है वह सर्वथा दूसरा व्यक्ति है। इसलिये इस कारण कोई शंका करने का आधार नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह तथ्य है कि दत्ता केन्द्रीय काजोरा कोयला खान में, आई० एन० टी० यू० सी० से मिले हुए संघ के मंत्री को बलवा करने और मारपीट करने के दोष पर गिरफ्तार कर लिया गया है ? इस में क्या सत्य है ? क्या कोई कार्रवाई की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्ध के प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

+

†*१३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सूपकार :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रह है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

चालू वर्ष के पहले ७ महीनों (अप्रैल से अक्तूबर, १९६१) और पिछले वर्ष की इसी अवधि के वास्तविक उत्पादन के आंकड़े दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जाता है :—

	मीट्रिक टन	
	१९६१	१९६०
अमोनियम सल्फेट. . .	१,५७,०००	१,६४,०००
डबल साल्ट .	३३,८००	१९,८००
उड़िया . .	७,५००	५,१००

यह देखा जाएगा कि अमोनियम सल्फेट का उत्पादन गत वर्ष में जितना था, इस वर्ष भी न्यूनाधिक वैसा ही है, किन्तु डबल साल्ट और उड़िया का उत्पादन बढ़ गया है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या यह सच है कि डोलोमाइट की कमी के कारण सिन्दरी फैक्टरी बन्द की जाने वाली थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं ।

†**श्री सूपकार :** अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ? क्या इसका कारण कच्चे माल की कमी नहीं है ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक प्रकार का उतार चढ़ाव है । जैसा कि मैंने वहां बताया था, ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं । उत्पादन में थोड़ी कमी है किन्तु हमें आशा है कि शायद इन दो महीनों में यह कमी पूरी हो जाएगी । मुख्य कारण ये हैं कि हमें मरम्मत आदि के लिये कुछ संयंत्रों को बन्द करना पड़ता है और कुछ देर कोयले की कमी रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बै० च० मलिक** : क्या यह सच है कि सरकार ने जांच करने के लिये और उर्वरकों का उत्पादन तथा संचालन सुधारने के लिये मार्गोपायों की सिफारिश करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया था ? यदि हां, तो आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने बहुत सी समितियां नियुक्त की थीं। वास्तव में सब से पहले कारखाना प्रबन्धक ने स्वयं प्रतिवेदन दिया । फिर डाक्टर हुसीम जहीर को प्रतिवेदन देने को कहा गया। उसके पश्चचात् हमने डाक्टर जहीर के सभापतित्व के अधीन तीन व्यक्तियों की समिति नियुक्त की जिस में एक विदेशी प्रविधिक विशेषज्ञ था। इन सब सिफारिशों पर निदेशक मंडल ने विचार कर लिया है और यह कार्यान्वित की जा रही हैं।

†**श्री तंगामणि** : समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि अगस्त में दैनिक उत्पादन ८५६ टन अमोनियम सल्फेट था जब कि निर्धारित क्षमता ९७४ टन थी। विवरण में भी हम देखते हैं कि अमोनियम सल्फेट का उत्पादन १९६१ में कम हो गया है । क्या पिछले कुछ महीनों में निर्धारित क्षमता के आस पास लक्ष्य पूरा हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने पहले ही पहले प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि १९६१ में ७,००० टन की जो कमी उसी अवधि के १,६४,००० टन के उत्पादन की तुलना में, १,५७,००० टन के कारण है उसका मुख्य कारण यह रहा है कि कोयले के संभरण में बाधा रही और कुछ जिप्सम के वैगन नहीं मिले । यह कोई भारी कमी नहीं है ; संभव है कि इन कुछ महीनों में यह बढ़ जाए ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि मशीनरी का अच्छी तरह संभरण नहीं किया जाता है और मशीनों की मरम्मत करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सही है कि पहले प्रक्रमों में मरम्मत का इतना ध्यान नहीं रखा गया था जितना रखा जाना चाहिये था और पिछले तीन वर्षों में इस मामले की गहन जांच के परिणाम स्वरूप चक्रवार मरम्मत और संधारण का काम आरंभ किया गया है। मैं नहीं समझता कि अब कोई बड़ी कठिनाई होगी ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : मशीनों की मरम्मत पर कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक बैटरी में लगभग १८ महीने लगते हैं । इसी तरह की कई बैटरियां हैं और मरम्मत एक के बाद एक की होगी ।

†**श्री तंगामणि** : हमें अप्रैल से अक्तूबर तक के आंकड़े दिये गये हैं। मैंने अगस्त के आंकड़े दिये हैं। क्या सितम्बर और अक्तूबर में उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है ; क्योंकि अगस्त के महीने में निर्धारित क्षमता से १०० टन कम था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये सब ऐसी बातें नहीं हैं कि प्रति मास कारणों का अनुमान लगाया जा सके। मैंने यह बताया कि उत्पादन के पहले सात महीनों में थोड़ी कमी रही है—केवल अमोनियम सल्फेट के मामले में क्योंकि उड़िया और डबल साल्ट का उत्पादन तो बढ़ा है और शेष महीनों में जिन के आंकड़े इन आंकड़ों में नहीं हैं, संभव है, उत्पादन लक्ष्य से भी बढ़ जाए, किन्तु यह एक ऐसी बात है, जिस के बारे में इस समय निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दत्ता सेन्ट्रल कजोरा कोयला खान

†*५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० सितम्बर, १९६१ को आसनसोल में दत्ता सेन्ट्रल कजोरा कोयला खान में मजदूरों के दो दलों में भारी मारपीट हुई ;

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति मारे गये और घायल हुये ;

(ग) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध संघ के मंत्री को इस सिलसिले में दंगा व मारपीट करने के अपराध में पकड़ा गया था ;

(घ) यह घटना किन कारणों से हुई ; और

(ङ) कोयला खान में फिर से शांति स्थापित करने तथा सामान्य-कार्य संचालन आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) १४ आदमी घायल हुए ; उन में से एक आदमी मर गया।

(ग) अनेक व्यक्ति जिन में कंपनी के संचालक तथा संघ के सामान्य सचिव भी थे, गिरफ्तार किये गये थे और उन के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं।

(घ) यह मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, इस घटना का ब्यौरा नहीं बताया जा सकता ।

(ङ) कोयला खान में पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है और अब स्थिति शांतिपूर्ण है ।

राष्ट्रीय आय का वितरण

†*१४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों योजनाओं द्वारा अर्जित आय के वितरण सम्बन्धी जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख) जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

†*१५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सूपकार :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० आओ की हत्या के पश्चात् नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियां बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन के अड्डों को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या बर्मा सरकार से इस मामले में आवश्यक सहायता देने के लिए अनुरोध किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री हजारिका)** : (क) डा० इमकोंगलिबा आओ की हत्या के बाद विद्रोहियों की कार्य वाहियां जारी हैं।

(ख) सुरक्षा सैनिकों ने नागा आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपने मोर्चे और अधिक मजबूत कर दिये हैं।

(ग) भारत सरकार बर्मी अधिकारियों से बराबर सम्पर्क बनाये रखती है और उन्होंने बर्मा स्थित नागा आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए सभी संभव सहायता देने का वचन दिया है।

ब्रूसेल्स स्थित भारतीय राजदूतावास

†*१६. श्री नाथ पाई :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कुन्हन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ सितम्बर, १९६१ की रात्रि को ब्रूसेल्स स्थित भारतीय राजदूतावास पर ईंटें फेंकी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले पर में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) शुक्रवार, १५ सितम्बर, १९६१ को करीब १०–२० बजे रात में दो या तीन अज्ञात व्यक्तियों को लिए हुए एक मोटर गाड़ी राजदूत के निवास स्थान के सामने रुकती हुई देखी गई और मकान के सामने के दरवाजे पर दो या तीन पत्थर पड़ने की आवाज सुनाई पड़ी । शीशे के दो दरवाजे इस प्रकार टूट गये । घटना के समय वहां कोई भीड़ नहीं थी और न ही वहां कोई प्रदर्शन था । पुलिस और चीफ आफ प्रोटोकोल को सूचना दी गयी । उसके बाद तुरन्त ही पुलिस-प्रमुख वहां आया और उसने संरक्षण का पूरा आश्वासन दिया । चान्सरी और राजदूतावास, दोनों ही जगह एक सप्ताह तक रात दिन पुलिस तैनात थी । चान्सरी उस अवधि में खुला रहा । विदेशी कार्यालय ने तोड़ फोड़ की मरम्मत के लिये खर्च देना मंजूर कर लिया और आक्रमण के लिये खेद प्रकट किया ।

पाकिस्तानियों द्वारा जम्मू सीमा पर गोली वर्षा

†*१७. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों ने जम्मू-सियालकोट सीमा पर तहसील रणवीर-सिंहपुरा में पिन्डी चरकान गांव और देवली के निकट २८ अगस्त, १९६१ को और उसके बाद अनेक अवसरों पर गोली वर्षा की थी ।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पाकिस्तानियों के हमले का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवक्षकों से इस संबंध में कोई शिकायत की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) हमारे राज्य क्षेत्र पर आक्रमण के पाकिस्तानी प्रयत्न हमारी सीमावर्ती पुलिस ने विफल कर दिये ।

(ग) यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों के सामने पेश किया गया था । दोनों ओर के प्रतिनिधियों ने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों ने बैठकों में भाग लिया लेकिन वे बैठकें पाकिस्तान की अशिष्टता के कारण सफल नहीं हुईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का पुनर्गठन

†*१८. श्री बै० च० मलिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरिश्चद्र माथुर :
श्री दामानी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न सख्या ३०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में अधिकतम मितव्ययता और कार्यदक्षता लाने वाले उपायों की जांच और सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अंतिम निष्कर्ष और निर्णय किए गए हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में मोटे तौर पर चार विषय आ जाते हैं : (१) सचिवालय का शीर्ष (२) कर्मचारियों का भौगोलिक वितरण (३) आर्थिक और सामाजिक कार्यवाहियां और (४) प्रशासनिक तथा बजट संबंधी मामले ।

सामान्य महासभा के चालू अधिवेशन में अभी इस रिपोर्ट पर विचार किया जाना है और भारत सरकार के अंतिम निष्कर्षों के लिए वहां की गतिविधियों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। फिर भी, स्थूल रूप से, इन विषयों पर भारत सरकार के विचार इस प्रकार हैं :—

(१) **सचिवालय का शीर्ष** : भारत सरकार एक ऐसे सचिवालय के पक्ष में है जो प्रभावशाली ढंग से काम कर सकता हो और जो दुनिया में विभिन्न मतों को भी ध्यान में रखता हो ।

(२) **भौगोलिक वितरण** : सामान्यतया भारत सरकार समिति के अधिकांश सदस्यों की उन सफारिशों से सहमत है, जिन में जन संख्या और बजट के अंशदान के आधार पर बराबर बराबर भौगोलिक वितरण सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया गया है ।

(३) **आर्थिक और सामाजिक कार्यवाहियां** : भारत सरकार समिति के अधिकांश सदस्यों की इस सिफारिश से सिद्धान्त रूप में सहमत है कि उनका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य कार्यालय से प्रादेशिक आर्थिक आयोगों को हस्तांतरित कर के आर्थिक तथा सामाजिक कार्यवाहियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये । ऐसे हस्तान्तरण के तरीके के प्रश्न पर और विचार करने की आवश्यकता है ।

---

†मूलअंग्रेजी में

(४) **प्रशासनिक तथा बजट सम्बन्धी मामले** : इनका संबंध बजट के दो विभागों से है अर्थात् प्रशासनिक तथा कार्य संबंधी, भाषा सुविधायें, पुस्तकालय सेवायें आदि। इन प्रश्नों पर और अधिक सूक्ष्म छान-बीन करने की जरूरत है और सामान्य ; महासभा के आगामी वाद-विवाद से ठोस प्रस्ताव निर्धारित करने में सहायता मिलेगी ।

चाय बागानों को ऋण

†*१९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों को पुराने और बेकार हो गए चाय क्षेत्रों के पुनारोपण और प्रतिस्थापन के लिए दीर्घकालीन ऋण मंजूर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस मामले में कोई निर्णय किया जा चुका है और वह योजना लागू कर दी गई है ; और

(ग) योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार ने चाय बोर्ड को ५ करोड़ रुपये की रकम देने का निश्चय किया है । यह रकम चालू निधि के तौर पर समझी जायेगी जिस से बोर्ड चाय उद्योगों को पुराने चाय क्षेत्रों के पुनारोपण, प्रतिस्थापन और/अथवा विस्तार के लिए दीर्घकालीन ऋण दे सके।

उपर्युक्त निश्चय के अनुसरण में चाय बोर्ड ने एक विस्तृत योजना तैयार की है जिसकी अंतिम रूप से छानबीन हो रही है । यह योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जायगी । ऋण की मोटी मोटी शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) चाय बोर्ड द्वारा अलग अलग उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण की दर समतल बागानों के प्रति एकड़ के लिए चार सालाना किस्तों में ३००० रुपये और पहाड़ी इलाकों में बागानों के लिए पांच सालाना किस्तों में प्रति एकड़ ४००० रुपये होगी ।

(२) उद्योग ८ साल की अवधि में अपना ऋण चाय बोर्ड को वापस चुकता कर देंगे । यह अवधि पहली किस्त की भुगतान से ७ साल समाप्त होने के बाद शुरू होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) ऋण के लिए ब्याज की दर ६$^{1}/_{3}$ प्रतिशत 'प्रभावी' होगी अर्थात् उसमें तुरन्त अदायगी के लिए छूट भी शामिल होगी ।

(४) प्रतिभूति बागानों की स्थिर सम्पदा पर अब अल्पकालीन अवधि का ऋण देने वाले बैंकों के साथ उपयुक्त व्यवस्था को प्राप्त प्रभार के रूप में मुख्यतः होगी ।

मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र

†*२०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के विशेषज्ञ दल ने इस बीच मध्य प्रदेश के अमरकण्टक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में एक अल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने की संभावना के संबंध में वहां का दौरा करके अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दल की उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी हां । अनुमान है कि दल का प्रारम्भिक प्रतिवेदन लगभग एक महीने के समय में प्राप्त हो जायगा ।

पूर्वी क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*२२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों के पूर्वी क्षेत्र (ज़ोन) में पुनर्वास संबंधी अवशिष्ट कार्य का अन्तिम रूप से अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) शिविरों के बन्द होने के बाद भी वहां पर परिवारों के रहने के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पन्न आर्थिक समस्या का क्या रूप है ;

(ग) क्या यह सच है कि पहले किये गये सर्वेक्षण से पता चला था कि शिविरों में रहने वाले अधिकांश परिवारों के आमदनी के अन्य साधन हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन परिवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के समीप ही बसाने और जो व्यवसाय उन्होंने अपना रखा है, उन्हीं में लगे रहने में, सहायता क्यों नहीं दी जाती ; और

(ङ) क्या यह सच नहीं है कि उन पर दण्डकारण्य में धन खर्च करने के अतिरिक्त यह व्यवस्था अधिक सस्ती रहेगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) असम, त्रिपुरा, बिहार और उड़ीसा में अवशिष्ट कार्य का अनुमान १९६०–६१ में लगाया गया था । पश्चिम बंगाल के संबंध में, राज्य सरकार के अनुमान पर फरवरी, १९६१ में सचिवालय स्तर पर ब्यौरेवार चर्चा हुई थी । राज्य सरकार और भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रियों ने सितम्बर, १९६१

†मूल अंग्रेजी में

के आरंभ में इस विषय की समीक्षा की थी । जब ३० सितम्बर, १९६१ को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं कि उनका वित्त विभाग इस मामले पर विचार करे और बाद में वह अपना नोट भारत सरकार को भेजेंगे । पश्चिम बंगाल में अवशिष्ट समस्या के अनुमान के संबंध में पुनर्वास मंत्रालय में तैयार किये गये ब्यौरेवार नोट की एक प्रति भी ६ अक्तूबर, १९६१ को मुख्य मंत्री के पास भेज दी गयी है । अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन आशा है कि शीघ्र ही इस मामले का फैसला हो जायगा ।

(ख) चूंकि पश्चिम बंगाल के सभी शिविर अभी बंद नहीं कर दिये गये हैं, इसलिए अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) सर्वेक्षण से यह पता लगा कि शिविरों के अनेक परिवारों को अपनी निजी आमदनी होती है ।

(घ) और (ङ). जिन परिवारों ने अपने को खेतिहर के तौर पर पंजीकृत कराया था उन्हें पश्चिम बंगाल में अपने अपने पेशों के आधार पर पुनर्वर्गीकरण की मांग करने की सदा ही छूट भी थी लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और खेतिहर के रूप में उनके पुनर्वास की व्यवस्था पूरी न हो जाने के कारण उन्होंने दान पर ही अपनी आजीविका कायम रखी। इसलिए दण्यकारण्य में अधिक सस्ती दर पर वैकल्पिक पुनर्वास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यापक प्रशासक

†*२३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यापक प्रशासकों के तीसरे पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की एक सूची जो कि योग्यता के आधार पर पर बनाई गई थी सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी थी ;

(ख) क्या पाठ्यक्रम के लिए जो व्यक्ति चुने गये हैं वे ठीक इसी सूची के अनुसार हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है :

(घ) जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में शामिल किये गये हैं उनका भाषानुसार विवरण क्या है ; और

(ङ) नये खोले जाने वाले केन्द्रों में ये कहां कहां और कितनी कितनी संख्या में नियुक्त किये जायेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ)

	उम्मीदवार जो चुने गये	जो शामिल हुए
हिन्दी .	९	७
मराठी .	५	५
कन्नड़ .	२	२
पंजाबी	२	२
मलयालम	१	१
तेलगु	१	१
बंगाली	१	१
गुजराती	१	..
कुल	२२	१९

(ङ) नियुक्ति के बारे में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फैसला होगा ।

सूती कपड़े का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

†*२४. **श्री दामानी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी हाल के जेनेवा करार से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये एक कपड़ा-शिष्टमंडल ने अमरीका का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में उनकी बातचीत और निष्कर्षों के बारे में सरकार की कोई रिपोर्ट पेश की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कोई औपचारिक रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है । शिष्टमंडल ने अमरीकी अधिकारियों के साथ उपयोगी चर्चा की जिसमें और दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें समझाया गया है कि भारतीय सूती कपड़ा उद्योग अमरीकी उद्योग के लिए प्रतियोगितात्मक होने की अपेक्षा अनुपूरक अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व फ़्रांसीसी बस्तियां

†*२५. { श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री दो० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** २८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १००४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के न्यायालयों में फ्रांस का अपीलीय क्षेत्राधिकार भारत को हस्तान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के संबंध में भारत के सक्षम न्यायालयों को अपीलीय क्षेत्राधिकार देने के लिए भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करने का निश्चय किया है । यह अधिसूचना तयार करने के लिए इस बात की आवश्यकता थी कि भारत सरकार को भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तविक हस्तांतरण के लिए किये गये करार के अर्थ में प्रशासनिक तथा विधि संबंध प्रश्नों की ब्यौरेवार छानबीन की जाये । अधिसूचना का प्रारूप अब तैयार हो गया है और वह शीघ्र ही जारी किया जायगा ।

सोना, चांदी आदि के तेजी-मन्दी के सौदे

†*२६. **श्री खीमजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, इन्दौर और कलकत्ता नगरों में मान्यताप्राप्त संस्थाओं के सदस्यों के जरिये सोना, चांदी, रुई और तिलहन में बड़े पैमाने पर 'तेजी-मंदी' के सौदे चल रहे हैं ; और

(ख) इन गैर-कानूनी सौदों को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और आगे क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) वायदा बाजार आयोग को बंबई में चांदी और तिलहन के 'तेजी-मंदी' के सौदों के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं लेकिन इंदौर और कलकत्ते के संबंध में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ख) जो लोग इस प्रकार का सौदा करते बताये जाते हैं उनके घरों पर पुलिस अधिकारियों ने छापा मारा है और कुल ४० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । इन मामलों की जांच पड़ताल जारी है । वायदा बाजार आयोग में एक प्रख्यापन निदेशालय (इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) कायम किया जा रहा है जो अवैध व्यापार के मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पांडिचेरी का विधिसम्मत हस्तान्तरण

†*२७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ : .

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के विधिसम्मत हस्तान्तरण के बारे में फ्रांस से अब तक हमारे पत्रों का कोई उत्तर मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पांडिचेरी का विधिसम्मत् हस्तान्तरण कराने के लिये कोई ठोस कदम उठाने का है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). भारत सरकार को यह जानकारी मिली है कि फ्रांसीसी सरकार इस साल दिसम्बर में फ्रांसीसी नैशनल असेम्बली में अनुसमर्थन विधेयक (रैटिफिकेशन बिल) पेश करने वाली है ।

अफगानिस्तान से व्यापार शिष्टमण्डल

†*२८. श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अगाड़ी :
श्री रामपुरे :
श्री सुगन्धि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान से एक व्यापार शिष्टमण्डल हाल में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) पत्र व्यवहार हुआ था जिस में परस्पर सहमत व्यापार व्यवस्था का उल्लेख था और अन्य बातों के साथ साथ निम्न लिखित बातों के लिए व्यवस्था थी :—

(१) सन्तुलित आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार की उन्नति ।

(२) विशिष्ट माल के आयात तथा निर्यात के लिए सुविधाएं देना ।

(३) विशिष्ट प्रक्रिया के जरिये जिसके अधीन निर्बाध विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं किया जाता, आयात तथा निर्यात के लिए भुगतान ।

यह व्यवस्था १ अक्तूबर, १९६१ से एक साल की अवधि तक लागू होगी ।

(ग) पत्रों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फैरो-मैंगनीज का निर्यात

†*२९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैरो-मैंगनीज के कम विश्व मूल्य को देखते हुए निर्यात किये जाने वाले फैरो-मैंगनीज की भाड़ा दरों में भी मैंगनीज अयस्क के भाड़े में कमी की तरह रियायत देने के प्रश्न की जांच कर ली है अथवा उसका जांच करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रियायत दी जा सकती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). इस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है ।

मथुरा रोड, नई दिल्ली पर प्रदर्शनी का मैदान

†*३०. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैडेरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स, नई दिल्ली को, १४ नवम्बर, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक उद्योग प्रदर्शनी करने के लिए मथुरा रोड, नई दिल्ली का प्रदर्शनी मैदान किन शर्तों पर दिया गया है ;

(ख) क्या रकम में कोई रियायत अथवा कमी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) भारतीय उद्योग प्रदर्शनी, १९६१, के लिए मथुरा रोड, नई दिल्ली में प्रदर्शनी मैदान दिये जाने की ब्यौरेवार शर्तों वाला एक लाइसेंस पत्र कार्यान्विति के लिए फैडेरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स ने तैयार किया है और उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–३२८८/६१]**

(ख) और (ग). सरकार के दावे की रकम में कोई रियायत या कमी करने का प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता ।

अमरीका के शांति दल के स्वयंसेवक

†*३१. **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के शांति दल के स्वयंसेवकों का उपयोग करने की योजना को प्रयोगात्मक आधार पर क्रियान्वित करने के निर्णय को इस बीच लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री हजारिका) :** (क) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत-लंका व्यापार वार्ता

†*३२. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही नई दिल्ली में हुई भारत–लंका व्यापार वार्ता सफल हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत और लंका के प्रतिनिधि मंडलों के बीच समझौता किन शर्तों पर हुआ है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) २८ अक्तूबर, १९६१ को एक व्यापार समझौता हुआ था । समझौते की मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत और लंका की सरकारों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए १५ अक्तूबर, १९६१ को नई दिल्ली में लंका सरकार के व्यापार, वाणिज्य, खाद्य तथा नौवहन मंत्री श्री टी० बी० हंलगरटने के सभापतित्व में लंका का व्यापार प्रतिनिधि मंडल आया था । बातचीत के फलस्वरूप २८ अक्तूबर, १९६१ को एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए । समझौता तुरन्त लागू हो गया था परन्तु उसमें यह शर्त थी कि दोनों सरकारें उसका अनुसमर्थन करेंगी और यह तब तक लागू रहेगा जब तक समझौता करने वाली पार्टी दूसरे को तीन महीने का नोटिस देकर उसकी समाप्ति न करें । समझौते के मुख्य उपबन्ध नीचे बताये जाते हैं :—

(क) दोनों सरकारों ने आपसी लाभ के आधार पर वर्तमान व्यापारिक ढांचे को बनाये रखने तथा समय समय पर व्यापार की अन्य मदों को बातचीत के द्वारा खोज निकालने की संभावनाओं का काम आरंभ कर दिया ।

(ख) विशिष्ठ वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को सुविधा देने के लिए दोनों पार्टियों ने सुझावों पर पूरा पूरा विचार किया ।

(ग) उत्पादन तथा खपत के परिवर्तनशील ढांचे पर विचार करके दोनों सरकारें अपने अपने देशों में उच्चतम स्तर पर व्यापार बनाये रखने का प्रयत्न करेंगी ।

(घ) दोनों सरकारें नौवहन का विकास करने का पूरा प्रयत्न करेंगी और दोनों देशों के झंडे वाले जहाजों के साथ उचित व्यवहार करेंगी तथा कानून और नियमों के अन्तर्गत पूरी सुविधायें देंगी ।

यह आशा की जाती है कि समझौते से गोले के तेल, गोले, रबड़ तथा खाने के तम्बाकू के लंका से भारत को निर्यात और सूखी मछली बीड़ी, ताड़गुड़, इमली और हथकरघे के कपड़ों का भारत से लंका को निर्यात में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

समझौते की एक प्रति तथा संयुक्त विज्ञप्ति समेत पत्रों की एक प्रति सदस्यों के सूचनार्थ संसद पुस्तकालय में भेज दी गई है ।

काश्मीर में शरणार्थी

†*३३. **श्रीमती ममता सुल्तान :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अधीन काश्मीर क्षेत्र से आये हुए शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या पर उन्होंने तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री ने सितम्बर, १९६१ में संयुक्त रूप से पुनः विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा के दौरान क्या निर्णय लिये गये थे ; और

(ग) निर्णयों की क्रियान्विति के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) से (ग). २२ तथा २३ सितम्बर, १९६१ को श्रीनगर में पुनर्वास मंत्री तथा जम्मू और काश्मीर के प्रधान मंत्री के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तानी अधिकृत प्रदेश से आये शरणार्थियों को पुनर्वास सहायता देने की योजना की क्रियान्विति की प्रगति पर पुनः विचार करने तथा योजना की क्रियान्विति में आने वाली बाधाओं को हटाने के संबंध में बातचीत हुई थी । बैठक में नीति संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया । प्रगति पर विचार किया गया था और शेष काम को शीघ्र निबटाने के लिये की जाने वाली कार्यवाही पर निर्णय किया गया था ।

भारत में अमरीकी उद्योगपति

†*३४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री न० म० देव :
श्री वारियर :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और उच्च अमरीकी उद्योगपतियों के बीच इस वर्ष अक्तूबर में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का स्वरूप क्या था और उसके क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अमरीकी व्यापारियों की संस्था 'बिजनेस इंटरनेशनल' का २२ अक्तूबर से २७ अक्तूबर, १९६१ तक नई दिल्ली में वार्षिक समुद्र-पार अधिवेशन हुआ था । भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को औपचारिक रूप में बातचीत के लिए निमंत्रित किया गया था । बातचीत में किसी परियोजना अथवा परियोजनाओं पर बातचीत नहीं हुई थी परन्तु सामान्य, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की बातें हुईं थीं ।

केरल राज्य में "फार्म" छापने वाला प्रेस

†*३५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के कोरट्टी में खोले जाने वाले 'फार्म' छापने वाले प्रेस की क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने प्रेस के लिए भूमि का अर्जन कर लिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) कोरट्टी में भारत सरकार के प्रस्तावित प्रेस के लिए कारखाने के भवन निर्माण के लिए योजना और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

पांडिचेरी के लिये चौदह सदस्यों का आयोग

†*३६. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी असेम्बली ने १० सितम्बर, १९६१ को चौदह सदस्यों के आयोग के प्रस्तावों के प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस समय कौन सी सिफारिशें लागू की जा रही हैं ?

†**विदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रतिनिधि सभा के संकल्प में यह सुझाव दिया गया था कि पांडिचेरी को भारत संघ में विलीन कया जाये । उनका यह संकल्प हस्तांतरण संधि के अनुसमर्थन में विलम्ब पर आधारित था । भारत सरकार को अब यह सूचना मिल गई है कि अनुसमर्थन विधेयक फ्रांसीसी संसद के चालू सत्र में पुरस्थापित हो जायेगा । इसलिए संकल्प पर कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य परियोजना

†*३७. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सूपकार :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य परियोजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर)** : अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार अन्तर-सत्र अवधि में दण्डकारण्य योजना की क्रियान्विति में प्रगति दिखाने वाला प्रतिवेदन शीघ्र ही सभा सदस्यों में परिचालित कर दिया जायेगा ।

तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन

†*३८. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलग्रेड में हुए तटस्थ राष्ट्र शिखर सम्मेलन के सिलसिले में हुए व्यय का २५ प्रतिशत अंश भारत को देना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धन राशि का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा दिय जाने वाले व्यय का अंश किस आधार पर निर्धारित किया गया ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). अल्जीरिया और कांगो को छोड़ कर अन्य भाग लेने वाले देशों द्वारा संयुक्त रूप से बेल्ग्रेड सम्मेलन के दुभाषियों तथा शीघ्रलिपिकों पर होने वाले व्यय तथा एक साथ अनुवाद के यंत्रों को किराये पर लेने के व्यय, वहन किए गए हैं । भाग लेने वाले देशों के अंश उन देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ में अंशदान के आधार पर निश्चित होंगे । इस आधार पर भारत के अंश लगभग ४९.७ प्रतिशत आते हैं । परन्तु सम्मेलन पूर्व की अधिकारियों की बैठक में यह तय पाया गया था कि भारत के अंश २५ प्रतिशत होंगे । इस धनराशि की अभी गणना नहीं की गई है इसलिए इसका भुगतान शेष है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे पटसन की कीमतें

†*३९. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० गं० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन का रक्षित भंडार बनाने तथा उसकी कीमतें निर्धारित करने के सम्पूर्ण प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) रक्षित भंडार अभिकरण भारतीय पटसन मिल संस्था का एक संगठन है । उससे आशा की जाती है कि वह अपना गठन तथा उसके ब्यौरे बताये ।

पूर्व-निर्मित ढांचे

†*४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-निर्मित ढांचों का प्रयोग करने के बारे में देश में पूरी जांच नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या गोदामों और स्कूलों में धातु के ढांचों पर नालीदार लोहे की चादरों का प्रयोग करने की जांच की गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) यथा-संभव पूर्व-निर्मित ढांचों का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखबारी कागज की कमी

४१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच अखबारी कागज की कमी की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). सोवियत रूस, अमेरिका और स्कैण्डिनेविया से कागज आ जाने के कारण अगस्त, १९६१ से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो गया है। चालू वर्ष की आवश्यकता पूरी करने के लिये जो प्रबन्ध पहले ही किया जा चुका है, उसके अनुसार और भी कागज निर्बाध रूप से आते रहने की आशा है।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये उपदान

*†४२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन श्रमजीवी पत्रकारों को, जिन्होंने एक प्रतिष्ठान में दस वर्ष से अधिक समय तक काम किया है, अनिवार्यत: उपदान देने की व्यवस्था करने के लिये संसद् के समक्ष विधान प्रस्तुत करने के बारे में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मामला विचाराधीन है। आवश्यक विधान क्या-संभव शीघ्र संसद के समक्ष रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

ड्यूरेंड लाइन और मैकमहोन लाइन

†*४३. श्री नाथ पाई :
श्री प्र० गं० देव :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री महन्ती :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है कि ड्यूरैंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर मानी गई सीमा है किन्तु मैकमोहन लाइन जो भारत और चीन का विभाजन करती है, कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर सीमा स्वीकार नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस वक्तव्य का खंडन करने तथा जनता एवं समाचारपत्रों के सामने वास्तविक तथ्य पेश करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख) गत कुछ वर्षों में मैकमोहन लाइन के बारे में भारत सरकार के विचार बार बार बता दिए गए हैं। लाइन के बारे में बातचीत करने वाले भारतीय और चीनी अधिकारियों के प्रतिवेदन के पृष्ठ १०३ से ११५ तथा श्वेतपत्र में प्रकाशित पत्र-व्यवहार की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे का पुर्तगाल भेजा जाना

†*४४. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१२ के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे के पुर्तगाल भेजे जाने के विरोध में भारत सरकार द्वारा दिये गये विरोध पत्र का उत्तर प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) पुर्तगाल सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है। संयुक्त अरब गणराज्य जिसके द्वारा विरोध पत्र भेजा गया था मामले को आगे बढ़ा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त प्रबन्ध परिषद्

†*४५. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिये बड़े उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक जो स्थगित हो गई थी, बाद में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या फैसले किये गये; और

(ग) समिति के निष्कर्षों के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) कुछ उपक्रमों के प्रतिनिधियों को श्रम मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

†*४६. **श्री ब० च० मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाहर भेजी जाने वाली दस्तकारी की कुछ वस्तुओं के श्रेणी नियंत्रण तथा निर्यात से पूर्व निरीक्षण संबंधी तदर्थ समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं और वह उनको कब कार्य रूप में परिणत करने का विचार करती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दस्तकारी के संबंध में 'तदर्थ समिति' ने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

१. भारत तथा विदेशों के पर्यटन संगठनों के सहयोग से केवल अच्छी किस्म की वस्तुओं के खरीदने के लाभों के बारे में प्रचार करना चाहिए।

२. कालीनों के संबंध में आई० सी० आई० को मिरजापुर तथा भदोई के अतिरिक्त भारत के सभी क्षेत्रों के बनाये गये कालीनों की विभिन्न किस्मों की श्रेणियां निर्धारित कर देनी चाहिए। तत्पश्चात् ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि आइ० एस० आइ० द्वारा चिन्हित कालीनों के निर्यात की अथवा राज्य सरकारों के द्वारा चिन्हित और तथ्यों के आंकड़े दिखाने वाला पत्र उस पर लगाकर ही निर्यात की अनुमति दी जाये।

३. बर्तनों के मामले में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड को नमूने निकालने चाहिए और तत्पश्चात् इन वस्तुओं के निर्यात की तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की योजना के अधीन प्रमाणीकृत हो। इसके अतिरिक्त समिति की सिफारिश के अनुसार नमूनों की जांच आइ० सी० आइ० द्वारा भी की जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा सबंधित संगठनों के परामर्श से इन को लागू किया जा रहा है।

नागालैंड

†*४७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री तंगामणि :
श्री पहाड़िया :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड की अन्तरिम सलाहकार परिषद् ने सरकार को सुझाव दिया है कि संक्रमण कालीन विनियमों में जिनके अधीन अन्तःकालीन शासन व्यवस्था चल रही है, कुछ परिवर्तन किया जाये और कुछ कठिनाइयां भी व्यक्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और क्या सरकार ने सम्बन्धित विनियमों में कोई परिवर्तन करने का विचार किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जो० न० हजारिका)**: (क) और (ख). नागालैंड के कार्यपालिका पर्षदों को अन्तरिम व्यवस्था के काम में प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां आ रही है। उन्होंने भारत सरकार से इस बारे में बातचीत की है तथा हल ढूंढ़ लिए हैं। बातचीत के बाद वह पूरी तरह संतुष्ट हो कर गये हैं।

बातचीत में यह पाया गया था कि पारिषदों द्वारा अनुभूत प्रक्रिया कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्तरिम उपबन्ध नियमों में, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

ट्रांसफार्मरों का निर्माण

†*४८. श्री अ० क० गोपालन :
श्री दो० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्टरी स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). फर्म को ट्रांसफारमरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है और मैसर्स हिताची जापान से सहयोग की शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाहौर में पाकिस्तानी महान्यायवादी का वक्तव्य

†*४९. **श्री हेम राज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के महान्यायवादी ने लाहौर में छात्रों के समक्ष भाषण देते हुए उनसे यह कहा था कि वे भारत विरोधी लेख लिखें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). भारत सरकार ने पाकिस्तान के समाचार पत्र 'डान' में १३ अक्तूबर १९६१ को प्रकाशित पाकिस्तान के महान्यायवादी चौधरी नजीर अहमद के भाषण की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने इस्लामिया कालिज के विद्यार्थी संघ की स्थापना के समय दिया था। भारत सरकार इन रिमार्कों को बहुत आपत्तिजनक मानती है और दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रेस संहिता की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान सरकार से मामले को उठा रही है।

बर्मा से मनिआर्डर भेजना

†*५०. **श्री तंगामणि :** क्या **प्रधान मंत्री** २८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा के भारतीय निवासियों को भारत में अपने आश्रितों को मनीआर्डर भेजने में अब भी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे और क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या बर्मा सरकार तीन वर्ष निवास की अर्हता पर आग्रह कर रही है?

†**वैदेशिन-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) और (ख). जी नहीं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा बर्मा से अपने आश्रितों को मनीआर्डर भेजने की सुविधा २१ अगस्त, १९६१ से आरम्भ हुई है।

(ग) जी हां।

गृह निर्माण के लिये ऋण

†*५१. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा गृहनिर्माण के लिये लिये जाने वाले ऋणों की सीमायें बढ़ा दी गई हैं? और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से अभी तक कितने सरकारी कर्मचारियों ने लाभ उठाया है?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु०चन्दा)** : (क) जी हां। फरवरी, १९६१ में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि विभागों के मुख्याधिकारी २०० रुपये प्रतिमास पाने वाले कर्मचारियों को उनका २४ महीने का वेतन जो नियमों के अनुसार मिलना चाहिये कम होने पर भी ४,८०० रुपये पेशगी स्वीकार कर सकते हैं। जुलाई १९६१ में यह निर्णय किया गया था कि पेशगी की अधिकतम सीमा २५,००० रुपये से ३५,००० रुपये कर दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अप्रैल १९५६ में जब से यह योजना लागू हुई है तब से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक १,७११ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लगभग २ करोड़ रुपये के अग्रिम धन दिये गये हैं। इन अग्रिम धन, जो १७ लाख रुपये है १६० केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिये स्वीकार किये गये हैं जिनका आधार फरवरी तथा जुलाई १९६१ के उदार नियम हैं, अर्थात् अग्रिम धन की मात्रा बढ़ा दी गई है।

भारतीय राज्यक्षेत्र में चीनी अतिक्रमण

†*५२. श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६१ से अब तक चीनियों ने भारतीय राज्य क्षेत्र में कोई अतिक्रमण किये हैं ? और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) और (ख). हाल में ही सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आये हैं, जिनमें चीनी सशस्त्र कर्मचारियों ने भारतीय प्रदेश का अतिक्रमण किया है। इस संबंध में, ३१ अक्तूबर, १९६१ के उस नोट का उद्धरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, जोकि चीन सरकार के पास भेजा गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

पाकिस्तान में अमरीकी सहायता से हवाई अड्डे

†*५३. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक १५ सितम्बर, १९६१ के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है कि अमरीकी सरकार, अमरीकी कांग्रेस द्वारा शीघ्र ही बनाये जाने वाले कानून के अधीन, पाकिस्तान में पेशावर में अनुल्लिखित हवाई अड्डों के निर्माण के लिये ११६,००० डालर खर्च करना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) सरकार को इस संबंध में प्रेस रिपोर्ट का पता है परन्तु इस दिशा में कोई सविस्तार सूचना उपलब्ध नहीं हुई।

(ख) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के संबंध में भारत सरकार का दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया और भारत की सुरक्षा पर होने वाले इसके प्रभाव के संबंध में प्रधान मंत्री कई बार संसद् में बता चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता

†*५४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बलराज मधोक :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता देने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजना पर विचार कर लिया गया है और उसका अनुमोदन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित सहायता गृहों की स्थापना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). १९६२–६३ के आरम्भ से दिल्ली में काम दिलाऊ दफ्तर आरम्भ करने का विचार है, जैसा कि दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी योजना में कहा गया है।

(ग) १९६१–६२ के आय-व्ययक में इसके लिये २१,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है

'जनता' कार

†*५५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० गं० देव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री साधन गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सरजू पांडेय :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री महन्ती :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मुरारका :
श्री न० म० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में 'जनता' कारों के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने में तब से क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या स्थान चुन लिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र में थोड़ी कीमत की कार निर्माण करने का प्रश्न सक्रिय रूप में सरकार के विचाराधीन है। और इस दिशा में पांडे समिति की सिफारिशें सरकार के समक्ष हैं। कारखाने की स्थापना, इसके लिये स्थान का चुनाव और सम्बद्ध मामलों पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि कार निर्माण करने के संबंध में सरकार अपना अन्तिम निर्णय कर लेगी।

फिजो के विरूद्ध आरोप

†*५६. श्री हेम बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से भागे हुये नागा विद्रोही नेता, फिजो के विरूद्ध, जो इस समय लंदन में है, दांडिक प्रकार के कोई आरोप लगाये गये हैं !

(ख) क्या ये आरोप इंगलिस्तान की सरकार को बताये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) से (ग). फिजो के विरूद्ध गिरफ्तारी के वारन्ट अभी भी लागू हैं। इसका आधार यह है कि उनके विरुद्ध यह आरोप हैं कि उन्होंने अपने सहयोगी, साखरी की हत्या करने का प्रयत्न किया।

भारत सरकार ने ब्रिटेन के उच्च आयोग को यह सूचना दे दी है कि फीजो हमारे देश से भागे हुये व्यक्ति हैं। यद्यपि हम यह नहीं कहते कि ब्रिटेन की सरकार उन्हें वापिस करे तथापि हम आशा करते हैं कि ब्रिटेन के क्षेत्र में उन्हें ऐसी कार्यवाहियां करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जोकि भारत के विरुद्ध हो।

फीजो को क्योंकि भारत की नागरिकता के आधार पर ब्रिटेन की नागरिकता प्रदान कर दी गयी है, अतः हमने ब्रिटेन की सरकार को यह बता दिया है कि यदि आवश्यकता हुई

†मूल अंग्रेजी में

तो हम उन्हें वापिस मांगने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। परन्तु अभी हाल उन्हें वापिस मांगने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

मद्रास राज्य में सीमेंट की फैक्टरियां

†*५७. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै रामनड वाणिज्य मंडल ने सरकार को सुझाव दिया है कि मद्रास राज्य में तुरन्त सीमेंट की फैक्टरियां स्थापित की जानी चाहियें ;

(ख) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के मदुरे जिले में पलायम क्षेत्र में कच्चे माल के बड़े निक्षेप पाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो सीमेंट फैक्टरी कहां और कब स्थापित की जायेगी ; और

(घ) क्या उक्त फैक्टरी सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ). मद्रास सरकार ने रिपोर्ट दी है कि चूने के पत्थर के बहुत से निक्षेप त्रिचनापल्ली जिले के कूलिथलाई तालुके और साथ लगते क्षेत्र मदुरै जिले के डिंडीगुल क्षेत्र में स्थित है। सीमेंट फैक्टरियों के लिये इस सम्बद्ध क्षेत्र से आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं और वे विचाराधीन हैं। सरकारी क्षेत्र में कोई फैक्टरी आरम्भ करने का अभी कोई इरादा नहीं है।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

†१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६३ के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि योजना में अंशदान की दर में वृद्धि के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस प्रकार का है ; और

(ग) इस निर्णय को कब लागू किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (ग). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

कोयला खानों में ठेके के श्रमिक

†२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा किये जा सकने वाले काम की जांच करने वाली जांच अदालत ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सीमेंट फैक्टरियां

†**३. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने और सीमेंट फैक्टरियां चालू करने के लिये और अधिक लाइसैंस देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार दिये जाने वाले नये लाइससों की संख्या क्या है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लाइसैन्स देने का काम तो निरन्तर चलता रहता है, सीमेंट उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होता, अतिरिक्त सीमेंट निर्माण के लाइसैन्स दिये जाते रहेंगे। इस समय १५० लाख टन सीमेंट निर्माण के लाइसैन्स दिये जा चुके हैं। तीसरी योजना के लिये १५० लाख टन का ही लक्ष्य निर्धारित है। कमी को पूरा करने के लिये योजनायें विचाराधीन हैं। नयी योजनाओं को भी लाइसैन्स दे दिये जायेंगे, क्योंकि यदि कुछ योजनायें किन्हीं कारणवश कामयाब न हों तो भी उनसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी यदि आन्तरिक मांग बढ़ गयी तो निर्धारित लक्ष्य का पुनरीक्षण भी हो सकता हैं ताकि अधिक सीमेंट उत्पादन की व्यवस्था हो सके।

आयात तथा निर्यात के लाइसेंन्स

†**४. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६१ के वर्ष में अब तक आयाप तथा निर्यात के लाइसैन्स लेने के मामलों मेंहेरफेर करने के दोष के कारण काली सूची में आने वाली महाराष्ट्र की सार्थों की संख्या क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : २६-१०-१९६१ तक ऐसी फर्मों की संख्या २४ थी।

ऊनी माल का निर्यात

†**५. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९६०-६१ में विदेशों में निर्यात किया गया ऊनी माल कितने मूल्य का था; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का लाभ हुआ ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). ५.६ करोड़ रुपये का।

उत्पादकों द्वारा उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को उत्पादों का संभरण

†**६. श्री चुनी लाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि मूल्यों का स्तर कायम रखना है तो उत्पादकों और निर्माताओं के उत्पादों का उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को मुनासिब सम्भरण के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के स्तर को कायम रखने और उसका नियन्त्रण करने के लिये अपेक्षित अधिकार सरकार को प्राप्त है। जिस प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न में सुझाव है उसे करने का अभी विचार नहीं है।

काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा तोड़ फोड़ के मामले

†**७. श्री चुनीलाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई, १९६१ तक काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश तथा तोड़ फोड़ के कितने मामले सरकार की सूचना में आये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : ३१ अक्तूबर, १९६१ तक २७ मामले अवैध प्रवेश के और २१ मामले तोड़ फोड़ के थे।

विदेशों में बसने के लिये जाने वाले भारतीय

†**८. श्री चुनीलाल** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकाधिक संख्या में भारतीय विदेशों में जाकर बसने के लिये भारत छोड़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये लोग कौन हैं, कौन से देशों की जाते हैं और वहां जाकर किस प्रकार का काम करते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). इस प्रकार की सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है जो भारतीय भारत से बाहर जाते हैं उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे भारत सरकार को अपनी गतिविधियों के बारे में बराबर सूचना देते रहें. विदेशों में बसने वाले भारतीयों का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। न ही यह ही जानकारी है कि वे वहां किस प्रकार का काम करते हैं।

पंजाब के पंजीकृत बेरोजगार लोग

†**९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९६०-६१ में पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध लोगों की संख्या क्या है ;

(ख) बेकार ग्रेजुएट, इन्टरमिडिएट और मेट्रिकुलेटों की संख्या इसी समय में कितनी थी; और

(ग) जिन बेकार लोगों को नौकरी दी गयी उनकी संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग).

श्रेणी	१९६० -६१ में पंजीकृत	१९६०-६१ में नौकर हुए
१	२	३
ग्रजुएट	५,४७०	१७१४
इन्टरमिडिएट	५,५९६	७२२
मेट्रिकुलेट	५७, ०१०	८,४३९
अन्य	१,३४,३४९	२३,४८५
कुल	२,०२,४२५	३४,३६०

कांगो जाने वाले भारतीयों को पार-पत्र

†१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीने के दौरान में कांगों जाने वाले कितने भारतीयों को पार-पत्र दिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पिछले तीन महीनों के दौरान में कांगों जाने के लिये २१० भारतीयों को पार-पत्र दिये गये हैं। इस संख्या में उन पार-पत्रों की संख्या निहित नहीं है जो कि बम्बई एवं पोर्ट बिलेयर बन्दरगाहों के पदाधिकारियों ने जारी किये हैं क्योंकि उनसे सूचना मिलना अभी शेष है।

पार-पत्रों के लिये आवेदन पत्र

†११. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन व्यापारियों की ओर से अभ्यावेदन आये हैं जिनके पार-पत्र सम्बन्धी आवेदन पत्र क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय दिल्ली द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये थे कि 'जाने का उद्देश्य अस्वीकृत है ; और

(ख) क्या सरकार क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय दिल्ली द्वारा अस्वीकृत पारपत्रों के कारण, उल्लिखित प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताई गई बात के आधार पर कि सरकार इस प्रकार की सुविधायें देने में उदारता से काम लेगी, बतायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) व्यापारियों से इस प्रकार के अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं हालांकि कुछ अपील अवश्य की गई थीं जो कि प्रत्येक मामले की गुणिता के आधार पर तै कर दी गई हैं।

(ख) जैसा कि पहले प्रश्न में बता दिया गया है कि व्यापारियों को पार-पत्र देने में उदारता से काम लिया जाता है। पार-पत्र उसी स्थिति में अस्वीकृत किये जाते हैं जब कि जाने का उद्देश्य असली मालूम नहीं पड़ता।

†मूल अंग्रेजी में

यूनाइटेड स्पाईसिज़ इम्पोर्ट्स लि०

†१२. श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने यूनाइटेड स्पाईसिज़ इम्पोर्ट्स लि० के साथ अभी हाल में कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) करार का ब्यौरा बताना राज्य व्यापार निगम के व्यवसाय की दृष्टि से हितकर नहीं है ।

एशियाई उत्पादिता संगठन

†१३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १००६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाई उत्पादिता संगठन के सदस्य कौन-कौन देश हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस संगठन के सदस्य भारत, जापान, पाकिस्तान, फिलीपाइन, थाइलैंड, कोरिया गणराज्य, गणराज्य चीन और नैपाल हैं ।

उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थी

†१४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ;

(ग) क्या तिब्बती शरणार्थी वहां बसने के लिये आना शुरू हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने शरणार्थी आ चुके हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (घ) जी नहीं । उनको बसाने के लिये स्थान का चयन अभी अन्तिम रूप से नहीं हुआ है ।

तृतीय योजना और उड़ीसा

†१५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना में उड़ीसा के लिये "परिवहन तथा संचार" शीर्षक के अन्तर्गत योजना आयोग ने जो ८.५१करोड़ रुपये की व्यवस्था की है उसके अधीन विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]**

---

†मूल अंग्रेजी में

परदीप पत्तन का विस्तार

†१६. **श्री वितामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परदीप पत्तन के विकास के लिये अयस्क लोहे के निर्यात के हेतु जो २८ करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई थी उसका अध्ययन पूरा हो गया है ;

(ख) यह नई परियोजना तीसरी योजनसा में म्मिलित होगी; और

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) इस सम्बन्ध में प्रगति हो रही है।

(ख) यह बात तो उस अध्ययन पर निर्भर करती है जो कि आजकल चल रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना

†१७. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद से साहयता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण मामला पूरी तरह तैयार हो चुका है एवं उसके बारे में योजना आयोग से बातचीत हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो वे बातचीत क्या थीं एवं उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

आसाम के विस्थापित व्यक्ति

†१८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को आसाम सरकार से आसाम के उन विस्थापित व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है जो जुलाई, १९६० में वहां होने वाले दंगों में ग्रस्त हुए थे एवं उन्हें फिर से बसाया गया था तथा जिन्होंने आसाम में अपने मकान सम्पत्ति आदि छोड़ कर पश्चिमी बंगाल एवं त्रिपुरा में शरण ली थी ;

(ख) यदि हां, तो उस सूचना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (ग). भाषाई दंगों से ग्रस्त-व्यक्तियों को फिर से बसाने एवं उनको सुविधा देने के सम्बन्ध में आसाम सरकार ने ३१ अगस्त १९६१ तक लभभग १.४५ करोड़ रुपये का व्यय किया है।

---

†मल अंग्रेजी में

इन ग्रस्त परिवारों को निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं :—

(१) अपने मूल स्थान पर वापस आने पर प्रत्येक परिवार को पुनर्वास ऋण का मामला तै होने तक की दशा में ५० रुपये की तुरन्त सहायता ।

(२) शरणार्थी परिवारों में खाने और औषधि सम्बन्धी सुविधायें ।

(३) शरणार्थी शिवरों में कपड़े एवं कम्बलों का वितरण ।

(४) सम्बन्धित परिवारों के लिये शरणार्थी शिविरों से उनके जिलों तक परिवहन की व्यवस्था ।

(५) वैयक्तिक प्रतिभूति के आधार पर कृषि न करने वाले और कृषि करने वाले दंगा पीड़ित परिवारों को क्रमशः १००० रुपये और १५०० रुपये का ऋण देना । अचल सम्पत्ति को प्रतिभूति के आधार पर अधिक ऋण और भी दिये जा सकते हैं ।

(६) उन परिवारों को, जिनके सम्बन्धो इन दंगों में मर गये हैं, उनके श्राद्ध एवं अन्य धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिये तुरन्त सहायता के रूप में ५०० रुपये की सहायता ।

(७) दंगों के दौरान में जिनको मृत्यू हो गयो है उनके स्कूल जाने वाले बच्चों को शिक्षा एवं उनके संभरण के लिये वित्तीय सहायता । वैयक्तिक मामलों में उन लोगों के, परिवारों को, जिनको मृत्यु हो गयो है, उनके दो वर्ष की आय के बराबर राशि एवं उनके प्रति बच्चे के हिसाब से १० रुपये प्रति मास की सहायता आगामो ५ वर्ष तक दो जायेगी । किन्तु यह राशि कुल मिलाकर प्रत्येक परिवार को ५००० रुपये से अधिक न होगी ।

(८) दंगों के दौरान में जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सम्बन्धी सहायता ।

(९) दंगों के दौरान में जिन शिक्षण एवं धार्मिक संस्थाओं के भवनों को क्षति पहुंची है उनको मरम्मत के लिये उन्हें वित्तीय सहायता ।

(१०) जो लोग पश्चिमो बंगाल के शिविरों से लौटे हैं उनको उन शिविरों से अपने स्थान तक परिवहन को व्यवस्था ।

इसके अतिरिक्त पश्चिमो बंगाल के शिविरों से अपने अपने स्थानों को लौटने वाले प्रत्येक परिवार को केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा २०० रुपये की तदर्थ सहायता और यह सहायता केवल उन्हीं परिवारों को दी जायेगी जिनको कि राज्य की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत सहायता पाना संभव नहीं है। इस प्रकार की सहायता पर अनुमानित व्यय १० लाख रुपये का है।

प्रशुल्क व्यवस्था

†१९. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उद्योगों की प्रगति बढ़ाने की दृष्टि से मशीनों एवं उनके पुर्जों का आयात करने के सम्बन्ध में जो वर्तमान प्रशुल्क व्यवस्था है उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). अभी इस मामले पर विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगरा के निकट मीडियम वेव ट्रांसमीटर

†२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा के निकट उच्च शक्ति वाला मीडियम वेव प्रसारण ट्रांसमीटर की स्थापना के लिये किसी स्थान का चयन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस ट्रांसमीटर की स्थापना पर कितना व्यय होगा और ट्रांसमीटर का कुल कितना मूल्य होगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) तथा (ख). लभभग ४० एकड़ का एक स्थान आगरा-फतेहपुर मार्ग पर चुन लिया गया है ।

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः २२ लाख रुपये व्यय होंगे । अकेले ट्रांसमीटर का मूल्य ही १० २९ लाख रुपये है ।

अखबारी कागज की चोर बाजारी

२१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के एक अंग्रेजी समाचार-पत्र के मैनेजर द्वारा चोर-बाजारी से अखबारी कागज की कथित खरीद करने के जिस मामले की जांच की जा रही थी उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में जांच पूरी होकर कब तक ठोस कार्यवाही किये जाने की आशा की जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द कानूनगो): (क) से (ग) जांच अब भी चल रही है । इस समय यह बता सकना कठिन है कि जांच पूरी होने या अन्य ब्यौरा देने में कितना समय लग सकता है ।

तिब्बती शरणार्थी

२२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कुछ और तिब्बतियों ने भारत में शरण ली है

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन दर्रों से कितनी-कितनी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुए;

(ग) इस समय भी कितने तिब्बती शरणार्थी किन-किन स्थानों पर अस्थायी कैम्पों में निवास कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उन्हें स्थायी रोजगार दिलाने व अन्यत्र उपयुक्त स्थानों पर बसाने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ङ) उन सब के देर से देर कब तक पुनर्वासित हो जाने की आशा की जाती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) जी हां। अगस्त, सितम्बर में और अक्तूबर, १९६१ के पहले पखवाड़े में १३५ तिब्बती शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया।

(ख) उन्होंने बत्तीस दर्रों से होकर भारत में प्रवेश किया। जिन-जिन दर्रों से उन्होंने प्रवेश किया उनके नाम और प्रत्येक दर्रे से आने वालों की संख्या बताना सार्वजनिक हित में न होगा।

(ग) सरकार मालकपुंग में मुख्य मार्ग-शिविर चला रही है, जहां २,५०० तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं। १०,३०० शरणार्थी दार्जीलिंग, कालिम्पोंग, बुक्सा, सानदेव, पौड़ी, धर्मशाला, नारकंडा, लेह, रुप्शु और हान्ले के शिविरों में रह रहे हैं। इसके अलावा ४,२०० शरणार्थी सिक्किम में हैं और ४,१०० भूटान में।

(घ) ८,१५० शरणार्थी सड़क बनाने के काम पर लगे हुए हैं। मैसूर में पेरिया पटना, नेफा में मालकपुंग और लद्दाख में स्तकना नामक स्थानों पर कृषि पुनर्वास बस्तियां स्थापित कर दी गई हैं। इन योजनाओं से ४,४४० शरणार्थियों को फिर से बसा दिया जायेगा। नेफा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अन्य बस्तियों को भी स्थापित करने का इरादा है जिनसे १०,५०० व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ण होगी। दस्तकारी लघु उद्योग में और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा नर्सों के रूप में ८०० नौजवान शरणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ङ) यह कहना संभव नहीं है कि कब तक सारे शरणार्थी पूरी तरह व्यवस्थित कर दिये जायेंगे।

मेजर टिटोव का भारत आगमन

†२३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस के द्वितीय ब्रह्माण्ड भ्रमणकर्त्ता मेजर टिटोव को भारत आने के लिये आमंत्रित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) भारत आने के लिये मेजर टिटोव को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आसाम रेलवे ऐंड ट्रेडिंग कम्पनी की कोयले की खानें

†२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कम्पनी, मारगेहटा, के कोयला खानों के कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता के बदले उन्हें रियायती दर पर जो खाद्यान्न दिया जाता है वह पूरा का पूरा चावल ही दिया जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चावल की स्थिति सुधर जाने और अतिरिक्त चावल उत्पादन करने वाले राज्य जैसे कि आसाम में चावल का मूल्य कम हो जाने के कारण सरकार ने उनकी मांग को पूरा करने के बारे में अपनी सहमति दे दी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना को फिर से तैयार करना

†२५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनाओं की फिर से जांच हो रही है और यह योजना फिर से उचित ढंग से तैयार की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगी ; और

(ग) किस ढंग से उत्तर प्रदेश की ये योजनायें फिर से तैयार की जा रही हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

इंजीनियरिंग निर्यात वृद्धि परिषद्

†२६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंजीनियरिंग निर्यात वृद्धि परिषद् के अध्यक्ष के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जो कि उन्होंने अभी हाल में एक प्रेस सम्मेलन में दिया था और जिसमें उन्होंने निर्यात शीर्ष के अन्तर्गत आयातित सामान की बिक्री पर लगाये गये प्रतिबन्ध का उल्लेख किया था ?

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इंजीनियरिंग सामान के निर्माताओं को कच्चे माल की उपलब्धि न होने के कारण उन्हें भी कमी नाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार कच्चे माल के पुर्जों को जिन पर कि आयात के लिये अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती है, इन निर्माताओं द्वारा अपने कारखानों अथवा दूसरे कारखानों में प्रयुक्त करने की अनुमति देना ठीक नहीं समझती ।

(ग) सामान्य तौर पर तो नहीं ।

(घ) सरकार ने इस्पात उत्पादकों से प्रायः मिलने की व्यवस्था की है ताकि सरकार उनको इस बात का आश्वासन दे सके कि वह यथासंभव उनकी मांगों की पूर्ति करने का प्रयत्न करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य उपक्रमों पर कृष्ण मेनन समिति

†२७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य उपक्रमों पर कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किन नतीजों पर पहुंची है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

[देखिये परिशिष्ट संख्या १, अनुबन्ध संख्या ३]

वनस्पति

†२८. श्री चन्द्र शंकर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति विदेशी बाजारों में लोकप्रिय हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों में भारतीय वनस्पति का प्रयोग किया जाता है ;

(ग) क्या वर्तमान निर्यात से उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार निर्यात वृद्धि के लिये क्या कमद उठा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). भारतीय वनस्पति का निर्यात मुख्यत: इटली, आस्ट्रेलिया, अदन, अफगानिस्तान, बर्मा, बहरिन द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह, सिंगापुर, इरान, ट्रशिपल ओमान, साउदी अरब, कुवाइट और मलय संघ को किया जाता है। भारत से निर्यात होने वाले वनस्पति की मात्रा इन देशों को होने वाले इस वर्ग के पदार्थों की कुल मात्रा को देखते हुए बहुत कम है। क्योंकि इन देशों में भारतीय वनस्पति को यूरोप में निर्मित अपेक्षाकृत अधिक सस्ती वस्तुओं से प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है। ये वस्तुयें समुद्री तेलों या वनस्पति तेलों यथा खजूर के तेल से बनाई जाती हैं और ये वस्तुयें मूंगफली के तेल, जिससे मुख्यत: भारत में वनस्पति का निर्माण किया जाता है, से बहुत सस्ती होती हैं ।

(घ) भारतीय वनस्पति के निर्यात की वृद्धि के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) वनस्पति के निर्माता निर्यातकों को खोपड़े के आयात के लाइसेंस मंजूर किये गये हैं। इसमें लाभ की मात्रा पर्याप्त है जिस से कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली हानि को पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनको, निर्यात की गई वनस्पति के नौतल पर्यन्त निशुल्क मूल्य का ५१०, आवश्यक रसायनों और मशीनों के पुर्जों के आयात के लिये लायसेंस दिया जाता है।

(२) वनस्पति का निर्यात बिना निर्यात अनुमति के किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) भारत से बाहर निर्यात किये जाने वाले वनस्पति तेलों तथा उनके पैकिंग में काम आने वाली चादरों के निर्माण के लिये दिया गया उत्पादन तथा सीमा शुल्क वापस कर दिया जाता है ।

(४) निर्यात की जाने वाली वनस्पति के पैकिंग के काम में आने वाली टिन प्लेटों की मात्रा के १३३ प्रतिशत का पुनः लायसेंस दे दिया जाता है । उनमें से पहिले १०० प्रतिशत का लायसेंस रियायती मूल्य पर दिया जाता है ।

जापानी टेबल फैन

†२९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० मांझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी मेज पंखों (टेबल फैन) की देश में काफी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो इन पंखों के लोकप्रिय होने का क्या कारण है ; और

(ग) सरकार जापानी पंखों के आयात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जापानी मेज पंखों का आयात जनवरी, जून १९५७ से बिल्कुल बन्द कर दिया गया है । क्योंकि इस संबंध में आयात की कोई अनुमति नहीं है अतः आयात रोकने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सयाजी जुबली काटन एन्ड जूट मिल, सिधपुर

†३०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कला मंडल लिमिटेड (बिरला उपक्रम) ने गुजरात राज्य की सयाजी जुबली काटन एंड जूट मिल्स, सिधपुर को खरीद लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं ; और

(ग) क्या यह मिल पुनः चालू होगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को बिक्री के विस्तृत विवरण ज्ञात नहीं हैं ।

(ग) यह ज्ञात हुआ है कि प्रबंधकों ने मशीनों के बदलने का कार्य आरम्भ कर दिया है । यह काम समाप्त होने पर मिल पुनः काम करना आरम्भ कर देगी ।

अभ्रक सहायक श्रम कल्याण केन्द्र का कालीचेडू जाना

†३१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त कार्यालय कालीचेडू गांव को चला गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, कार्यालय के वहां जाने में कितना व्यय हुआ तथा उसका कर्मचारियों की आवास स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ग) क्या कारण है कि कई वर्षों तक गुटूर को ही मुख्यालय के लिये चुना गया था ?

†श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह कार्यालय छोटा है अतः इसके वहां से हटने पर अधिक व्यय नहीं होगा । कालीचेडू में कई गैर-सरकारी इमारतें और सरकारी क्वार्टर बन रहे हैं अतः वहां मकान मिलने में अधिक कठिनाई नहीं होती है ।

(ग) कालीचेडू में आवश्यक स्थान की कमी थी।

सरकारी कर्मचारियों का सरकारी उपक्रमों में लगाया जाना

†३२. श्री वं० च० मलिक :
श्री पहाड़िया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय कर लिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी सरकारी निगम का निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार का यह विचार है कि यह केवल उपयोगी भी नहीं अपितु आवश्यक भी है कि वित्त और तत्सम्बन्धी प्रशासक मंत्रालय के प्रतिनिधि सरकारी समवायों / निगमों के बोर्ड में रखे जायं ।* ये प्रतिनिधि उस विषय से संबंधित रहने चाहियें जिससे कि वह बोर्ड को मंत्रालय की विचार-धारा तथा तत्संबंधी विकास से अवगत करते रहें । इस प्रकार वे समवाय और मंत्रालय के बीच सम्पर्क रख सकें।

तथापि सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि कोई भी अधिकारी जो सचिवालय का सामान्य कार्य भी करता है उसे तीन या चार समवायों से अधिक का निदेशक न बनाया जाय । इसका उद्देश्य यह है कि अधिकारियों पर अधिक भार न पड़े और वे समवायों/ निगमों की समस्याओं पर अधिक ध्यान दे सकें ।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि किसी मंत्रालय के सचिव को सरकारी समवाय के निदेशक बोर्ड का निदेशक नहीं नियुक्त किया जायेगा ।

सरकारी समवायों के निदेशक बोर्डों के पुनर्गठन के समय इन निर्णयों पर अमल किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम के चाय श्रमिकों को बोनस

†३३. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के चाय श्रमिकों को दिये गये बोनस का काफी बड़ा अंश आसाम सरकार द्वारा ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) इस धन का सरकार द्वारा क्या उपयोग किया जायेगा ; और

(घ) इस योजना के अधीन श्रमिकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क), (ख) और (ग). १९५३ से १९५८ के बीच हुए समझौतों में यह उपबंध किया गया है कि श्रमिकों को मिलने वाले बोनस का एक अंश राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के रूप में दिया जायेगा । इस प्रकार १९५९–६० के अंत तक बोर्ड आफ ट्रस्टीज, आसाम चाय बागान भविष्यनिधि योजना के द्वारा, जिसे आसाम की सरकार ने यह कार्य सौंपा था, लगभग २ करोड़ रुपया जमा किया गया ।

(घ) इससे श्रमिकों को कुछ राशि बचाने और उस पर ब्याज कमाने का अवसर मिलता है, क्योंकि यह राशि श्रमिकों को पद्निवृत्ति, काम से अलग होने, पदच्युति तथा मृत्यु पर मिल जाती है ।

उर्वरकों का उत्पादन

†३४. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर १९६१ को नई दिल्ली में हुए भारतीय उर्वरक संघ की छटी वार्षिक सामान्य सभा में उर्वरकों के उत्पादन और संभरण की दशा में सुधार करने के लिये क्या प्रस्ताव रखे गये ; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या निश्चय किया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १६ सितम्बर, १९६१ को हुई संघ की छटी वार्षिक सभा में, भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष द्वारा दिये गये भाषण में यह महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे :

(१) यदि देश में उर्वरकों का उत्पादन निश्चित लक्ष्य तक नहीं हो पाता तो किसानों को खपत की निश्चित राशि आयात द्वारा स्वदेशी उत्पादन की राशि बढ़ा कर पूरी कर दी जाये ।

(२) देश में उर्वरक उत्पादन की वृद्धि करने के लिये पिछले वर्ष उर्वरक समस्या के संबंध में कई अधीकृत विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों में सन्निहित परामर्श और ज्ञान से लाभ उठाया जाये ।

(३) लायसेंसिंग समिति को चाहिये कि वह लायसेंस दिये गये परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखे तथा उनके सामने आने वाली अड़चनों को दूर करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) खाद देने के मौसम में किसानों तक उर्वरक पहुंचाने के लिये नियमित परिवहन सुविधायें उपलब्ध की जायें ।

(ख) उक्त विषय पर भारत सरकार का मत जो कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के उक्त अवसर पर बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में दिये गये भाषण में दिये गये हैं इस प्रकार हैं :—

(१) विदेशी मुद्रा की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए, स्वदेशी उत्पादन से पूरी न होने वाली आवश्यक मात्रा को यथासंभव आयात से पूरा किया जायेगा ।

(२) उक्त प्रतिवेदनों में दी गयी सलाहों और सिफारिशों से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा ।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजनाओं के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सके, प्रगति पर निगरानी रखता है तथापि यह कार्य लायसेंसिंग समिति का नहीं है ।

(४) परिवहन की समस्या पर रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जायेगा ।

भारतीयों को अमेरिका जाने के पारपत्र

†*३५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के दौरान अब तक अमेरिका जाने के लिये कितने भारतीयों को पारपत्र दिये गये ; और

(ख) पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जारी किये गये पारपत्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). १–१–१९६० से ३१–१२–१९६० तक अमेरिका के लिये ८०७२ पारपत्र जारी/पृष्ठांकित किये गये । १–१–६१ से ३१–९–६१ के बीच यह संख्या ८८६६ थी ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के कर्मचारी

३६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस आदि यूरोप के देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतावासों के सरकारी कर्मचारियों के लिए दाल-चावल तथा मसाले आदि लन्दन से मंगवाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था से अनावश्यक अथवा अतिरिक्त व्यय होता है ; और

(ग) क्या सीधे भारत से ही यह आवश्यक पदार्थ विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को भेजने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ?

प्रधान मंत्री तथा-वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लंदन या किसी और जगह से खाने-पीने की चीजें नहीं भेजती है । कर्मचारी अपना प्रबंध अपने

†मूल अंग्रेजी में

आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर वे सुविधानुसार भारत या लंदन से चीजें खरीद सकते हैं । वे आम तौर पर भारत से खाने पीने की काफी सामग्री अपने साथ ले जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इसकी अभी आवश्यकता नहीं हुई है । फिर भी हमने एक स्कीम शुरू की है जिसमें यह व्यवस्था है कि मांग होने पर कोई भारतीय फर्म विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए आम तौर से इस्तेमाल में आने वाली कई तरह की चीजें सप्लाई कर दे ।

केन्द्रीय सूचना सेवा

३७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार विभाग नियुक्त केन्द्रीय सूचना सेवा के कर्मचारियों के वेतन अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त स्थिति पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है और यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) सेंट्रल इन्फारमेशन सर्विस के १९५९ के नियम ११ के अनुसार, सितम्बर, १९६१ में वित्त मंत्रालय से सलाह करके आदेश जारी कर दिए गए थे जिनमें सर्विस के आरम्भ में नियुक्त अफसरों के वेतन तै करने के लिये मूल नियम दिए गए थे । आकाशवाणी के न्यूज सर्विस विभाग में कार्य करने वाले गजेटेड अफसरों के असली वेतन उनके अपने आडिट अफसरों द्वारा तै होंगे । जहां तक विभाग के दूसरे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल उनके वेतन नियत कर चुके हैं और इस की सूचना कर्मचारियों को दी जा चुकी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में ट्रांसमीटरों की स्थापना

†३८. **श्री सूपकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सम्बलपुर और जयपुर में दो ट्रांसमीटरों की स्थापना में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) ये ट्रांसमीटर अपना काम करना कब से आरम्भ करेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सम्बलपुर और जयपुर में ट्रांसमीटरों के लिये इमारतें बनाने का स्थान प्राप्त कर लिया गया है और उस पर इमारतें बनाने का काम चल रहा है आशा है कि फरवरी, १९६२ तक इमारतें बन कर तैयार हो जायेंगी । इसके तत्काल बाद ट्रांसमीटर लगा दिया जायेगा ।

(ख) दोनों ट्रासमीटर लगभग जुलाई, १९६२ से काम करने लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल में सीमेंट की कमी

†३९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की बहुत कमी है ;

(ख) क्या उन्हें यह ज्ञात है कि वहां सीमेंट केवल चोर बाजारी में ही उपलब्ध हो रहा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है और इस स्थिति के निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । इस बात की व्यवस्था की गई है कि पश्चिम बंगाल को कीमार, चर्क, डालमिया पुरम् और तालेयुय् के कारखानों से, जो सामान्यतः पश्चिमी बंगाल को सीमेंट नहीं भेजते हैं, पश्चिम बंगाल को सीमेंट भेजा जाये ।

"तृतीय पंचवर्षीय योजना"

४०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि "तृतीय पंचवर्षीय योजना" का जो संस्करण सरकार निकाला है उसकी कीमत १२ पये है जो कि जन-साधारण के लिए काफी ऊंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार "तृतीय पंचवर्षीय योजना" का कोई सस्ता संस्करण निकालने का विचार कर रही है जिससे कम कीमत पर पंचवर्षीय योजना की प्रतियां जनता को प्राप्त हो सकें ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक यह संस्करण निकाला जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) "तृतीय पंचवर्षीय योचना" योजना आयोग का प्रकाशन है । उसके जिल्द वाले और कागज के कवर वाले संस्करणों की कीमत क्रमशः १२-५० रुपये और १०-०० रुपये हैं न कि १२-०० रुपये ।

(ख) और (ग). योजना आयोग की मुख्य रिपोर्ट एक बड़ा पोथा है और साधारण पाठकों द्वारा इसके पढ़े जाने की कम सम्भावना है । यह ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो शोध या हवाले के लिये इसका अध्ययन करेंगे, एक प्रकार का संदर्भ ग्रंथ है । इसलिए मुख्य रिपोर्ट का सस्ता संस्करण निकालने का कोई विचार नहीं है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की संक्षिप्त रिपोर्ट निकल चुकी है, जिसमें रिपोर्ट की मुख्य बातें सुपाठ्य और सरल भाषा में दी गई हैं। इसके अंग्रेज़ी और हिन्दी संस्करणों की कीमत क्रमशः १·५० रुपये और १·०० पये है । संक्षित रिपोर्ट के संस्करण और भारतीय भाषाओं में भी तैयार हो रहे हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना के विभिन्न पहलुओं पर कुछ अन्य सस्ते और सरल प्रकाशन जिनमें फोल्डर पुस्तिकाएं आदि होगी तैयार हो रहे हैं और उनकी कीमतें बहुत ही कम रखी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली के बल्बों के मूल्य

४१. {श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में बिजली के बल्वों की कीमत बहुत बढ़ गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कुछ कार्यवाही करना चाहती है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) बिजली के बल्बों के मूल्य पिछले तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क, परिवहन व्यय और पैकिंग के सामान की कीमतें बढ़ जाने तथा अन्त र्ज्यीय बिक्री कर के प्रभाव के कारण बढ़ गये हैं । कुछ किस्मों जैसे कम वाट वाले बल्वों, फ्लुयरसेंट ट्यूबों का संभरण कम होने के करण उनके खुदरा मूल्य सामान्य खुदरा मूल्यों से कुछ अधिक हो गये हैं ।

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये बिजली के बल्वों के निर्माताओं से यह कहा गया है कि वे अपनी स्वीकृत लाइसेंस क्षमता के एक तिहाई भाग तक कम वाट वाले बल्व तैयार करें और अपने द्वारा बनाये गये मूल्य की सूची का विज्ञापन भी करें। बिजली के बल्वों का निर्माण करने की कुछ और अधिक क्षमता के लाइसेंस भी दे दिये गये हैं ।

तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १२(घ) के अधीन तटकर आयोग से निवेदन किया गया है कि वह मूल्य के ढांचे की जांच-पड़ताल करे और विभिन्न किस्मों के बिजली के बल्बों के उचित विक्रय मूल्यों के बारे में अपनी सिफारिश दें । जांच-पड़ताल की जा रही है ।

रेयन लुगदी का निर्माण

४२. {श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की खोई से रेयन लुगदी बनाने की योजना सरकार ने बनाई थी, लेकिन बाद में वह छोड़ दी गयी ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन कारणों से छोड़ दी गयी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी नहीं । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एक ऐसी योजना बनाना चाहता था परन्तु विदेशी विशेषज्ञों से मिले प्रतिवेदनों से कट हुआ कि अभी इतना प्रौद्योगिकीय विकास नहीं हुआ है कि उस की सहायता से गन्ने की खोई से व्यापारिक आधार पर रेयन वर्ग की लुगदी बनाने का कारखाना खोला जा सके। इस प्रकार का कारखाना सन्तोषजनक रीति से स्थापित करने से पहले अभी बहुत सी बड़ी-बड़ी तकनीकी समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी, इसलिये यह योजना छोड़ दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में बड़ा उद्योग

४३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में किसी बड़े उद्योग की स्थापना का विचार सरकार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह प्रारूप क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बहुत से बड़े उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इनमें ऋषिकेष में एन्टीबायोटिक्स का कारखाना, गोरखपुर में उर्वरक का कारखाना, रानीपुर में भारी बिजली परियोजना, वाराणसी में डीजल इंजन परियोजना, चुर्क में रिफ्रेक्टरीज़ प्लान्ट, लखनऊ में प्रीसीजन इन्स्टरूमेंट फैक्टरी का विस्तार और गाज़ीपुर में सरकारी अलकोलायड कारखाने का नवीनीकरण शामिल है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार द्वारा राज्य की तीसरी योजना के मसौदे में प्रस्तावित बड़ी बड़ी औद्योगिक योजनाएं संलग्न सूची के अनुसार हैं ।

सूची

राज्य सरकार ने निम्नलिखित उद्योगों को केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है :—

१. एन्टीबायोटिक फैक्टरी ।
२. नेत्रजन उर्वरक कारखाना ।
३. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेंट फैक्टरी ।
४. प्रीसीजन इन्स्टरूमेंट फैक्टरी ।
५. हेवी मशीन टूल फैक्टरी ।
६. हेवी कम्प्रेसर और पम्प फैक्टरी ।
७. बाल और रोलर बेरिंग फैक्टरी ।
८. बेसिक रिफ्रेक्ट ीज फैक्टरी ।
९. आपथैलमिक ग्लास फैक्टरी ।
१०. पत्थर के कोयले को बनाने के लिए कारबोनाइज़ेशन प्लान्ट ।
११. बिजली और डीज़ल के इंजन ।
१२. रेल के डिब्बे ।
१३. डीजल की कारें ।
१४. संचार सम्बन्धी सामान ।

राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव दिया गया था :—

१. उत्तर प्रदेश भारी उद्योग निगम की स्थापना ।
२. औद्योगिक बस्तियों की स्थापना ।
३. सरकारी प्रीसीजन इन्स्टरूमेंट फैक्टरी का विस्तार ।
४. चुर्क में रिफ्रेक्टरी फैक्टरी की स्थापना ।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग

†४४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर लोक निर्माण विभाग की लौहे की नालीदार चादरों, इस्पात और सीमेंट का माल समय पर न छुड़ा पाने के कारण मनीपुर प्रशासन के स्टोर्स तथा वर्कशाप विभाग को ३०,००० रुपये का विलम्ब-शुल्क भरना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस भूल और लापरवाही के लिये उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) मनीपुर राज्य परिवहन ने नौका-भरण प्रभार के लिये २३,४५१ रुपये का एक बिल मनीपुर लोक निर्माण विभाग के पास भेजा था, जिसे मनीपुर लोक निर्माण विभाग ने स्वीकार नहीं किया है । मनीपुर राज्य परिवहन और लोक निर्माण विभाग के बीच अभी इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अम्बर चरखा

†४५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने अम्बर चरखे वितरित किये गये और अब कितने अम्बर चरखे चल रहे हैं ;

(ख) क्या उनको चलाने में पड़ने वाली यंत्र सम्बन्धी कठिनाइयों और खामियों को दूर किया जा चुका है ; और

(ग) क्या उसे देहाती क्षेत्रों के बुनकरों की क्षमता के अनुरूप ढाल लिया गया है और क्या चरखों के उपयोग के स्थान के निकटस्थ केन्द्रों में उनकी मरम्मत का प्रबन्ध किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी तक अम्बर चरखों के ३,२१,००० सैट वितरित किये जा चुके हैं और अनुमान है कि उनमें से १,९२,००० चरखे अभी काम कर रहे हैं ।

(ख) वितरित किये गये चरखों की यंत्र सम्बन्धी कठिनाइयों और खामियों को दूर करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) उत्पादकता में वृद्धि करने और चलाने के शारीरिक श्रम को कम से कम करने की दृष्टि से वर्तमान अम्बर चरखे में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रयास इस बात का भी किया जाता है कि मरम्मत के सेवा-केन्द्रों आम तौर पर चरखा-केन्द्रों के निकट ही रख जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों का मूल्य-निर्धारण

†४६. **श्री खोमजी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य-निर्धारण किन किन उद्योगों पर लागू होता है ;

(ख) किन-किन उद्योगों के लिये निर्धारित मूल्यों में एकरूपता है और किन-किन उद्योगों में विभिन्न इकाइयों के लिये निर्धारित मूल्य भिन्न-भिन्न हैं ; और

(ग) कुछ उद्योगों में विभिन्न मूल्य निर्धारित करने का क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सरकार ने एसिटेट रेयन सूत, लम्बे रेशे वाली रूई, वर्स्टेड होजिरी सूत और माल, सीमेंट, रबर के कच्चे माल, एलुमिनियम, जस्ता, लोहा और इस्पात, रबर के टायर तथा ट्यूबों, एथिल एलकोहल, कोयला और कोक, कागज, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कैलशियम कारबाइड, क्लोरीन तथा क्लोरीन-उत्पादों के मूल्य निर्धारित किये हैं। सरकार ने मोटर-गाड़ियों, मोटर साइकिलों, स्कूटरों और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर भी अनौपचारिक नियंत्रण किया है ।

(ख) और (ग). सारे देश में विक्रय-मूल्यों में एकरूपता है । लेकिन सीमेंट और इस्पात उद्योगों में विक्रय मूल्यों में एक रूपता होते हुए भी, सरकार ने सीमेंट कारखानों में विभिन्न कारखाना-मूल्यों और कुछ इस्पात कारखानों में विभिन्न संधारण मूल्यों की अनुमति उनकी ऊंची लागत को देखते हुए दे दी है ।

कोयला और कोक उद्योग के मूल्य एक प्रदेश में एक रूप हैं । पूरे बंगाल/बिहार क्षेत्र में एक से मूल्य हैं और पूरे मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र में दूसरे मूल्य एकरूपता से निर्धारित किये गये हैं। केवल आसाम के कुछ कोयला क्षेत्रों में अलग अलग इकाइयों के लिये विभिन्न मूल्य निर्धारित किये गये हैं।

एथिल एलकोहल का बुनियादी मूल्य एक ही है, परन्तु भट्टियों तक शीरे के परिवहन का वास्तविक औसत व्यय अधिक होने पर कुछ अतिरिक्त मूल्य की भी अनुमति दे दी जाती है ।

निर्यात

†४७. **श्रीमती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहनकारी उपायों के फलस्वरूप निर्यात से होने वाली आय के संवर्धन में मिली सफलता का मूल्यांकन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसके मूल्यांकन का एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). जी, नहीं । सरकार ने एक आयात-निर्यात नीति समिति' नियुक्त कर दी है और उसके पद-निर्देशों में से एक यह भी है कि वह निर्यात-संवर्धन के उपायों की सफलता का लेखाजोखा करती रहे। इस समिति का प्रतिवेदन मिलने पर ही निर्यात-संवर्धन उपायों का मूल्यांकन सुलभ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारी कागज का आयात

†४८. **श्री हेम बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी' के सभापति के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि अखबारी कागज के बढ़ते हुये वर्तमान संकट को देखते हुये सोसाइटी को सीधे अमरीका से अखबारी कागज का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). 'इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी' के सभापति ने अमरीका से अखबारी कागज का सीधा आयात करने की अनुमति के लिये सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है। अखबारी कागज को एक बड़ी मात्रा में आयात करने का वर्तमान प्रबन्ध सोसाइटी के साथ परामर्श करके ही किया गया था।

एशियाई और सुदूरपूर्वी क्षेत्र में व्यापार

†४९. **श्री हेम बरुआ** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकांक में हाल में होने वाली ई० सी० ए० एफ० ई०' की सभा द्वारा नियुक्त विशेष दल ने एशियाई और सुदूरपूर्वी प्रदेशों के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाये हैं ; और

(ख) यदि हां, वे सुझाव क्या हैं और इस प्रस्तावित सहयोग से भारतीय व्यापार को किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). भारत सरकार के पास अभी तक उस दल का प्रतिवेदन नहीं आया है।

निर्यात

†५०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के निर्यात-बाजार के संबंध में कोई गवेषणात्मक अध्ययन कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के लिये कौनसा तरीका अपनाया गया था और इसकी मुख्य मुख्य विशेषतायें क्या हैं और उसकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हा। सरकार ने अभी तक विदेशी बाजारों में ७२ बाजार-सर्वेक्षण किये हैं।

(ख) साधारणतया विदेशों में स्थित विशेषीकृत अभिकरणों द्वारा ही बाजार-सर्वेक्षण कराये जाते हैं, और जिन देशों में ऐसे अभिकरण नहीं मिलते उन देशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधि ही यह काम करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन सर्वेक्षणों से पता चल जाता है कि किसी वस्तु विशेष की अधिक बिक्री के लिये आम तौर पर कितनी गुंजाइश मौजूद है। सर्वेक्षणों से यह भी पता चल जाता है कि बाजार का आकार कितना बड़ा है, घरेलू उत्पादन कितना है, मांग के क्या एम्पान हैं, अन्य देशों के साथ कितनी प्रतियोगिता होने की संभावना है, उपभोक्ता कैसी वस्तुओं को पसन्द करते हैं, वहां मूल्यों की क्या स्थिति है, उसकी आयात नीति क्या है, आयात शुल्क कितना है, वितरण के साधन क्या हों और प्रचार इत्यादि किस प्रकार किया जाना चाहिये। बाजार-सर्वेक्षण की प्रतियां संबंधित भारतीय निर्यातकों में बांट दी जाती हैं।

मिल के बने कपड़े के मूल्य

†५१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन प्रेस समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है जिनके अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मिल के बने कपड़े के वर्तमान मूल्य काफी ऊंचे चढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और क्या सरकार ने इस असाधारण मूल्य-वृद्धि के कारण खोजने का प्रयास किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सरकार को ऐसा कोई भी समाचार नहीं मिला है। 'भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ' की सहमति से मूल्य विनियमन की ऐच्छिक योजना पहले-पहल सितम्बर १९६० में प्रभावी बनाई गई थी। उस योजना में व्यवस्था थी कि अगस्त १९५९ के मूल्यों में एक अधिकतम निर्धारित सीमा तक कारखाना-मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है। संविधि द्वारा व्यवस्था की गई थी कि मिलों को वे मूल्य अनिवार्य रूप से कपड़े के थानों पर चिन्हित करने पड़ेंगे। रूई के संभरण की स्थिति सुधरने पर संघ के साथ वार्ता की गई थी और उसके फलस्वरूप १ जनवरी, १९६१ से मूल्य विनियमन की एक पुनरीक्षित योजना प्रभावी बनाई गई थी। इस नयी योजना में, पहले की योजना की तुलना में कुछ कम प्रतिशत मात्रा की अनुमति दी गई थी। सूती कपड़ा आयुक्त से मिले समाचारों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं को साधारणतया चिन्हित मूल्य पर कपड़ा मिल रहा है। इसलिये गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मूल्य वास्तव में कम हैं।

जट का व्यापार

†५२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जूट व्यापार में निर्माण तथा व्यापार की दशाओं में स्थायित्व लाने के उपाय करने का प्रयास कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उनकी एक रूपरेखा बतायें, विशेषकर उन उपायों की जिनके द्वारा सरकार उत्पादन में आने वाले व्यवधानों और मूल्यों के उतार-चढ़ावों की रोक-थाम करने की कोशिश कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जूट उद्योग में अस्थायित्व की दशा को मिटान की समस्या का हल यही है कि देश में जूट का उत्पादन बढ़ाया जाये। इसके लिये मुस्तैदी से उपाय किये जा रहेहैं। मूल्यों के स्थिरीकरण के लिये उपयुक्त कार्यवाही के रूप में, जूट उद्योग हाल में अतिरिक्त भंडार अभिकरण बनाने जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में पारपत्र-प्रपत्रों की चोरी

†५३. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है (जैसा कि ६ अक्तूबर, १९६१ के 'स्टेट्समैन' में समाचार है) कि हाल में कलकत्ता-स्थित भारत सरकार के कार्यालय से पारपत्रों के कई प्रपत्र गुम हो गये हैं ;

(ख) क्या हाल में कुछ व्यक्ति जाली पारपत्र लेकर विदेशों में यात्रा करते पाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) कलकत्ता-स्थित प्रादेशिक पारपत्र तथा उत्प्रवास कार्यालय से जुलाई, १९६१ में १६ पारपत्र पुस्तिकायें गुम होने का समाचार मिला था ।

(ख) और (ग). हाल में जारी पारपत्रों के आधार पर विदेश यात्रायें करते हुये कुछ व्यक्तियों का पता चला है। उनके मामलों की जांच पुलिस कर रही है।

गोआ को मनीआर्डर भेजना

†५४. **श्री हेम बनआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोवा और भारत में स्थित अन्य पुर्त्तगाली बस्तियों को भेजे जाने वाले मनीआर्डरों पर १९५५ से लगे हुये प्रतिबन्धों को वापस लेने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन बुनियादी तथ्यों पर आधारित है ?

†**प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) भारत और गोवा के डाक प्रधिकारियों के बीच हुये एक समझौते के फलस्वरूप, १५ अक्तूबर, १९६१ से गोवा, डामन और डियू को भारत की ओर से भेजे जाने वाले मनीआर्डरों पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं। भारत सरकार ने मुख्यत: विभाजित परिवारों को होने वाली असुविधाओं को देखकर ही यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का अवकाश-वेतन

†५५. **श्री नेकराम नेगी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को छुट्टी से वापस आने के बाद महीनों तक वेतन नहीं मिलता ;

(ख) यदि हां, तो १-१-१९६१ से ३१-८-१९६१ के दौरान छुट्टी पर जाने वाले (गजटेड और नान गजटेड अलग-अलग) कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनकी छुट्टियों की (अलग-अलग) अवधि कितनी है ;

(घ) प्रत्येक को किस तिथि /तिथियों को (हर महीने में) अवकाश-वेतन अदा किया गया ; और

(ङ) यदि भाग (क) का उत्तर सकारात्मक हो, तो सरकार इस मामले में स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। केवल कुछ ही मामलों में, जिनमें कि अधिकारी लोग औपचारिक रूप से मंजूरी लिये बिना छुट्टी पर चले जाते हैं या छुट्टियां बढ़वाते हैं, अवकाश-वेतन की अदायगी में विलम्ब होता है।

(ख) से (घ). विवरण 'क', 'ख' और (ग) संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—३२६० / ६१]

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नौकरों के क्वार्टरों में सफेदी

†५६. श्री नेकराम नेगी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ और साऊथ एवेन्यु नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के नौकरों के क्वार्टरों की पिछले दो साल से सफेदी नहीं हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों का आस पास बहुत गन्दा है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अधिकारी इन क्वार्टरों की देख-रेख का समुचित ध्यान नहीं रखते; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण और सरकार का इस विषय में क्या पग उठाने का विचार है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) से (ग). नार्थ और साऊथ एवेन्यु के कुछ नौकरों के क्वार्टरों की सफ़ेदी हर साल हुई है। कुछ में नहीं हो सकी, क्योंकि निवासियों ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सफ़ेदी करने के लिए अवसर नहीं दिया। विभाग उन्हें कह रहा है कि वे अन्दर की सफ़ेदी करने दें। इन सब क्वार्टरों में हर साल बाहर की रंगाई भी की जाती है। इस साल भी की जायेगी।

विभाग आस पास साफ़ रखने के लिए सब प्रयत्न कर रहा है। सांझी टट्टियों और गुस्लखानों का कभी-कभी ठीक प्रयोग नहीं होता और असावधानी बरते जाने के कारण टट्टियों के नल और टैंक प्रायः टूटते रहते हैं।

संसद् सदस्यों के नौकरों के क्वाटरों में पानी के नल

†५७. श्री नेक राम नेगी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण, आवास और संभरण, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद्-सदस्यों के नौकरों के क्वार्टरों में पानी के नल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) से (ग). हर तीन क्वार्टरों के लिए गुस्लखाने में एक सांझा नल होता है। इस से तीन क्वार्टरों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसलिए प्रत्येक क्वार्टर में नल लगाने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में क्वार्टरोंमें सफेदी

†५८. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में वार्षिक सफ़ेदी अभी शुरू नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

(ग) सरकार का कब काम हाथ में लेने का विचार है ?

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) से (ग). सफ़ेदी का काम शुरू करने में कुछ देर हुई है, क्योंकि बार बार प्रयत्न करने पर भी टेंडर नहीं आये। तथापि काम शुरू कर दिया गया है और यथासंभव शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दिया जायेगा।

चाय बागान का सर्वेक्षण

†५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वैज्ञानिक अध्ययन दल ने हाल में तराई चाय बागान का इसलिए दौरा किया है कि उस क्षेत्र में पैदावार कम होने के कारण क्या हैं और साधारण चाय में सुधार के लिए क्या उपाय किये जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस दल ने क्या सिफ़ारिशें की हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†६०. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में २५० से ४९९ रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को किस श्रेणी के क्वार्टर मिल सकते हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या;

(ग) क्या ऐसे बहुत से कर्मचारी 'जी' श्रेणी के क्वार्टरों में और उस से निचली श्रेणियों के क्वार्टरों में रह रहे हैं और बहुत से कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये;

(घ) ऐसे कर्मचारियों की अलग अलग संख्या;

(ङ) क्या सरकार का उन्हें उचित श्रेणी के क्वार्टर देने का विचार है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इस के कारण ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) 'ई' और 'एस ई' श्रेणियां।

(ख) ८,१४२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). (१) 'ई' और 'एस ई' श्रेणी के क्वार्टरों के अधिकारी उन कर्मचारियों की संख्या जो उचित श्रेणी से निचली श्रेणी के क्वार्टरों में रह रहे हैं २,०२१

(२) जिन्हें कोई सरकारी मकान दिया गया . . . १,९३८

(ङ) से (छ) तक. प्रत्येक श्रेणी के मकानों के लिए योग्य अधिकारियों की 'प्राथमिकता तिथियों' के अनुसार अलग-अलग सूचियां रखी जाती हैं। क्वार्टर बारी आने पर दिये जाते हैं।

धारवाड़ (मैसूर) में प्रसारण उपकरण

†६१. श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धारवाड़, मैसूर राज्य प्रसारण केन्द्र पर एक अधिक शक्तिशाली प्रसारण उपकरण स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यह कब पूरा हो जायेगा;

(घ) क्या यह सच है कि शीतोष्ण-नियंत्रित सामान और शार्ट वेव ट्रांसमिटर इस केन्द्र से अहमदाबाद, गुजरात भेज दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण; और

(च) क्या धारवाड़ में लगाया जाने वाला सामान शार्ट वेव या मीडियम वेव होगा ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (च). धारवाड़ में एक बहुत ही शक्तिशाली १० किलोवाट का मिडियम वेव ट्रांसमिटर लगाने का फैसला किया गया है। भूमि अर्जन के लिए भी कार्यवाही की गयी है। मशीनरी भी भारत आ चुकी है। भूमि के मालिकों ने मैसूर हाई कोर्ट में दावा दायर कर दिया था, इसलिए देर हो गयी है। हमारे अभ्यावेदन पर अदालत ने स्थगन आदेश वापिस ले लिया है और अब कार्य समुचित रूप से चल रहा है।

इस से पूर्व धारवाड़ में इतना शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगाने की जब कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती थी तो २.५ किलोवाट का शार्ट वेव ट्रांसमिटर वहां लगाया गया था। अब जब कि १० किलोवाट का ट्रांसमिटर लग रहा है तो इस बात की तुरन्त बड़ी आवश्यकता है कि दार्जलिंग के कोलिंगपोंग के स्थान पर एक शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगाया जाय। शार्ट वेव मशीनरी को दार्जलिंग के कूरसियोंग में भेज दिया गया है। यहां के सीमावर्ती जिलों की सेवा के लिए इसका निर्माण किया गया है।

आशा है कि शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमिटर धरवर में आगामी छः अथवा आठ मास में बन कर तैयार हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी सरकारों को मान्यता दिया जाना

†६२. **श्री प्र० ना० सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने विभिन्न देशों को मान्यता प्रदान करने में क्या तरीका या तरीके अपनाये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** अन्तर्राष्ट्रीय विधि में यह जरूरी नहीं है कि राज्य दूसरे को मान्यता दें । अपने हितों और शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाने की नीति को ध्यान में रखते हुए, दूसरे देशों को मान्यता प्रदान करना कोई सरकार अपने विवेकानुसार करती है ।

सामान्य रूप से लागू करने के लिए कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किये जा सकते । तथ्य, परिस्थितियां और राजनीतिक पहलू हर अवसर पर बदलते रहते हैं । किसी देश को मान्यता प्रदान करने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ।

मोटे तौर पर, इस विषय में भारत सरकार जिस सामान्य सिद्धांत का अनुसरण करती है, वह यह है कि किसी राज्य या सरकार को राष्ट्र संघ का सदस्य बनने पर वैध रूप से मान्यता प्रदान की जाये ।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

†६३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश अर्थशास्त्रीय जानकारी यूनिट ने एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की है जिस में कहा गया है कि ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बनने से भारत के चाय निर्यात को लाभ पहुंचेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यूनिट के प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचारों का अध्ययन किया है; और

(ग) सरकार किस हद तक इन विचारों से सहमत है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार को ११ अगस्त, १९६१ को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है ।

कुवैत राष्ट्रसंघ में सदस्य के रूप में

†*६४. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुवैत के प्रतिनिधि शिष्ट मंडल को वचन दिया था कि वह इसके राष्ट्रसंघ की सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). गत मास कुवैती शिष्टमंडल के सामने राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में भारत सरकार ने कोई निश्चित नीति व्यक्त नहीं की थी। यदि कुवैत राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र दे, तो उस समय इस प्रश्न पर भारत सरकार अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी।

भूटान में काम करने वाले केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी

†६५. क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान में काम करने वाले केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए राशन और डाक्टरी सहायता का उचित प्रबन्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि भूटान को उन कर्मचारियों के लिए ऐसा स्थान घोषित किया गया है जहां वे परिवार नहीं रख सकते ; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों की संख्या क्या है जो भूटान में अपने परिवार रख रहे हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अ० कु० चन्दा) : (क) जी नहीं, यह सच नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्

†६६. श्री चुनी लाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने इस काम के लिए एक समिति स्थापित की है कि बढ़े हुये उत्पादन के लाभ को श्रमिकों और प्रबन्धकों में बांटने के लिए एक सूत्र निकाला जाय ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि कितने हैं ; और

(ग) समिति अपना काम कब समाप्त कर लेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम सूची में दिये गये हैं। उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि तीन हैं।

सूची

१. श्री नवल एच० टाटा निदेशक टाटा सन्ज़ लि०, बम्बई।	सभापति
२. श्री भरत राम दिल्ली क्लाथ मिल्ज़ नई दिल्ली	

†मूल अंग्रेजी में

३. श्री बाबूभाई एम० चिनाई
संसद सदस्य
बम्बई

४. श्री माइकल जान संसद सदस्य
अध्यक्ष
इन्डियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (श्रम)
जमशेदपुर

५. श्री एस० एस० मिराजकर
अध्यक्ष
आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रस (श्रम)
बम्बई--२२

६. श्री जी० एल० ओझा संसद सदस्य (श्रम)
नई दिल्ली

७. श्री जे० एन० श्रीनगेश
अध्यक्ष
हिंदुस्तान स्टील लि०, रांची

८. श्री करनैल सिंह
अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
नई दिल्ली

९. श्री ओमर एल० डी० विट्ट
नेता, जार्ज फाई टीम
राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्
नई दिल्ली

१०. श्री एम० के० रुस्तमजी
लेखा नियंत्रक
टेलको, जमशेदपुर

११. श्री बी० एन० दातार
श्रम तथा रोजगार सलाहकार
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
नई दिल्ली

१२. श्री एच० डी० शोरी
कार्यपालिका निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
नई दिल्ली

१३. श्री दलीप सिंह
प्रशिक्षण निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
नई दिल्ली

(ग) आशा है कि समिति १९६१ के प्रारम्भ में प्रतिवेदन तैयार करेगी

अग्नि नरोधक रासायनिक मिश्रण

†६७. **श्री कुम्भार :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री फस और चारे को अग्नि-निरोधक बनाने के लिये अग्नि निरोधक रासायनिक मिश्रण के बारे में ६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८० के उत्तर के सम्बन्ध में प्रयोगों का परिणाम बताने की कृपा करेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) :** वन गवेषणा संस्था देहरादून में किये गये प्रयोगों से यह मालूम हुआ है कि संस्था में, तैयार किये गये रासायनिक तत्व से छप्पर की घास कों विनष्टि और आग से बचाया जा सकता है। किन्तु अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह विधि उपयागी नहीं है क्योंकि कुछ रसायन निरर्थक हा जाते हैं। छप्पर बनाने की घास को अग्नि से रक्षित स्वरूप प्रदान करने के लिये घास को दबा कर उपयुक्त साइज के बोर्डों में बदलने का प्रयत्न किया गया था। यह प्रयोग अत्यन्त सफल सिद्ध हुए हैं। इस विषय में अभी और जांच की जा रही है।

जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों का प्रवेश

†६८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर की कुछ घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान गया है कि जिनके अनुसार सशस्त्र सैनिक का समर्थन प्राप्त कर पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय सीमा में जम्मू के निकट पानीर क्षेत्र में मोमल ग्राम में घुस कर फसल काट ली थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) केवल एक घटना की रिपोर्ट मिली है।

(ख) हमारी पैट्रोल सेना द्वारा चेतावनी देने पर पाकिस्तानी नागरिक युद्ध-विराम पंक्ति के पार लौट गये।

गुजरात में उद्योग

†६९. **श्री क० उ० परमार :**
श्री याज्ञिक :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि गुजरात में सरकारी उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत किसी वृहद् उद्योग को स्थापना की जाये।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार गुजरात में सरकारी उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत पैट्रोकैमिकल उद्योग प्रारम्भ करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि गुजरात में छोटी कारों का निर्माण अथवा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी अन्य सरकारी क्षेत्रीय उद्योग की स्थापना पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाये। यह गुजरात के प्रस्तावित तेल शोधनशाला से पृथक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). भारत में पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का विकास किस रूप में किया जाये अभी यह विचाराधीन है। इस प्रकार के उद्योगों की गुजरात में अथवा अन्यत्र स्थापना के प्रश्न पर समुचित अवसर पर विचार किया जायेगा ।

प्रेस सूचना कार्यालय

†७०. **सरदार अ० सि० सहगल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रैस सूचना कार्यालय में काम करने वाले असिस्टेंट जर्नलिस्ट की न्यूनतम अर्हतायें, अनुभव, कार्य और वेतन स्तर क्या हैं ;

(ख) इनमें उर्दू और हिन्दी विभागों में पृथक-पृथक कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) इनके काम की जांच और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किन पर है ;

(घ) इन निरीक्षकों (सुपरवाइजर्स) की निम्नतम अर्हताएं, अनुभव, कार्य और वेतन स्तर क्या हैं ; और

(ङ) जिन अधिकारियों के समक्ष असिस्टेंट जर्नलिस्ट अपने कार्य के लिये अन्तिम रूप से उत्तरदायी हैं उनकी निम्नतम अर्हताएं, अनुभव, कार्य और वेतन-क्रम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) प्रेस सूचना कार्यालय में असिस्टेंट जर्नलिस्ट के पद केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार में सम्मिलित कर लिये गये हैं। ग्रेड चार की न्यूनतम अर्हताएं, अनुभव, कार्य और वेतन-क्रम बताने वाला विवरण (विवरण १) संलग्न है। **[[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ख) प्रेस सूचना कार्यालय में ग्रैड चार के अन्तर्गत पद, जिनमें असिस्टेंट जर्नलिस्ट और इन्फार्मेशन असिस्टेंट शामिल हैं, निम्न प्रकार है :

हिन्दी	१९
उर्दू	१२

(ग) असिस्टेंट जर्नलिस्ट के काम की जांच और निरीक्षण वह अधिकारी करते हैं जिनके पास वह काम करते हैं। इस प्रकार के अधिकारी सामान्यतः असिस्टेंट इनफर्मेशन आफिसर होते हैं। कुछ स्थितियों में यह इनफर्मेशन आफिसर के साथ भी करते हैं।

(घ) असिस्टेंट इन्फर्मेशन आफिसर, इनफर्मेशन आफिसर और डिपुटी प्रिंसिपल, इनफर्मेशन आफिसर की निम्नतम अर्हताएं, अनुभव, काम और वेतन-क्रम इत्यादि बताने वाला एक विवरण (विवरण २) संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

छोटे पैमाने के उद्योग

†७१. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि संसाधनों की कमी एवं निर्यात क्षेत्र में अभावहीनता के फलस्वरूप छोटे पैमाने के अनेक उत्पादनकर्त्ता अपने उत्पादों को बाहर नहीं भेज सकते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जो लोग उत्पादन नहीं करते हैं किन्तु निर्माण करते हैं उन्हें स्वयं अपने वित्त और अनुभव के बल पर निर्यात व्यवस्था के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो छोटे पैमान के औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने वाले आयातकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि इन वस्तुओं की विदेशों में काफी मांग है और पर्याप्त विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) किन्हीं मामलों के अतिरिक्त निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत निर्यातकर्त्ता भी प्रोत्साहन के पात्र हैं ।

(ग) जो लोग उत्पादनकर्त्ता नहीं हैं किन्तु निर्यात करते हैं उनके लिये पहले ही अनेक निर्यात सम्वर्द्धन योजनाएं हैं । उत्पादकों द्वारा निर्यातकों के माध्यम से किये जाने वाले निर्यात के लिये भी आयात प्रोत्साहन उपलब्ध है ।

दिल्ली में फिल्म समारोह

†**७२. श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या दिल्ली में हुए फिल्म समारोह के लिये भारत के प्रमुख अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इनका क्या आधार था ; और

(ग) तामिलनाद के अनेक प्रसिद्ध कलाकारों की अनुपस्थिति के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). नई दिल्ली के भारत के द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सम्मिलित होने के लिये प्रमुख फिल्म कलाकार आमंत्रित किये गये थे । चलचित्र उत्पादन के तीनों पार्श्व के अधिक महत्वपूर्ण कलाकारों से परामर्श कर विशेष को चलचित्र उद्योग आमंत्रण भी भेजे गये थे । समारोह में मद्रास के अनेक प्रसिद्ध कलाकार उपस्थित थे । अधिकांश आमंत्रित कलाकार उपस्थित थे । मद्रास के दो अग्रणी कलाकार श्री एम० जी० रामचन्द्रन और श्रीमती पद्मनी आमंत्रित होने पर भी उपस्थित नहीं हो सके ।

जूतों का निर्यात

†**७३. डा० सामन्त सिंहार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० तथा १९६१ में अब तक भारत से कितनी संख्या में तथा कितने मूल्य के जूतों का निर्यात हुआ है ;

(ख) किन-किन देशों ने कितनी संख्या में तथा कितने मूल्य के भारतीय जूते खरीदे हैं ;

(ग) यह निर्यात व्यापार किस प्रकार किया जाता है और क्या कोई ऐसा संगठन है जो विभिन्न राज्यों में इस व्यापार का विकास करता है ; और

(घ) इस निर्यात व्यापार के लिये उड़ीसा से कितने मूल्य के जूते लिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). १९६० तथा जनवरी १९६१ में जूतों का निर्यात निम्न रूप में हुआ है :—

सैंकड़ों में जूतों की संख्या

सैंकड़ों में जूतों का मूल्य

देश	१९६०		१९६१ (जनवरी–अगस्त)	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
ब्रिटेन	९४५	२,३२९	७२६	१,७७०
रूस	४८४	१२,२२७	२९४	७,८७९
जर्मनी (पूर्व)	१३१	४,०५९	८	२३३
बहरीन	१२३	६९८	७५	३७७
कुवैत	१६६	१,०७०	१२१	८४४
अमरीका	५४८	१,४०९	५०९	१,३८९
मौरिशस	१२८	५३६	६४	९६
नाइजीरीया	९५	५१३	३०	१८०
सूडान	२१२	१,००५	५३*	३१५*
कनाडा	६०१	१,४९८	४१२	१,०८८
त्रिनिदाद	१६७	५३५	९३	३०३
अन्य देश	१,६२३	५,६४७	६८८	३,३४१
जोड़	५,२२३	३१,५४६	३,०७३	१७,८१५

(*केवल जुलाई, १९६१ तक)

(ग) जूतों के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए इन का निर्यात कोई भी निर्यातकर्त्ता कर सकता है। राज्य व्यापार करने वाले देशों को निर्यात राज्य व्यापार निगम करता है। रबड़ (कपड़े के जूतों समेत) के जूतों का निर्यात बढ़ाने की जिम्मेदारी रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् पर है जबकि चमड़े के जूतों का निर्यात करने की जिम्मेदारी चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् पर है। निर्यात का संवर्द्धन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

(घ) जूतों के उत्पादन वाले राज्य के आधार पर जूतों का निर्यात करने के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

कागज उद्योग

†७४. **डा० सामन्त सिंहार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बनाया गया काग़ज मजबूती, अधिक दिन तक चलने आदि आदि में घटिया किस्म का होता है;

(ख) क्या इस से देश के काग़ज उद्योग को पैकिंग में बहुत कठिनाइयां आई हैं;

(ग) काग़ज की किस्म सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार काग़ज किस्म नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह बोर्ड कब स्थापित हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). देश में बनाया गया विभिन्न प्रकार का काग़ज सामान्यतः भारतीय मानक संस्था तथा उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार होता है । इस देश में काग़ज अधिकांशतः छोटे रेशे वाली सामग्री जैसे बांस, घास आदि से बनाया जाता है । कुछ पश्चिमी देशों में काग़ज लम्बे रेशे वाली सामग्री जैसे पाइन, पोलर आदि से बनाया जाता है । लम्बे रेशे वाली सामग्री से बना काग़ज तुलनात्मक दृष्टि से निश्चित रूप से उत्तम होता है । इस देश में पैकेज उद्योग मुख्यतः देसी काग़ज का इस्तेमाल करता है । जब निर्यात के लिए पैक करन के लिए उत्तम किस्म के काग़ज की आवश्यकता होती है तो इसका इस्तेमाल करने वालों को इसके आयात के लाइसेंस दिये जाते हैं । उत्तम किस्म के काग़ज की कमी के कारण उद्योगों को असुविधा का सामना नहीं करने दिया जाता है । अपने मिलों में काग़ज की किस्म सुधारने के लिए कार्यवाही की जा रही है । विभिन्न मिलों से कहा गया है कि वह विदेशी विशेषज्ञों को काग़ज की किस्म सुधारने के लिए नियक्त करें ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर में पार्क

७६. **श्री बलराज मधोक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कस्तूरबा नगर (सेवा नगर) में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बस्ती में मार्केट के अन्दर एक छोटे से पार्क के अतिरिक्त कोई भी पार्क नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस बस्ती में पार्क बनाने के लिये कई प्लाट रखे गये हैं;

(ग) उन में अभी तक घास वगैरा लगा कर पार्क बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी; और

(घ) इन पार्कों के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). इन पार्कों को अभी तक बिना छना पानी उपलब्ध न होने के कारण विकसित नहीं किया गया। इस इलाके में बिना छने पानी के सम्भरण के लिए एक मुख्य लाइन के नल डालने का काम प्रगति पर है। ज्योंही ये निर्माण कार्य पूरे हो जायेंगे और बिना छना पानी उपलब्ध हो जायेगा, त्यों ही ये पार्क बना दिये जायेंगे।

नई दिल्ली के मोती बाग २ में मार्केट

७७. श्री बलराज मधोक क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के मोती बाग २ में कब मार्केट बनाई गई थी;

(ख) उस पर कुल कितनी लागत आई; और

(ग) उसकी दुकानें अभी तक अलाट न किये जाने के क्या कारण हैं, और उनके कब तक अलाट किये जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) ३१ जनवरी, १९६१

(ख) ६,१०,००० रुपये ।

(ग) सरकार ने निश्चय किया था कि नई बसाई गई बस्तियों के बाजारों को सम्बन्धित स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाये। नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने तो अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित बाजारों को अपन हाथ में ले लिया; परन्तु दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में इस मंत्रालय को सूचित किया है कि वह अपने क्षेत्रों में स्थित बाजारों को नहीं लेगा। मोतीबाग–२ का बाजार इन्हीं में से एक है। इस बाजार की दूकानों का नियतन (अलाटमेंट) राजसम्पत्ति निदेशालय द्वारा जल्दी ही कर दिया जायेगा।

दिनांक १३–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि

वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : दिनांक १३-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर के भाग (ख), पंक्ति ७ में अंक '३३०' के स्थान पर '३१५' पढ़ा जाये।

निधन संबंधी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि हमारे चार मित्र श्री बालासाहब सालुके, सरदार सन्त सिंह, श्री सुशील कुमार चटेरिया, और श्री बी० एस० हिरे का देहान्त हो गया है।

श्री बाला साहेब सालुके—सभा के सदस्य थे। उनका पूना में १० सितम्बर, १९६१ को ४१ वर्ष की अवस्था में देहावसान हुआ।

सरदार सन्त सिंह—आप भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। आप का देहान्त १३ सितम्बर, १९६१ को नई दिल्ली में हुआ।

श्री सुशील कुमार चटेरिया—आप प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। इन का बम्बई में ३ अक्तूबर, १९६१ को देहान्त हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बी० एस० हिरे : आप भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे । अन्मेरिम संसद के भी सदस्य रह चुके थे । आपका देहान्त धूलिया में ६ नवम्बर, १९६१ को हुआ ।

हमें इन मित्रों के निधन का महान् लोक है तथा मुझे पूरा विश्वास है कि उनके परिवारों के प्रति समवेदना प्रकट करने में सभा मेरा साथ देगी ।

मेरा निवेदन है कि शोक प्रकट करन के लिए सभा कुछ देर मौन खड़ी रहे ।

तत्पश्चात् सभासद एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्ताव

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में सामुदायिक दंगे

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बहुत से स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है । जिन में से कुछ की अनुमति मैं ने नहीं दी है । मैं पहले स्थगन प्रस्ताव संख्या १, ४ और १८ को लेता हूं ।

स्थगन प्रस्ताव संख्या १ श्री वाजपेयी का है जिस में उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अभी हाल में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उन से प्रकट है कि सरकार जातीय भेदभाव और फिरकापरस्ती को रोकन में असमर्थ रही है । इन दंगों से यह भी स्पष्ट है कि न केवल हमारी राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुंचा है बल्कि अलीगढ़ और उसके आस पास उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विधि और व्यवस्था को भी खतरा पहुंचा है ।

स्थगन प्रस्ताव संख्या ४ और १८ भी इसी से मिलते जुलते हैं । स्थगन प्रस्ताव १७ भी ऐसा ही है । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** इस सवाल के दो पहलू हैं । एक पहलू तो स्वयं विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं से सम्बन्धित है, और दूसरा पहलू उन सांप्रदायिक दंगों से सम्बन्धित है जो विश्वविद्यालय से बाहर हुए और जिन के लिए विश्वविद्यालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है मैं कोई दायित्व नहीं ले सकता अथवा जो दंगे हुये हैं उन संबंधी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता । यह विधि और व्यवस्था का मामला है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में समुचित कदम उठाये हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस बारे में प्रश्न उठाये गये थे और वहां इनका उत्तर भी दिया गया था। जहां तक विश्वविद्यालय का मामला है यह प्रश्न सीमित प्रकार का है। चुनावों के समय विद्यार्थियों में परस्पर झगड़ा हो गया था । और उपकुलपति महोदय ने पूरे मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की थी । उस जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उपकुलपति महोदय ने उस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कार्यकारिणी परिषद् की एक अत्यावश्यक बैठक ही बुलाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

विश्वविद्यालय एक स्वशासी निकाय है। और एक स्वशासी निकाय आवश्यक कार्यवाही करने में सक्षम हुआ करता है। तथा आवश्यक पग उठाये जा रहे हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे पहलू का संबंध है उस बारे में उत्तर देना मेरा काम नहीं है। मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय के मामले के बारे में, जो कि एक स्वशासी संगठन है, यहां सभा में बार बार चर्चा करना अच्छा नहीं है क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। कुछ सुधार करने के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है। उस विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिये पीछे एक जांच समिति की स्थापना की गई थी और उस जांच समिति के प्रतिवेदन पर यहां सभी में अच्छी तरह विचार किया गया था। उस प्रतिवेदन में सुझाये गये उपबन्धों के बारे में सरकार विचार कर रही है।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में होने वाले दंगों की जांच के लिये सरकार ने जांच समिति की नियुक्ति क्यों नहीं की। विश्वविद्यालय के उन पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है जिन्होंने कि साम्प्रदायिकता के आधार पर होने वाले चुनावों को स्थगित नहीं किया। समाचार पत्रों से पता चलता है कि उपकुलपति ने प्रो-वाइस चांसलर से त्यागपत्र मांगा था लेकिन वहां गुट बन्दी होने के कारण प्रो वाइस चांसलर को गुट का समर्थन प्राप्त हुआ और सबने मिलकर उपकुलपति के विरूद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव ही प्रस्तुत कर दिया। अतः सारा मामला ही दबा दिया गया। यह तो ठीक है कि विश्वविद्यालय एक स्वशासी निकाय है लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह संस्था राष्ट्रीय एकता की नींव और धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों के लिये खतरा उत्पन्न करे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में सरकार के हाथ बंधे हुये हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह बात ठीक नहीं है कि सरकार के हाथ बंधे हुये हैं। सरकार पूर्णतः सजग है। और वह किसी भी संस्था को इस बात की अनुमति नहीं देगी कि वह राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न कर सके। यह विश्वविद्यालय एक स्वशासी निकाय है और इसके बारे में सरकार एक अधिनियम बना चुकी है। जिसके अनुसार इस विश्वविद्यालय को काफी स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता मिली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य विश्वविद्यालय में हुये दंगों और विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर हुये दंगों की घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामलों के बारे में सदन में पहले भी अच्छी तरह चर्चा हो चुकी है और इसकी जांच के लिये एक जांच समिति की स्थापना भी की गई थी जिसके सदस्य संसद् सदस्य भी थे। विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय सदस्यों द्वारा जो आरोप यहां लगाये गये थे वे झूठे साबित हुये। सरकार बार बार इस प्रयोजन के लिये जांच समिति की स्थापना नहीं कर सकती। यह कहा गया है कि उपकुलपति महोदय ने उन चुनावों को स्थगित क्यों नहीं किया। मेरा विचार है कि उन चुनावों का स्थगित न करना ठीक ही था।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ वह बहुत मामूली सी बात थी। बुरी बात तो वह थी जो अलीगढ़ अथवा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में हुआ। वहां कुछ भड़काने वाले व्यक्तियों ने स्थिति से लाभ उठा कर दंगे कराने में मदद दी। और उन घटनाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया गया किसी राज्य के नगरों में होने वाले दंगों एवं घटनाओं का दायित्व केन्द्रीय सरकार का नहीं है। वहां की विधि और व्यवस्था की जिम्मेदारी तो उस राज्य सरकार की है। जहां तक

†मूल अंग्रेजी में

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामलों की जांच की बात है उसके बारे में हम एक समिति पहले ही नियुक्त कर चुके हैं और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। लेकिन मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि सभा इस पर विचार करे। श्री वाजपेयी ने वहां के उपकुलपति तथा अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाया है जो अनुचित है। जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं और जो देश के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। क्योंकि उस आरोप के समर्थन में न तो कोई सबूत है और न कोई गवाही। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि माननीय सदस्य अपनी स्थिति का लाभ उठाकर उन लोगों के प्रति आरोप लगा रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन दोनों पहलुओं को अलग अलग रखना चाहिये। यह झगड़ा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के चुनाव को लेकर हुआ। एक दल की जीत हुई और एक दल की हार। फलस्वरूप एक दल ने दूसरे दल पर हमला किया। इसमें सरकार अथवा किसी पदाधिकारी का दोष नहीं है। रात्रि को एक दल के विद्यार्थी दूसरे दल के विद्यार्थियों के शिविरों में घुस गये। मैं समझता हूं कि वैसी स्थिति में उपकुलपति के लिये यह संभव नहीं था कि वह विद्यार्थियों को रोक सकते। इसके लिये शिक्षा मंत्री भी उत्तरदायी नहीं हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विभिन्न दुर्घटनाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि चुनावों के सिलसिले में विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय एवं अन्य नगरों में क्या हुआ। और तीसरी बात अलीगढ़ विश्वविद्यालय की वह सम्पूर्ण पृष्ठभूमि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं महत्व की है। शिक्षा मंत्री यह बता ही चुके हैं कि इस की पृष्ठभूमि के बारे में जांच की जा चुकी है। दरअसल उनका इरादा पिछली समिति के सुझावों एवं अन्य बातों को ध्यान में रख कर एक विधान प्रस्तुत करने का है। सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में परिवर्तन करने का प्रश्न महत्व का है और वह इस प्रकार नहीं किया जा सकता। अतः अब बाकी यह रह जाता है कि विश्वविद्यालय में क्या हुआ तथा अन्य दूसरे स्थानों पर विधि और व्यवस्था की क्या स्थिति रही।

†**श्री त्रिविव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : माननीय शिक्षा मंत्री को इस बात पर प्रकाश डालना चाहिये कि क्या विद्यालय में विद्यार्थी संघ का चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था। क्योंकि झगड़े की सारी जड़ यहीं से शुरू होती है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शुरू में ये चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर नहीं हुए थे क्योंकि मुझे जो कागजात दिखाये गये हैं उन से पता चलता है कि हिन्दू विद्यार्थियों ने मुसलमान विद्यार्थियों के नामों का प्रस्ताव किया और मुसलमानों ने हिन्दू विद्यार्थियों का। अतः विद्यार्थियों का यह मंशा न था कि ये चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर हों। लेकिन बाद में चल कर स्थिति बदल गई। सभी मुसलमान विद्यार्थी चुनाव में जीत गये और हिन्दू विद्यार्थी हार गये अतः बाद में चल कर इन चुनावों का आधार साम्प्रदायिक हो गया। फिर भी इस मामले की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। उपकुलपति ने एक समिति नियुक्त की थी उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये उपकुलपति ने एक अत्यावश्यक बैठक बुलाई गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ और कहने के लिये अब शेष नहीं है। माननीय सदस्यों का ऐसा विचार है कि वहां जो कुछ हुआ वह रोका जा सकता था। उसे साम्प्रदायिकता का रूप देने से बचाया जा सकता था। अतः उनका कहना है कि उस घटना की जांच करने के लिये एक न्यायिक समिति की स्थापना की जानी चाहिये। मैं यह मामला सरकार पर छोड़ता हूं। किसी न किसी रूप में यह मामला सभा के सामने आता रहा है। यहां सभा में पहले जिस बात पर विचार किया है उस से इस वर्तमान घटना का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मामला तो बिल्कुल ही अलग है। चूंकि इस मामले का श्री गणेश विश्वविद्यालय में हुआ अतः यह आवश्यक है कि इस संस्था से साम्प्रदायिकता की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाये। यदि कोई स्वतंत्र समिति इस मामले की जांच कर सके तो अच्छा होगा लेकिन इस बात का निर्णय सरकार कर सकती है। जहां तक स्थगन प्रस्ताव की बात है मैं समझता हूं कि इस विषय पर और विस्तृत रूप से वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं इसे अस्वीकृत करता हूं।

राजनीतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वाजपेयी ने चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय आधार पर प्रदत मान्यता को रद्द करने तथा ऐसे विभिन्न दलों को केवल राज्यीय आधार पर मान्यता प्रदान करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

वास्तविक स्थिति क्या है एवं वह किस प्रकार उत्पन्न हुई यह जानना अभीष्ट है।

†**श्री वाजपेयी** : ऐसा चुनाव के पहले किया गया है। चुनाव आयोग आगामी चुनावों के परिणामों तक आसानी से प्रतीक्षा कर सकता था। इस प्रकार का आधार अब बना सकता था और उसकी घोषणा चुनावों के बाद कर सकता था। कुछ विरोधी दलों की मान्यता, जो कि पिछले आम चुनाव में एक निश्चित प्रतिशत संख्या में मतदान प्राप्त कर चुके थे, और अखिल भारतीय आधार पर अपने दल की मान्यता प्राप्त कर सके थे, अब छीन ली गई है। वास्तव में देखा जाये तो आज कांग्रेस को छोड़ कर और कोई अखिल भारतीय दल नहीं है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : यह मामला पहले आता तो अच्छा होता। चुनाव मुख्य आयुक्त ने २५ अगस्त को अपने निर्णय की घोषणा की। यह घोषणा २४ अगस्त को सभी दलों के प्रतिनिधियों से एक बैठक में विचार विमर्श करने के बाद की गई थी और उस आदेश का स्थायी प्रारूप उस बैठक में परिचालित किया गया था। उस समय आपत्तियां सुनी गई थीं और कुछ मामलों की जांच की गई थी। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पिछले सत्र में तो उठाया नहीं लेकिन इस सत्र में उठाया है।

पिछले आम चुनाव में ऐसा हुआ कि कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर कार्य किया था उनका काम उतना अच्छा नहीं था जितना कि उन दलों का अच्छा था जिन्होंने कि राज्यीय स्तर पर काम किया था। अतः बराबर यह मांग की जा रही थी कि दलों की मान्यता सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किया जाये। ये नियम प्रथम आम चुनावों के समय बनाये गये थे।

मेरा निवदन है कि ये निर्णय मनमाने ढंग से नहीं किये गये थे वरन् मामले पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही किये गये थे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि पिछले आम चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अच्छा कार्य किया था। अतः चुनाव आयोग ने यह ठीक समझा कि इन नियमों पर फिर से विचार किया जाये क्योंकि यह मामला ये विभिन्न दल, जिन्हें गत चुनाव में अखिल भारतीय स्तर पर सफलता प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु जिसमें से कई दलों को तथाकथित अखिल भारतीय दलों की तुलना में कतिपय राज्यों में अच्छी सफलता मिली थी बार बार उठाते रहते हैं। प्रथम आम चुनाव के बाद बनाये गये नियमों में परिवर्तन करने की मांग बार बार की गई है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उदाहरण के लिये लोक सेवक संघ दल तथा स्वतंत्र दल ने बहुत से अभ्यावेदन दिये। इन सब पर विचार किया गया। पिछले चुनाव में जन संघ की प्रगति को ही लीजिये। आन्ध्र प्रदेश में यह दल राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकेगा लेकिन नये नियम के अनुसार आसाम, बिहार, गुजरात, मद्रास, मैसूर और पश्चिमी बंगाल में उसे अखिल भारतीय स्तर की मान्यता प्राप्त हो जायेगी। इस प्रकार उन्हें जो चिन्ह दिया जायेगा उसे वह प्रयोग में ला सकेंगे ताकि यदि वह कोई उम्मीदवार खड़ा करे तो उस उम्मीदवार को दल द्वारा मांगे गये चिन्ह को चुनने का सर्वप्रथम अधिकार होगा और कोई अन्य दल उस चिन्ह को न मांग सकेगा। बैलट से निर्णय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

साम्यवादी दल को मध्य प्रदेश, मैसूर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर समस्त भारत में अखिल भारतीय स्तर का दल माना जायेगा। उक्त राज्यों में इस दल का स्तर राज्य स्तर के दलों की तरह होगा। अतः मेरे विचार में इसमें कोई दिक्कत पैदा नहीं होती है। उन नये दलों को भी जिनकी शक्ति कुछ विशेष क्षेत्रों में ही सीमित है, तथा जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अखिल भारतीय दलों के मुकाबले अधिक अच्छा कार्य किया है उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार इन क्षेत्रों में मान्यता प्रदान की जायेगी।

†**श्री बलराज मधोक (दिल्ली नई)** : मेरे विचार से उस मापदंड को बदलने की, जिसे कि प्रथम और द्वितीय निर्वाचन के दिनों में मान्यता दी गयी थी, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई परिवर्तन करना आवश्यक था तो इसे उन निर्वाचनों के तत्काल बाद कर लेना चाहिये था। संभव है कि कुछ दलों ने १९५७ में केवल कुछ ही राज्यों में चुनाव लड़ा हो तथापि उसके पश्चात् से उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई हो। उदाहरणार्थ भारतीय जनसंघ जिसने आन्ध्र, केरल और कर्नाटक में १९५७ में कोई चुनाव नहीं लड़ा था वह इस समय वहां ५० प्रतिशत से अधिक सीटों के लिये चुनाव लड़ रही है। इस उपबन्ध के कारण इन दलों को काफी असुविधा पैदा हो जायेगी।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मान्यता देने का जो प्रश्न है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि चुनाव कमिशन ने ज्यादा अच्छा कानून बना दिया है क्योंकि मान्यता देने का जो सिद्धान्त अब तक रहा है वह कुछ कम मुफीद था। अब जो परिवतन हुआ है वह न्याय पर हुआ है और ठीक ही हुआ है।

श्री वाजपेयी : पहले अन्याय पर था ?

श्री राम सेवक यादव : हां, पहले अन्याय पर था। किसी दल की कहीं पर कोई शाखा हो या न हो, एक स्टेट में कुछ सीटों पर ही अगर उसे तीन परसेंट मत मिल जाये तो उसे मान्यता दे दी जाय, यह अन्याय है। अब चुनाव कमिशन ने जो निश्चय किया है वह नियम इन्साफ पर है और ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसेवक यादव]

लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा कानून मंत्री जी से । चुनाव आयोग ने एक यह चीज रखी है कि जो उम्मीदवार अपनी जमानतें खो देंगे उन के मतों का शुमार अगले चुनाव के लिये मान्यता देने के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा । ऐसे भी उम्मीदवार हैं और ऐसी भी मिसालें हैं जिनमें कि उम्मीदवारों ने अपनी जमानतें खोई हैं फिर भी वे जीत गये हैं और विधान सभा के सदस्य हुए हैं । ऐसी अवस्था में चुनाव आयोग का यह फैसला कि हम उनके मतों का शुमार मान्यता प्रदान करने के लिये नहीं करेंगे, यह अन्याय है । मैं चाहूंगा कि उनके मतों का भी शुमार किया जाय ताकि यह नियम और अच्छा बन जाय ।

श्री वाजपेयी : मेरा एक निवेदन है । पिछली बार चुनाव आयोग ने जो भी आधार तय किया था वह गलत हो या सही, उस आधार पर कुछ दलों को मान्यता दी गयी थी आल इंडिया पार्टी के रूप में । यदि इस आधार को बदलना था तो चुनाव कमिशन उस आधार की घोषणा आज कर सकता था और उसको चुनाव के बाद लागू कर सकता था । अब आप देखिये, केरल में भारतीय जनसंघ का सिम्बल किसी लिस्ट में नहीं है । केरल में अगर भारतीय जनसंघ का उम्मीदवार खड़ा हो तो वह टिपक का चुनाव चिन्ह नहीं ले सकता क्योंकि सिम्बल्स की जो सूची है वहां की, उसमें वह है ही नहीं ।

श्री रामसेवक यादव : वह पायेगा । आपकी जानकारी में यह चीज नहीं है ।

श्री वाजपेयी : यह स्थिति हमारे लिये चुनाव की दृष्टि से बहुत हानिकर है और मैं चाहता हूं कि चुनाव कमिशन इस फैसले पर फिर से विचार करे । वास्तव में चुनाव कमिशन की घोषणा ला मिनिस्टर महोदय की घोषणा से मेल नहीं खाती । मगर वह इसका समर्थन कर रहे हैं । क्यों कर रहे हैं, यह मैं नहीं समझता । हो सकता है कि कांग्रेस को लाभ हो रहा है, इसलिये कर रहे हों ।

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्य ने यह कहा है कि चुनाव कमीशन की घोषणा विधि मंत्री की घोषणा से मेल नहीं खाती है । वस्तुतः ऐसा कह कर उन्होंने हमारी चुनाव व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था प्रगट की है हम नहीं चाहते हैं कि हमारी चुनाव व्यवस्था सरकारी आदेशों के अनुरूप का करे हम चाहते हैं कि उसे यथासम्भव स्वाधीन रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय विधि मंत्री द्वारा दिये गये विस्तृत वक्तव्य को ध्यान में रख कर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव आयोग ने मनमानी की है । चुनाव आयोग को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह विभिन्न दलों से परामर्श करने के उपरान्त कुछ दलों या उनके चिन्हों को राज्य विशेष में ही मान्यता देवे । उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा कर्नल भट्टाचार्य को दोषसिद्धि

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि के क्या गम्भीर परिणाम होंगे और यह मामला किस स्थिति में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : कर्नल भट्टाचार्य को ८ वर्ष का लम्बा कारावास दिया गया है। इससे सरकार बहुत चिन्तित है। सरकार इस मुकदमे अथवा इस न्यायाधिकरण को न्यायोचित नहीं समझती है। अतः सरकार की स्थिति कठिन हो गई है। वह सीधे अपील भी नहीं कर सकती है। तथापि सरकार ने कर्नल भट्टाचार्य के सम्बन्धियों की इस कार्य में सहायता की है। उसके परिवार ने वकील नियुक्त किये तथा उन वकीलों ने ढाका जाकर पैरवी की। सरकार ने वित्तीय तथा अन्य प्रकार से उनकी सहायता की है तथापि स्वयं कोई कार्यवाही नहीं की है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे हमें संतोष नहीं हुआ है। वस्तुतः सरकार ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार ही नहीं किया है वास्तविकता यह है कि सरकार की उपेक्षा, संकोच तथा दुर्बल नीति के कारण ही पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मित्रता विरोधी व्यवहार का उल्लंघन करने का साहस हुआ है। यह बात प्रधान मंत्री को इस बात से भी स्पष्ट प्रगट होती है कि उन्होंने कहा है कि कर्नल भट्टाचार्य पदनिवृत्त सूची में हैं।

जहां तक यह प्रश्न है कि सरकार को इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये मेरा कथन यह है कि मामला कर्नल के पद का एक व्यक्ति भारतीय भूमि से सशरीर उठा कर बलात् पाकिस्तान ले जाया जाये और उस पर मुकदमा चला कर ८ वर्ष का दानवीय कारावास दिया जाये बहुत गम्भीर बात है तथा इससे न केवल वैदेशिक कार्य अपितु हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति पर भी आघात होता है। अतः मेरे विचार से यह विषय स्थगन प्रस्ताव के रखे जाने योग्य है। अतः हमें इस सम्बन्ध में अपना मत प्रगट करने और पाकिस्तान के प्रति अपना रोष प्रगट करने का अवसर दिया जाये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : जब कर्नल भट्टाचार्य का मामला पहिले पहल सभा में लाया गया तो उस समय उपमंत्री ने यह कहा था कि वे इस मुकदमे को मान्यता नहीं देते हैं अतः सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती है। अब ज्ञात होता है कि सरकार उसकी अपील करने के लिये उसके परिवार की सहायता कर रही है। तथापि अभी तक सरकार ने इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिये कोई उचित कार्यवाही नहीं की है। अतः इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : जब उस अदालत ने जिसको हम मान्यता नहीं दे रहे थे कर्नल भट्टाचार्य को आठ साल की सजा कर दी है तो उसका क्या यह अर्थ नहीं है कि पाकिस्तान वाले हमारी ही भूमि से हमारे किसी नागरिक को जबरदस्ती पाकिस्तान में ले जा कर सब कुछ कर सकते हैं? ऐसी सूरत में प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुस्तान की सरकार इस को एक लड़ाई का मौका मानती है या नहीं। इस को ऐसा मामला मानती है कि नहीं कि अगर पाकिस्तान हमारी बात को नहीं मानता है तो हम इस पर कड़ी कार्रवाई कर सकें। मेरा यह निश्चित सवाल है। केवल सरकारी बेंचों के लोग ही नहीं, इस मामले में हिन्दुस्तान का एक एक नागरिक चिन्तित है और सोचता है कि जब पाकिस्तान वाले हमारी अपनी जमीन से हमारे एक अफसर को इस तरह से ले जा सकते हैं और उसकी सजा कर सकते हैं, तो फिर कोई सुरक्षा की भावना कैसे रह सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा की जाये सरकार की जिम्मेदारी का पूरी तरह से विवेचन किया जाये।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : कर्नल भट्टाचार्य को सजा देने की घटना अभी हाल में हुई है। यह राष्ट्रीय महत्व रखती है और यदि आप इस विषय पर चर्चा के लिये अनुमति नहीं देंगे तो इसका पाकिस्तान के जनमत पर अच्छा प्रभाव नहीं होगा और उन में यह भावना दृढ़ होगी कि भारत की सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वे इस मामले में क्या राजनयिक कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विरोधी सदस्यों के तर्क इस बात पर आधारित हैं कि कर्नल भट्टाचार्य को सशरीर भारतीय क्षेत्र से उठा कर पाकिस्तान ले जाया गया । तथापि पाकिस्तान का कथन यह है कि वह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में थे और उन्होंने उन्हें जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया । उन्होंने यह मामला एक न्यायाधिकरण को सौंपा । यह एक सैनिक न्यायाधिकरण थी । वस्तुतः पाकिस्तान के न्यायिक क्षेत्र में ऐसी बातें होती रहती हैं जो भारतीय दृष्टिकोण से बहुत विचित्र प्रतीत होती हैं ।

अतः इस मुख्य प्रश्न पर, कि पाकिस्तानी अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया या भारतीय अधिकार क्षेत्र में, वहां के न्यायाधिकरण ने यह निश्चय किया कि उसे पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया ।

भारत सरकार को कई वक्तव्यों पर आश्चर्य हुआ है । श्री नाथपाई ने कहा है कि हम ने इस सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी नहीं ली है । यद्यपि मैं ने एक बार यह कहा था कि यह एक पदनिवृत्त कर्मचारी है तथापि मैं ने अपने वक्तव्य पर संशोधन कर लिया था ।

तथापि मामले के अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण हम ने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है । पाकिस्तान की सरकार तथा पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों से किये गये पत्र-व्यवहार की ओर काफी ध्यान दिया गया है ।

जहां तक इस सम्बन्ध में राजनयिक कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, हमारे उच्चायुक्त ने इस मामले पर बार बार कराची, रावलपिंडी और मरी में विदेश सचिव अथवा राष्ट्रमंडल सचिव तथा ढाका में स्थानीय अधिकारियों का ध्यान इस मामले की गम्भीरता की ओर आकर्षित किया है ।

प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार को इन विधि सम्बन्धी, या जो कुछ भी हों, कार्यवाहियों में हिस्सा लेना चाहिये । अतः हम ने यह निश्चय किया कि जब हम इस न्यायाधिकरण को मान्यता ही नहीं दे रहे हैं तो हमें इन कार्यवाहियों में भाग नहीं लेना चाहिये । तथापि हम ने आरम्भ से ही कर्नल भट्टाचार्य के परिवार को आर्थिक तथा अन्य दृष्टियों से भी सहायता प्रदान की । उन्होंने एक वकील भी नियुक्त किया । उनका नाम श्री घटक है । इस ने उनकी ओर से परवी की थी और अब वह भट्टाचार्य की ओर से अपील करने का विचार कर रहे हैं । मेरे विचार से सरकार इस से अधिक कुछ नहीं कर सकती थी ।

मेरे विचार से हमारे पास राजनयिक कार्यवाही के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। दूसरा उपाय एकमात्र युद्ध है । पाकिस्तान तथा हमारे दृष्टिकोण में एकमात्र मतभेद यह है कि हमारा कथन है कि उसे हमारी भूमि से उठा कर ले जाया गया । जब कि पाकिस्तान का कथन है कि वह जासूसी करने के लिये उनके क्षेत्र में घुसा था । यह मामला एकदम सीमांत पर हुआ । इस स्थान पर किसी प्रकार का सीमांकन नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में भी संदेह है कि वास्तव में उन्हें किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया है । यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाय कि उन्हें भारतीय क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तो यह मामला बहुत आपत्तिजनक हो जाता है ।

†**श्री नाथपाई** : क्या प्रधान मंत्री इस बात से सहमत नहीं हैं कि उनका अपहरण भारतीय भूमि से किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे पास जो भी प्रमाण हैं उन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्हें भारतीय भूमि से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में कर्नल भट्टाचार्य का अपना वक्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है।

वस्तुतः मैं ने अभी तक इस न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं देखा है। इस न्यायाधिकरण में सफाई पक्ष के सभी सबूतों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण भी हमें इस का निर्णय मान्य नहीं है। अतः इस समय हमारे समक्ष एकमात्र यही मार्ग है कि हम अपील करें। मुझे ठीक से यह भी ज्ञात नहीं है कि यह अपील किस प्रकार की होगी।

अतः इस मामले में भारत सरकार की कोई गलती नहीं है। वास्तव में पाकिस्तान सरकार ही आरम्भ से ही गलती पर है। हमारी सरकार ने इस मामले पर पूरी तरह शुरू से आज तक गौर किया है।

†**श्री नाथपाई :** मेरे विचार से इस दृष्टांत का भारत की सीमांत पर काम करने वाले सैनिक अधिकारियों पर अच्छा प्रभाव नहीं होगा और इससे उनका नैतिक पतन होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक गम्भीर मामला है और हमारा कथन यह है कि कर्नल भट्टाचार्य को भारतीय भूमि में गिरफ्तार किया गया।

मैं इस मामले को स्थगन प्रस्ताव या निन्दा प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं तथापि इस मामले पर दो घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं जिससे इस मामले पर विस्तृत चर्चा हो सके और ऐसे कदम उठाये जा सकें जिन से कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न होने पावें और कर्नल भट्टाचार्य को भी न्याय मिल सके।

लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री ब्रजराज सिंह और श्री प्र० ना० सिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है जो इस प्रकार है :

> "जम्मू और काश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में भारत-चीन सीमान्त विवाद के सम्बन्ध में नेहरू–चाऊ के बीच हुए समझौते के उल्लंघन में चीनियों के घुस आने की नई घटनायें तथा भारत सरकार का इन अतिक्रमणों को रोकने में असफल रहना।"

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ सप्ताहों में दोनों सीमाओं के बीच अपनी चौकी से कुछ हट कर कुछ नई चौकियां बनाई हैं। उन्होंने अपने नकशों में दो सीमाओं का दावा किया है। एक सीमा १९५६ की है और दूसरी १९६० की। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने १९५६ की सीमा से हट कर तथापि १९६० की सीमा के भीतर कुछ चौकियां बनाई हैं। इस मामले में तीन सप्ताह पूर्व ३१ अक्तूबर को एक विरोधपत्र भेजा गया था।

उक्त बातें सैनिक कार्यवाहियों के अलावा हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उस क्षेत्र में जिस पर हम दावा करते हैं, चीनी पुनः घुस आये हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने वहां चौकियां भी स्थापित की हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा इस मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : यह जानकारी भी मिली है कि नेफा क्षेत्र में भी चीनी घुस आये हैं अतः इस मामले में चर्चा की जानी चाहिये ।

†**श्री बाजपेयी** : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है क्योंकि चीनियों ने इस समझौते का उल्लंघन किया है कि कोई नई चौकियां स्थापित नहीं की जायेंगी ।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में इतना तो स्पष्ट ही है कि जहां तक लद्दाख के इलाके में बारह हज़ार वर्ग मील ज़मीन पर कब्ज़े का प्रश्न है, वह अपनी जगह है, लेकिन उसी के साथ साथ अब नये इनकर्शन्ज़ के समाचार मिल रहे हैं और चीन की ओर से नये चैकपोस्ट्स बनाये जा रहे हैं । अगर हमारी ओर से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की गई, तो उस का लाज़िमी नतीजा यह होने वाला है कि चीन की ओर से और भी चैकपोस्ट्स बनाये जा सकते हैं । इस लिए यह आवश्यक है कि पूरे सदन में इस बारे में विचार होना चाहिए कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है । हम भी अपनी राय देना चाहते हैं कि नये चैकपोस्ट्स को हटाने के सिलसिले में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जानी चाहिए । पुराने हमले और पुराने कब्ज़े की बात तो अलग है, लेकिन अब वे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । इस लिए इस एडजर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में सदन में बहस होनी चाहिए ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने जो जानकारी सरकार के पास थी वह दे दी है । इस सम्बन्ध में सामान्य कार्यवाही यथा राजनयिक और सैनिक की जा रही है जिससे स्थिति का ठीक पता लग सके और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

यह क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं । अतः प्रत्येक इंच भूमि का सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं है । वस्तुतः हम ने भी इस क्षेत्र में कुछ नई चौकियां स्थापित की हैं । तथापि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देना उपादेय नहीं होगा । इस से विरोधी पक्ष को भी जानकारी मिल जाती है ।

श्री रंगा : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास इससे अधिक जानकारी है ही नहीं । और विरोधी पक्ष के पास न केवल जानकारी है अपितु हमारी भूमि भी है ।

अतः इस मामले में चर्चा अवश्य की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र में वैदेशिक कार्य विभाग पर चर्चा होगी अतः यह मामला उस समय ले लिया जायेगा यदि इस सत्र में उक्त विषय पर चर्चा नहीं हुई तो इस विषय पर विशेष चर्चा का अवसर दिया जायेगा ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज्जफरपुर) : यद्यपि प्रतिरक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अब एक इंच क्षेत्र पर भी अतिक्रमण नहीं करने दिया जायेगा तब क्या कारण है कि ये नई चौकियां स्थापित हुई हैं । तब इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव अवश्य रखा जाना चाहिये । अतः इस विषय का वैदेशिक चर्चा से मिला देना ठीक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक गम्भीर मामला है अतः सभा के समक्ष वे सभी तथ्य प्रस्तुत किये जायें जिससे कि आगे इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे । अतः इस विषय पर भी तीन या चार दिनों पश्चात चर्चा की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा जारी किया गया वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा निकाले गये वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२५५/६१]

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम की ओर से देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२५६/६१]

चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबंधों के अन्तर्गत २९ सितम्बर, १९६१ को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किये गये चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का संख्या ३) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२५७/६१]

व्यापार चिन्ह पंजीयन का प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं व्यापार तथा पन्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये व्यापार चिन्ह पंजीयन कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२५८/६१]

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३३९ (१) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन (खंड १ और २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२५९/६१]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीशों की तालिका का प्रतिवेदन

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) (क) कुटीर कताई एकक के लिये १,००,००० रुपये के इनाम देने के हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीशों की तालिका का प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त प्रतिवेदन का सारांश ।

(२) १९५९-६० के लिये नमक विभाग के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२६१/६१]

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :--

(क) सीमेंट उत्पादकों को देय उचित मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(ख) दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या सीम-८ (२७) / ६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२६२/६१]

(४) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा १८-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २११८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ३२६३/६१]

(५) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-जी के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५६१ में प्रकाशित सीमेंट नियंत्रण आदेश, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२६४/६१]

(६) खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९७ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२६५/६१]

कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति ।

(२) न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ की धारा ३०-क के अन्तर्गत दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४० में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) ९ और १० अक्तूबर, १९६१ को बंगलौर में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के उन्नीसवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

(४) "ए स्टडी आफ दी स्ट्राइक इन दी कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, फ्राम दी प्वाइंट आफ व्यू आफ दी कोड आफ डिसिप्लिन" नामक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या ३२६६/६१ से ३२६९/६१]

तारांकित प्रश्न के अनुपूरक के प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं त्रिपुरा में फैनी नदी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १११६ पर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के ३१ अगस्त, १९६१ को दिये गये उतर को शुद्ध करने के लिये निम्नलिखित वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

वक्तव्य

'उन्होंने हमारे श्रमिकों पर गोली चलाई वस्तुतः इसी कारण सारा संकट उत्पन्न हुआ और इसी के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से यह वार्त्ता और दावे किये जा रहे हैं ।' उक्त वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाये "उन्होंने हमारे श्रमिकों को धमकी दी वस्तुतः इसी कारण सारा संकट उत्पन्न हुआ । इसी के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच बातचीत तथा दावे किये जा रहे हैं ।"

विधि आयोग का प्रतिवेदन, आदि

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) महाप्रशासक के अधिनियम, १९१३ के सम्बन्ध में उन्नीसवां प्रतिवेदन ।

(ख) क्रयावक्रय विधि के संबंध में बीसवां प्रतिवेदन ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८१ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ख) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८२ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ग) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८३ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (महाराष्ट्र) संशोधन आदेश, १९६१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८४ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (पश्चिम बंगाल) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ङ) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७३ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, १९६१ ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निर्वाचकों को पंजीयन नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३१५ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२७३/६१ से ३२७७/६१]

ऐसे समवायों की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६–क के अधीन रियायतें दी गईं

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से ऐसे समवायों की एक सूची, जिन्हें सरकार को निर्देश करने पर १९६०-६१ में यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा अपने सामवाय के अंशधारियों को वितरित किये गये लाभांशों के सम्बन्ध में भारतीय आय कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६-क के अन्तर्गत रियायतें दी जायेंगी । सभा पटल पर रखता हूं :

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ३२७९/६१]

कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना

†**श्री आबिद अली** : मैं श्री ल० ना० मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

कर्मचारी भविष्य निधि, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ३२८०/६१]

खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना जी० एस० आर० १३५२ में प्रकाशित कोयला खान सुरक्षा (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

कोयला खान सुरक्षा केन्द्र समिति, धनबाद की वर्ष १९६०-६१ की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक लेखे की एक प्रति, उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ३२८१/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं उन विधेयकों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं, जिन्हें संसद् के सदनों ने गत सत्र में पारित किया था और जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है :

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१ ।

(२) गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक, १९६१ ।

(३) आय कर विधेयक, १९६१ ।

मैं गत सत्र में संसद् के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त इन ११ विधेयकों, राज्य सभा के सचिव द्वारा प्राधिकृत प्रतियां, सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(२) भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(३) दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक, १९६१ ।

(४) न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(५) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(६) दादरा और नागरहवेली विधेयक, १९६१ ।

(७) समाचार-पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक, १९६१ ।

(८) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(९) लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(१०) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(११) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं ८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर की कुछ तथ्य सम्बन्धी अशुद्धियों को शुद्ध करना चाहती हूं ।

सही स्थिति यह है कि सखारी की हत्या के षड़यंत्र का अभियोग सिद्ध करने के लिये फिजो के विरुद्ध यथेष्ट प्रमाण मौजूद हैं, और फिजो के विरुद्ध अभी भी गिरफ्तारी का वारण्ट प्रभावी है। उनके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये गवाह पेश करने में कोई भी कठिनाई पड़ने की संभावना नहीं है।

यह भी सही है कि फिजो कानून की पकड़ से बचने के लिये देश से बाहर भागे हैं। सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के प्रश्न पर सावधानी से विचार कर लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सभी बातों को देखते हुये उनके प्रत्यर्पण की मांग करना न तो आवश्यक है और न वांछनीय ही ; और यदि वह चाहते हों तो उनको इंगलैण्ड में शांति से रहने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या यह सच है कि अब फिजो को इंगलैण्ड की नागरिकता दे दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, हां ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : तब क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि उनको इंगलैण्ड या अन्य किसी देश में भारत-विरोधी कार्य नहीं करने दिया जायेगा ?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : फिजो को ६ नवम्बर से ब्रिटिश नागरिकता दे दी गई है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन की सरकार ने उनको भारत-विरोधी कार्यवाही करने में सहायता दी है। दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार इनको ऐसी छूट न दे। इस मामले को वह संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा सकते हैं। सरकार ने इस संबन्ध में क्या किया है ?

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : प्रथा के मुताबिक, ब्रिटिश सरकार को इस मामले में भारतीय उच्च आयोग से परामर्श करना चाहिये था। क्या ऐसा हुआ था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : : जी हां, उच्च आयोग से परामर्श किया गया था। उच्च आयोग ने बताया था कि फिजो का यह दावा गलत है कि वह भारतीय राष्ट्रजन नहीं है। यदि वह भारती राष्ट्र जन नहीं, तो फिर किस देश का राष्ट्र जन है। यह तो नहीं हो सकता कि किसी भी देश का राष्ट्रजन न हो। फिजो का कहना था कि वह भारतीय संघ राज्य बनने से पहले नागा राज्य का राष्ट्रजन था। बात समझ में नहीं आती। उच्च आयोग ने यह भी बताया था कि फिजो अपराधी है।

मुझे बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने इसी लिये फिजो को भारतीय राष्ट्रजन ही माना है। कागजों में यही दर्ज किया गया है। मुझे यही बताया गया है। फिजो को भारतीय राष्ट्रजन मान कर ही ब्रिटिश सरकार ने उसके मामले में कार्यवाही की है। लगता है कि फिजो ने विरोध करते हुये भी, अन्त में इसे स्वीकार किया है।

श्री हेम बरुआ ने पूछा है कि क्या ब्रिटिश सरकार ने हमे आश्वस्त किया है कि फिजो भारत-विरोधी प्रचार नहीं करेगा ? हम ब्रिटिश कानून द्वारा दिये गये फिजो के अधिकारों को सीमित करने का आश्वासन नहीं मांग सकते। अनुमान यही है कि फिजो जहां भी रहेगा अपना भारत विरोधी प्रचार करता ही रहेगा। हाल में उसका प्रचार कुछ ढीला पड़ गया है, इसलिये कि कोई उस पर कान ही नहीं देता ।

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : घाटसिला, मैनपुरी और कोसगी स्टेशनों के पास हुई इन तीन बड़ी-बड़ी रेल दुर्घनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुये, मुझे हार्दिक क्षोभ हो रहा है।

२० अक्तूबर, १९६१ को दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर- टाटानगर सैक्शन में डलहुमगढ़ और घाटसिला स्टेशनों के बीच ८३ अप रांची एक्सप्रेस दोपहर में १ बज कर २५ मिनट पर, २०९/४–५ किलोमीटर पर पटरी से उतर गई थी। इंजन और उसके साथ के सात सवारी डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये। आठवां सवारी डिब्बा भी पटरी से उतर गया और सबसे पीछे के चार सवारी डिब्बे पटरी पर ही बने रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ा दुःख होता है यह बताते हुये कि उस दुर्घटना के फलस्वरूप ४५ यात्री वहीं घटनास्थल पर और ६ बाद में अपनी जान से हाथ धो बैठे, ११ व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं, और १८४ को मामूली चोटें, जिनमें से ७१ को प्राथमिक उपचार के बाद और ९२ व्यक्तियों को अस्पताल में थोड़े उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अभी तक ३२ व्यक्ति अस्पताल में हैं।

घायलों को सहायता के लिये घाटसिला में सुलभ स्थानीय चिकित्सा सहायता शटल ट्रेन द्वारा घटना स्थल पर पहुंचाई गई थी। टाटा नगर, चक्रधर पुर, और खड़गपुर से चिकित्सीय सहायता गाड़ियां भेजी गई थीं। घायलों को ट्रेनों और ऐम्बुलेंस गाड़ियों द्वारा टाटानगर और खड़गपुर के रेलवे अस्पतालों में भेजा गया था। घटना-स्थल पर ४५ शव मिले थे, जो रेलवे पुलिस के संरक्षण में टाटानगर भेज दिये गये हैं।

तीन घायल व्यक्तियों को डिब्बे के नीचे से निकाला। कुछ यात्रियों के डिब्बों के अन्दर से खींचा गया था, खिड़कियां इत्यादि तोड़ कर।

मृत और घायल व्यक्तियों के परिवारों को प्रसादतः २२,१०० रुपये दिये गये हैं।

असैनिक अधिकारियों और उस क्षेत्र के निकटवर्ती उद्योगों ने सहायता-कार्य में पूरी-पूरी मदद दी है। सिंघभूमि का डिप्टी कमिश्नर स्वयं घटना-स्थल पर पहुंच कर सहायता-कार्य कर रहा था। स्वयंसेवक और धार्मिक संघों ने भी काफी मेहनत की।

संचार और परिवहन मंत्रालय के रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त, कलकत्ता ने इस दुर्घटना की संविहित जांच की थी। इन्होंने अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है, जिसके अनुसार दुर्घटना का कारण कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पटरी में गड़बड़ी करना था।

दूसरी दुर्घटना २९-१०-१९६१ को हुई थी। संख्या २ टी० एफ० पैसेंजर गाड़ी लगभग सवेरे १० बज कर ३५ मिनट पर उत्तर रेलवे की शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद शाखा लाइन पर मैनपुरी और भोगांव स्टेशनों के बीच १३६८/७–९ किलोमीटर पर पटरी से उतर गई थी। इंजन और उसके साथ के चार डिब्बे पटरी से उतर कर एक-दूसरे से टकरा गये थे। शेष डिब्बों को कोई हानि नहीं पहुंची। वे पटरी पर ही बने रहे। दुर्घटना के फलस्वरूप १८ व्यक्ति घटना-स्थल पर और ४ व्यक्ति बाद में मरे और १७ व्यक्तियों को गम्भीर तथा ४५ को हल्की चोटें आई थीं। खेद की बात है कि लंका के ४६ बौद्ध तीर्थ-यात्री दुर्घटना के शिकार हो गये हैं। उन में से १६ तो घटना-स्थल पर ही और २ बाद में मृत्यु के शिकार बन गये थे और अन्य को चोटें आईं।

मैनपुरी और भोगांव से चिकित्सीय सहायता पहुंचाई गई थी। घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद भोगांव और मैनपुरी के असैनिक अस्पतालों में भेज दिया गया था। ६२ घायल व्यक्तियों में से ५१ को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और ११ का इलाज चल रहा है। घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रसादतः ४,१०७ रुपये दिये गये हैं। लंका से आये तीर्थयात्रियों के शवों को लंका भेजने के लिये एक विमान विशेष रूप से लिया गया था। घायल तीर्थ यात्रियों में से जो भी विमान द्वारा यात्रा करने योग्य थे उन को एक अलग विमान द्वारा ६ नवम्बर, १९६१ को लंका भेज दिया गया है।

लखनऊ के रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त ने इस दुर्घटना की संविहित जांच की थी। उस के अनुसार दुर्घटना का कारण ट्रेन की अत्यधिक रफ़्तार थी। उस सैक्शन में इस प्रकार के इंजनों की रफ्तार ३० मील प्रति घंटे तक ही रखने की अनुमति है। इतनी तेज़ रफ्तार में एकदम ब्रेक लगा देने से गाड़ी पटरी से उतर गई थी।

[श्री जगजीवन राम]

प्रतिकर के दावों के निबटारे के लिये तदर्थ रूप में दावा आयुक्त नियुक्त कर दिये गये हैं।

तीसरी दुर्घटना ९-११-६१ को २ बज कर ३४ मिनट पर दक्षिण रेलवे में हुई। ट्रेन संख्या १४ मद्रास-बम्बई जनता एक्सप्रेस कोसगी स्टेशन की मेन लाइन पर आ रही थी। उस का संख्या १६०८ अप माल गाड़ी से क्रास हो रहा था। उसे जहां रुकना था उस से आगे बढ़ गई, जिस के कारण इंजन उलट गया और तीन डिब्बे एक-दूसरे से बुरी तरह टकरा गये। दुर्घटना के फलस्वरूप इंजन का ड्राइवर और दो फायरमैन वहीं मर गये और ९ व्यक्तियों को, जिन में से चार रेलवे कर्मचारी भी थे, छोटी-मोटी चोटें आईं।

एक घायल यात्री को प्रसादतः २०० रुपये दिये गये हैं। उस को चोटें गम्भीर मालूम पड़ती थीं।

बंगलौर के रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त ने कोसगी की दुर्घटना की जांच १०-११-१९६१ से आरम्भ कर दी है। उन का प्रतिवेदन अभी हमें नहीं मिला है।

यह वक्तव्य कुछ लम्बा है। यदि आप की अनुमति हो, तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[शेष वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया गया, जो नीचे दिया जा रहा है।—सम्पादक]

इन दुर्घटनाओं के विवरण के साथ ही, मैं आप को संक्षेप में यह भी बताता हूं कि हमने पिछले कुछ वर्षों में दुघटनाओं की संभावना कम करने और रेलवे यात्रा को निरापद बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है। मैं ने इस संसद् के प्रथम रेलवे आय-व्ययक सम्बन्धी अपने भाषण में, जो रेलवे मंत्री की हैसियत से मेरा प्रथम भाषण था, दक्षिण रेलवे के अड़ियालूर और मध्य रेलवे के महबूबनगर के निकट दो रेलवे दुर्घटनाओं का उल्लेख किया था।

उस के बाद के वर्ष १९५७-५८ में कुछ समय तक तो दुर्घटनायें नहीं हुईं, लेकिन १९५८ के प्रथम दो महीनों में ही तीन बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हो गईं, जिनका उल्लेख मैं ने १७ फरवरी १९५८ के अपने आय-व्ययक-भाषण में किया था। मैं ने उस में कहा था कि इतनी जल्दी-जल्दी तीन बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें होने से हम सभी को बड़ी चिन्ता हो गई है। इसलिये मैं ने सुधार के उपाय सोचने के लिये महाप्रबन्धकों की एक विशेष मीटिंग बुलाई थी। उस में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानवीय चूक है। इसलिये दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये तकनीकी सुधारों के साथ-साथ, रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता सब से अधिक दरकार है।

इसीलिये सभी महाप्रबन्धकों से विशेष तौर पर कहा गया था कि वे रेलवे को निरापद बनाने के लिये सभी नियमों के पालन पर अधिक जोर दें।

मैंने अगस्त १९५८ में संसद् के सामने १९५७-५८ की 'दुर्घटनाओं का एक तथ्यपूर्ण पुनरीक्षण' रखा था। उस में पिछले वर्ष की दुर्घटनाओं का वर्षवार विश्लेषण किया गया था। विदेशों की रेलवेज में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या से तुलना भी की गई थी। दुर्घटनाओं के कारणों का भी विश्लेषण किया गया था।

मैं ने १८ फरवरी, १९५९ को रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में अपने विचार संसद् के सामने रखे थे। मैं ने तब बताया था कि रेलवे लाइनों का एक बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है और साथ

†मूल अंग्रेजी में।

ही रेलवे यात्रियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि रेलवे अपनी क्षमता से कहीं अधिक दबाव महसूस कर रही है। इसी कारण कभी-कभी मानवीय चूक हो जाती है।

हम समस्या की गम्भीरता पूरी तौर पर महसूस करते हैं। रेलवे प्रशासन को प्रचार, दण्ड और मनोविज्ञान—सभी प्रकार के साधन इसके लिये प्रयुक्त करने को कहा गया है। हर रेलवे में सुरक्षा विधियों के सम्बन्ध में खोज बीन करने वाले विभाग बना दिये गये हैं। प्रत्येक रेलवे को आदेश दे दिये गये हैं कि वह बड़ी बारीकी से पर्यवेक्षण करती रहे और सुरक्षा सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों का पालन कराये।

हम ने गुप्तचर विभाग और गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से तोड़ फोड़ की रोकथाम के उपायों की कुछ योजनाओं पर विचार किया था। उस के फलस्वरूप राज्य-सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे लाइनों के आसपास के गांवों के निवासियों में तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के विरुद्ध प्रचार कर के हमारी सहायता करें। साथ ही, इस के लिये सरकारी रेलवे पुलिस का प्रबंध और भी कारगर बनाने और ऐसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पहले से सूचना इकट्ठी करने, तथा राज्यों के गुप्तचरों विभागों द्वारा सभी रेलवे दुर्घटनाओं का लगातार अध्ययन कराने पर जोर दिया गया है। रेलवे प्रशासन से कहा गया है कि वह इस मामले में राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे।

साथ ही, रेलवे कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रमों पर भी जोर दिया जा रहा है। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम इस समस्या पर बड़ी सतर्कता और सूझबूझ के साथ विचार और कार्य करते रहेंगे। आशा है कि हमें इस प्रयास में सभी रेलवे कर्मचारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा।

मैं ने १९६०-६१ के अपने आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण में १९५८-५९ की रेलवे दुर्घटनाओं का जो विश्लेषण किया था, उस में बताया था कि १९५८-५९ में दुर्घटनाओं की संख्या लगभग वही रही जो १९५७-५८ में थी। मैं ने तब कहा था कि रेलवे यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए, रेलवे मंत्रालय का कार्य संतोषप्रद रहा है। हम रेलवे प्रशासन को सदैव सतर्क रहने के लिये कहते रहते हैं। सभी रेलवे कर्मचारियों को रेलवे यात्रा की निरापदता को सर्वोपरि समझने की शिक्षा दी जा रही है। आशा है कि इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप रेलवे यात्रा भविष्य में अत्यन्त निरापद हो सकेगी।

१९५९-६० में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम ने प्रयासों में ढिलाई नहीं की है। मैं ने १७ फरवरी, १९६० को अपने आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण में कहा भी था कि अब स्थिति संतोषप्रद है; और मैं ने सभा को आश्वस्त किया था कि हम आत्मतुष्ट नहीं बनेंगे। अभी भी सभी स्तर पर हमारे प्रयास जारी हैं। और हम रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं। मैं ने अन्त में, रेलवे कर्मचारियों से अपील भी की थी कि वे सुरक्षा का एक उच्च मानदण्ड उपस्थापित करें।

आय-व्ययक सम्बन्धी पत्रों के साथ, १९५९-६० की दुर्घटनाओं की एक व्यापक समीक्षा भी सभा-पटल पर रखी गई थी। उस से स्पष्ट था कि १९५८-५९ के मुकाबले, १९५९-६० में दुर्घटनाओं की संख्या कुल मिला कर कुछ कम ही हुई है। रेलवे प्रशासन तुला हुआ है कि दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम रह जाये।

गत वर्ष का अच्छा रिकार्ड बनाये रखने के लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं। मैं ने इस वर्ष फरवरी में सभा को आश्वस्त भी किया था कि हम दुर्घटनाओं की समस्या के महत्व के प्रति पूर्णतया

[श्री जगजीवन राम]

सतर्क हैं। पिछले वर्ष की भांति, १९५९-६० में भी मानवीय चूक के कारण कई दुर्घटनायें हुई थीं। रेलवे के आकार, कार्य की रफ्तार और कर्मचारियों की विशाल संख्या देखते हुए, सभी इस बात से सहमत होंगे कि समस्या का कोई बना-बनाया हल नहीं है हमें कर्मचारियों को प्रेरणा भी देनी पड़ेगी और दण्ड भी। परिस्थियों को देखते हुए हर संभव उपाय करना पड़ेगा। आशा है कि इन सभी के फलस्वरूप रेलवे कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति एक नई जागरूकता पैदा होगी और दुर्घटनाओं की संख्या कम से कम होगी।

मैं ने अपने पहले के भाषणों का हवाला बार-बार इसीलिये दिया है कि सभा को यह जानकारी हो जाये कि जब से मैं ने इस मंत्रालय का भार सम्भाला है, तभी से मैं दुर्घटनाओं की समस्या की ओर ध्यान देता रहा हूं।

इसी सतत सतर्कता का फल है कि यात्रियों की संख्या की वृद्धि के अनुपात में रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या कम होती गई है। उस से सम्बन्धित आंकड़े देखिये :

वर्ष	ट्रेन-मीलों की कुल संख्या (लाख में)	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	प्रति लाख ट्रेन-मील के अनुपात में दुर्घटनायें
१९५७–५८ .	६,४०१	९,०११	१.४१
१९५८–५९ .	६,६०६	९,०७१	१.३७
१९५९–६० .	६,९७९	८,९१६	१.२८
१९६०–६१ .	७,२२०	८,८०८	१.२२

सुरक्षा का हिसाब बहुधा हताहत यात्रियों की संख्या से लगाया जाता है। तोड़-फोड़, ट्रेनों की टक्करों और अन्य दुर्घटनाओं में यात्रियों के हताहत होने के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	आहत व्यक्तियों की संख्या		ट्रेनों की टक्करों और पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं में प्रति हजार यात्री मील आहत यात्रियों की संख्या		
	मृत	आहत	कुल	मृत	आहत	कुल
१९५७–५८ .	७६६	४७५	५५१	१.७७	११.०	१२.७७
१९५८–५९	४४	३५७	४०१	१.०४	८.४४	९.४८
१९५९–६०	३	३१५	३१८	०.०७	६.८३	६.९०
१९६०–६१ .	२६	२१३	२३९	०.५४	४.४४	४.९८

दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष दो बड़ी बड़ी दुर्घटनायें एक तो अप्रैल में उत्तर सीमांत रेलवे के गुल्मा वन में और दूसरी दक्षिण-पूर्व रेलवे के घाटसिला के निकट, जिसमें ८६ व्यक्ति मृत और २८१ आहत हुए हो गई हैं।

म सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय रेलवे मंत्री ने मेरे सुझाव पर तीन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे दिया है ।

उन्होंने यह भी बता दिया है कि रेल-दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं । माननीय सदस्य उस पर विचार कर लें और देखें कि उसके बाद भी चर्चा की आवश्यकता है है या नहीं ।

यदि माननीय सदस्य उस पर चर्चा आवश्यक समझें, तो कोई भी सदस्य वैसा प्रस्ताव हटा सकते हैं । मैं उसकी अनुमति दे दूंगा ।

†**श्री हम बरुआ** (गोहाटी) : अभी कहा गया है कि दुर्घटना के हाल ही बाद शीघ्रता से सहायता-कार्य शुरू कर दिया गया था । परन्तु मुझे आरंभ में देखी बात यह बताई गई है कि सहायता गाड़ी सूबह से पहले नहीं पहुंची थी । दूसरी सहायता गाड़ी सवा आठ बजे सूबह टाटा नगर से आई थी, लेकिन उसके पास पानी या दूध कुछ भी नहीं था । मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण किया जाये ।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज–उत्त रप्रदेश) : क्या इस ब्यान की कापी सब मेम्बरों को मिलेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर सब लोग कापी मांगेंगे तो उनको स्टेटमेंट की कापी सर्कुलेट कर दी जायेगी । उसक साथ में अनुबन्ध भी भेजा जायगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : (खम्मम) : चर्चा चल्द ही होनी चाहिये । उसके साथ सिलीगुड़ी की दुर्घटना पर भी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये ।

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे कोई आपत्ति नहीं । इस सब पर कभी चर्चा की जा सकती है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैनपुरी की दुर्घटना के बारे में माननीय मंत्री नें कहा है कि प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन उनको मिल चुका है । क्या . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब चर्चा के समय पूछा जा सकता है । अभी ऐसे प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं । जिस पर्यवेक्षक ने वह जांच की है, वह और उसके अधीनस्थ कर्मचारी परिवहन और संचार मंत्रालय के अधीन हैं । सम्बंधित मंत्री शायद उसके बारे में ब्योरेवार सूचना देना चाहें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चर्चा के दिन वह मंत्री भी उपस्थित होंगे ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री डा० प० सुब्बरायन** : मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : प्रारम्भिक प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रख दिये जायें ।

†**श्री जगजीवन राम** : प्रारम्भिक प्रतिवेदनों में अधिक ब्यौरेवार सूचना नहीं रहती । उनमें केवल इतना कहा जाता है कि प्रारम्भिक उपपत्तियों के अनुसार दुर्घटना का कारण क्या मालूम पड़ता है । ब्यौरेवार जांच-प्रतिवेदन तैयार करने में तो कुछ समय लग ही जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : १५ नवम्बर को इंडियन एयरलाइन्स का एक विस्काउंट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था । उसका सम्बन्ध परिवहन तथा संचार मंत्रालय से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को उसके सम्बन्ध में पूर्व-सूचना देनी चाहिये थी । अभी भी दे सकते हैं ।

दुर्घटना बड़ी और महत्वपूर्ण है या नहीं इसका निर्णय मंत्री ही करते हैं । यदि उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आये, तो मैं माननीय मंत्री से उसका उत्तर देने का अनुरोध कर सकता हूं । माननीय सदस्य चाहें तो ध्यान दिलाओ प्रस्ताव रख सकते हैं ।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : पेट्रोलियम उत्पादों के आयात सम्बन्धी मामलों पर पिछले कुछ दिनों से तेल कम्पनियों और सरकार के बीच अप्रत्याशित ढंग से कुछ मतभेद हो गया है । स्थिति यह है कि पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों को निश्चित करने के लिए एक स्थायी सिद्धान्त निर्माण करने की दिशा में सेरकार ने २-८-६० को श्री के० आर दामले के सभापतित्व में, जो कि प्रशुल्क आयोग के सभापति रह चुके हैं, तेल मूल्य जांच समिति स्थापित की थी । इस के अन्य सदस्य श्री पी० एन० सप्रू थे जिन्होंने अस्वस्थ होने के कारण त्याग पत्र दे दिया । उनके स्थान पर श्री सी० पी० सिन्हा को सदस्य बनाया गया, जो कि आसाम उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं । इस प्रकार इस न्यायाधिकरण का प्रशासनिक मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं था । इस समिति का प्रतिवेदन सरकार को गत जुलाई को प्रस्तुत कर दिया गया था ।

समिति ने जो कुछ किया उसके द्वारा निश्चित मूल्य यह पता चलता है कि तीन बड़ी कम्पनियों की १९६२ की १३.७८ करोड़ रुपये की बिक्री के आधार पर जिसमें से परिष्कृत उत्पाद १२.४१ करोड़ रुपये का है और 'विटुमैन' १.३७ करोड़ रुपये का है । तेल के मूल्य घटेंगे । ४.४९ करोड़ रुपये की कमी उत्पाद के "सी० एंड एफ" मूल्य के घट जाने के कारण हुई है । व्यापार में प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर समिति ने तेल के वितरण और विपणन शुल्क तथा तेल कम्पनियों के लाभ से ३.३४ करोड़ रुपये कम किये हैं । ६.५४ करोड़ रुपये की कमी उत्पादों पर बट्टे के फलस्वरूप हुई है ।

समिति द्वारा जो कमियां करने की प्रस्थापना प्रस्तुत की है उन्हें मैं स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । यद्यपि सरकार बट्टे की मात्रा और मूल्य सूत्र में सम्मिलित कतिपय का काल्पनिक तत्वों जैसी बुनियादी बातों के बारे में समिति से सेहमत नहीं थी तब भी हमने समिति की सिफारिश को एक न्याय संस्था के पंचाट के रूप में स्वीकार कर लिया । प्रशुल्क आयोग जैसे निर्धारण निकायों की सिफारिशों के बारे में सरकार इसी तरह की प्रक्रिया अपनाती है । इसके अनुसार समिति की सिफारिशें १-१०-६१ से कार्यान्वित की गयी हैं । तेल कम्पनियों ने सरकार को जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा अखबारों को जो बातें बताई उनमें उन्होंने अब यह दलील दी है कि निदेशों में जो लोग उन्हें माल का सम्भरण करते है वे कम दरों पर उत्पादों का सम्भरण नहीं कर सकते थे । इसलिए उन्हें अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कीं जानी चाहिए । सरकार ने उत्पादों के घटे हुए मूल्यों के बारे में कम्पनियों का अनुचित रवैया पहले ही स्पष्ट कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दो तेल कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिनाई को हल करने के लिए अपने तेल-शोधक कारखानों का उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया है। कम्पनियों ने अपना उत्पादन और बढ़ाने की मांग की समस्या दामले समिति की सिफारिशों के कार्यान्वय के प्रश्न से भिन्न है। सरकार इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार इन मांगों पर गुणों के आधार पर विचार करने के लिए तैयार है जैसा कि वह अतीत में करती रही है।

कम्पनियों द्वारा अपनाये गये रूख में ऐसी अत्यावश्यक वस्तु के सम्भरण के लिए जो धमकी निहित है उसे जानकर सरकार को काफी चिन्ता हुई है। कम्पनियों द्वारा संभरण के लिए की जाने वाली व्यवस्था में उन्हें यदि कोई भौतिक कठिनाइयां हों तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार तैयार है। किन्तु हमें आशा है कि कम्पनियां कोई अनुचित रवैया नहीं अपनायेंगी किन्तु सरकार को, जिसने सदा निष्पक्षता से विचार किया है, अपना सहयोग देगी।

पेट्रोलियम उत्पाद के सम्भरण को कोई खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कदम उठा रही है ताकि समाज का आर्थिक जीवन प्रभावित न हो सके।

श्रीमान जी, मैं पूरा विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी ३१८५/६१]

प्रत्यर्पण विधेयक

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय ३० नवम्बर १९६१ तक बढ़ा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय ३० नवम्बर १९६१ तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन साधारण के हित में चीनी के उत्पादन का विनियमन और किसी कारखाने द्वारा इस प्रयोग के लिए निर्धारित अभ्यंश से अधिक तैयार की गयी चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने और उसे वसूल करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि जन साधारण के हित में चीनी के उत्पादन का विनियमन और किसी कारखाने द्वारा इस प्रयोग के लिये निर्धारित अभ्यंश से अधिक तैयार की गई चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने और उसे वसूल करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** श्रीमान् जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

चीनी उत्पादन का विनियमन अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्रीमान् जी, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१ (१) द्वारा अपेक्षित चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण को एक प्रति सभा पटल पर रखता हू । **[पुस्तकालय में रखी रखी गई । देखिये संख्या एल टी ३२८६/६१]**

प्रसूति लाभ विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री आबिद अली द्वारा १० अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अन्तेर चर्चा होगी :

> "कि कुछ संस्थापनाओं में बच्चे पैदा होने से पहले और उसके बाद कुछ समय तक महिलाओं को काम पर लगाने को विनियमित करने और उन्हें प्रसूति लाभ तथा कुछ अन्य लाभ देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

†**श्री अरविन्द घोंषाल** (उलूबेरिया) : इस अधिनियम में राज्यों को विभिन्न संस्थाओं को अधिनियम से विमुक्त करने के व्यापक अधिकार दिये हुए हैं । इसका प्रयोग इससे पूर्व अगस्त, १९५५ में हो चुका है । यदि राज्यों को इस दिशा में व्यापक अधिकार मिले तो यह अधिनियम उन से कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा । मेरा यह भी अनुरोध है कि १६० दिनों को घटा कर १५० कर दिया जाय । यह बात संयुक्त समिति ने भी कही है । साथ ही इस में विशेष उपबन्ध भी रखे जाने चाहिए जिससे स्थायी कर्मचारियों को इस विधेयक में के अन्तर्गत होने वाले लाभ उपलब्ध हो सकें ।

अधिनियम को कार्यान्वित करने की दिशा में मेरा निवेदन है कि जिस रूप में विभिन्न राज्यों में कुछ प्रसूति लाभ प्राप्त है, उन के कार्यान्वित करने की दिशा में कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस विधान को लागू करने से पूर्व इस बात पर विचार कर लिया जाय । १९५९ की श्रम वार्षिकी में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में ही बहुत कम महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ दिया गया है । प्रसूति लाभ की मांग बढ़ रही है । यह भी हो रहा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है । इस में बात यह भी है कि इस से पूर्व महिला श्रमिकों का वेतन अथवा मजूरी कम थी और विनियोजकों पर कोई विशेष जिम्मेदारी भी नहीं होती थी, परन्तु अब कई प्रकार के विधान बन गये हैं । अब अवस्था यह है कि जब भी कोई उद्योग श्रम विधान के अन्तर्गत आ जाता है तो विनियोजक महिला कर्मचारियों को उन के रोजगार से वंचित करने का प्रयत्न करते हैं । मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि महिला कर्मचारियों को उन के काम से वंचित न किया जा सके । इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि छोटे कारखानों में महिला कर्मचारियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्): प्रसूति लाभ की दृष्टि से सारे देश में एक सा कानून हो इस के लिए यह विधान बहुत अच्छा विधान है और मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । सात वर्ष हुए १९५४ में भारतीय श्रम सम्मेलन के १३वें अधिवेशन में इस मामले पर विचार किया गया और ऐसे विधान की आवश्यकता के बारे में एकमत से निर्णय किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त समिति द्वारा विधेयक में जो परिवर्तन किये गये हैं मैं उन का भी स्वागत करता हूं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे पता चलता है कि इस विधान का ४ लाख महिला श्रमिकों को लाभ होगा। इस मामले में मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि निजी स्कूलों की अध्यापिकाओं के लिये प्रसूति लाभ की व्यवस्था नहीं की गयी। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों की अध्यापिकाओं को प्रसूति लाभ दिया जाय जिन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि खास खास मौसम में काम करने वाले कारखानों में प्रसूति लाभ प्राप्त करने के समय को १६० से घटा कर १०० कर दिया जाय। इस बात पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बल दिया है। इस के साथ ही मैं यह भी मांग करूंगा कि सभा को यह बताया जाय कि क्या इस विधेयक को पारित करने के पश्चात हम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अभिसमय का अनुसमर्थन कर सकेंगे। एक समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए जिस के अनुसार इस सारे अधिनियम को लागू करने की एक निश्चित तिथि निश्चित की जाय।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात में कोई सार नहीं कि इस विधेयक द्वारा दिये जाने वाले लाभों के प्रदान के प्रयोजन से मजूरी पैसे ओवर टाइम भत्ते को क्यों शामिल न किया जाय। ऐसा करना इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों के उपबन्धों में संगत नहीं होगा। इस से विधान में अखिल भारतीय स्तर पर एकरूपता नहीं आ पायेगी। इन शब्दों से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं श्रम मंत्रालय के इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यद्यपि सभी दिशाओं में इस विधेयक का स्वागत होगा इस पर भी मैं एक दो दोषों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। इस में 'गर्भपात' के लिए व्यवस्था नहीं की गयी। यह बड़ी जरूरी व्यवस्था है। मैं तो ज़ोर देना चाहता हूं कि इस की व्यवस्था करने के लिए विधेयक में समुचित संशोधन कर लेना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से महिला कर्मचारियों को लाभ हो सकेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक और व्याधि सामने आ रही है, उद्योगपति श्रमजीवी महिलाओं को काम पर नहीं लगा रहे। मैं यह चाहता हूं कि ऐसा उपबन्ध किया जाय कि जहां महिलाओं को काम पर लगाया जाय वहां यह व्यवस्था कर दी जाय कि विधान के फलस्वरूप उन की कोई छटनी न हो सके। साथ ही नकद धन के रूप में दिये जाने वाले लाभ को २५ रुपये से बढ़ा कर ५० रुपये कर दिया जाय।

१२ मास की सेवा में यदि कोई व्यक्ति बीमारी तथा अन्य कारणों से तीन मास तक अनुपस्थित रहता है तो उसे काम से अलग न किया जाये। मां के मरने पर बच्चे को सहायता दिये जाने का उपबन्ध भी स्वागत योग्य है। मेरा मत यह है कि इस विधेयक से श्रमजीवी महिला वर्ग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जायेगा। अतः मैं बड़े हर्ष से इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं सरकार को चेतावनी देता हुआ कुछ ऐसी बातों की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं, जिन की ओर कि सरकार का समुचित ध्यान नहीं है।

मेरा विचार यह है कि इस प्रसूति लाभ सम्बन्धी इस विधेयक के उपबन्धों का लाभ केवल कारखानों, खानों और बागों में काम कर रही महिलाओं को ही मिलेगा। मेरा कहना है कि इस विधेयक के उपबन्धों का विस्तार टेलीफोन कार्यालयों तथा अस्पताल में काम कर रही नर्सों तक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अमजद अली]

किया जाय । इसी प्रकार भंगी का कार्य कर रही महिलाओं को इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत लाया जाय । मेरा अनुरोध है कि उपमंत्री महोदय इस मामले पर कुछ विचार करेंगे ।

इसी प्रकार कालिक कारखानों में सेवायुक्त महिला कर्मचारियों को इस विधेयक में उपबन्धित लाभों से वंचित न किया जाय । २४० दिन से कम कर के १६० दिन कर देने वाला उपबन्ध भी स्वागत योग्य है । खंड १२ में 'अत्यन्त सदाचार' शब्दों की परिभाषा बहुत अनिश्चित सी की गयी है । इस का प्रयोग महिला कर्मचारियों के हित के विरुद्ध किया जा सकता है । इसी प्रकार का खंड ३ में "मजूरी" शब्द की परिभाषा पूर्ण नहीं है । इस मामले में सूची अधिक विस्तृत बनाई जा सकती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि देश को ऐसे ही विधेयक की आवश्यकता है । हमें अपनी बहनों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें काम करने और कमाने के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए ।

आश्चर्य की बात है कि खंड १(३)(ख) के अन्तर्गत उस तिथि को अधिसूचित करना, जिस तिथि को यह अधिनियम लागू होगा, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है । मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक को लागू करने के लिए समय की अवधि निश्चित की गई थी । यदि राज्य सरकारों को इस विधेयक को लागू करने के लिए स्वविवेक को प्रयोग करन का अधिकार दिया गया, तो इस का सारा प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा । वे ऐसा करने में विलम्ब करेंगे और कहेंगे कि उन के पास इस विधान को लागू करने का समय नहीं है ।

कारखानों, खानों या बागान में काम करने वाली स्त्रियों के लिए विधान बनाते हुए, हमें उन स्त्रियों को भी नहीं भूलना चाहिये जो वाणिज्यिक उपक्रमों में या टेलीफोन आपरेटर और अध्यापिकाओं के रूप में काम करती हैं । उन पर भी यह अधिनियम लागू करना चाहिए । अस्पतालों की नर्सों पर भी यह लागू होना चाहिये । इस विधेयक को दो भागों में क्यों बांटा जाये—एक ऐसा जिस में केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करे और दूसरा वह जिस में राज्य सरकारें अस्पतालों, स्कूलों और वाणिज्यिक उपक्रमों के मामलों में स्वविवेक का प्रयोग कर सकें ?

विमति टिप्पणों में जो कीमती सुझाव दिये गये हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिये और विधेयक को ऐसा रूप देना चाहिये, जो कि बिना संशोधन के सब को स्वीकार्य हो ।

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है मूल विधेयक में काफी परिवर्तन कर दिये गये हैं संयुक्त समिति ने सब बातों पर विस्तारपूर्वक विचार किया था और मेरा ख्याल था कि माननीय सदस्य समिति द्वारा स्वीकार किये गये संशोधनों से संतुष्ट हैं । किन्तु उन्होंने अब भी विमति टिप्पण और संशोधन प्रस्तुत किये हैं । प्रसूति लाभ संबंधी अधिनियम राज्यों में पहले भी हैं किन्तु इस विधेयक द्वारा स्त्रियों को और भी लाभ पहुंचेगा ।

नौकरियों में स्त्रियों की संख्या कम हो जाने के बारे में कुछ आलोचना हुई थी । माननीय सदस्यों को समझना चाहिये कि सरकार सब विधेयक त्रिपक्षीय समितियों द्वारा जांच किये जाने के बाद प्रस्तुत करती है । फिर भी हमें इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के और अपने दल के सुझावों पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक कदाचार का सम्बन्ध है नियम स्थायी आदेशों के आधार पर बनाये जायेंगे तथा मालिकों को इस सम्बन्ध में खुली छूट नहीं दी जायेगी ।

यह भी नहीं समझा जाना चाहिये कि राज्य सरकारें उपेक्षा से काम लेंगी तथा शीघ्र से शीघ्र इस विधान के उपबन्धों को लागू करने के लिये उत्सुक नहीं होंगी । मोटर गाड़ी कर्मचारी सम्बन्धी अधिनियम और इस विधेयक में कुछ अन्तर है । वह एक मूल अधिनियम था और किसी वर्तमान अधिनियम का स्थान नहीं लेता था, परन्तु यह विधेयक तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि राज्य में प्रचलित वर्तमान अधिनियमों का निरसन नहीं हो जाता । इस लिये हम कोई तिथि निश्चित नहीं कर सकते । फिर भी हम जब कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं । नियम बनाये जा रहे हैं और राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि वे इस के पारित होते ही, इस के उपबन्धों को लागू करने के लिये, कार्यवाही करें ।

विधेयक स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों में कोई विभेद नहीं करता । यह सभी औद्योगिक वाणिज्यिक या कृषि उपक्रमों के सभी कर्मचारियों परलागू होगा । यह महिला टेलीफोन आपरेटरों, अध्यापिकाओं, नर्सों आदि सब प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होगा ।

काम करने वाली महिलाओं की संख्या और लाभ मांगने वाली महिलाओं की संख्या में काफी अन्तर है किन्तु आज तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि किसी स्त्री को लाभ से वंचित रखा गया है ।

माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या इस विधेयक को पारित करने के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित किये गये अभिसमय का अनुसमर्थन किया जा सकेगा । ऐसा करने में कुछ कठिनाइयां हैं । जब तक हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम देश के सब कर्मचारियों पर लागू नहीं कर लेते, श्रम संघ के अभिसमय के इस विशिष्ट उपबन्ध का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकेगा । संघ के अभिसमय में उल्लिखित लाभ कर्मचारियों को मिल रहे हैं और इस से सब की सन्तुष्टि होनी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि "कि कुछ संस्थापनाओं में बच्चे पैदा होने से पहले और उस के बाद कुछ समय तक महिलाओं को काम पर लगाने को विनियमित करने और उन्हें प्रसूति लाभ तथा कुछ अन्य लाभ देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब खंडशः विचार आरम्भ होगा ।

खंड २ (अधिनियम को लागू करना ।)

†**श्री तंगामणि :** मैं अपने संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं ।

यह आवश्यक है कि व्यापारिक संस्थापनाओं, अस्पतालों तथा स्कूलों में काम करने वाली महिलाओं को भी वही लाभ दिये जायें ।

कालिक कारखानों के लिये अपेक्षित समय १६० दिन की बजाय १०० दिन रखा जाये, तथा लाभ अनुपात से दिये जायें ।

†**श्री आबिद अली :** अर्हता की अवधि को २४० दिन से घटा कर १६० दिन कर दिया गया है । अब इस को और नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि आखिर कोई सीमा होनी चाहिये । समिति ने भी

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुभव किया था कि लाभ पाने के लिये किसी महिला को पहले कम से कम १६० दिन तक काम करना चाहिये :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ और ४ मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत ; ए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ (परिभाषाएं)

श्री तंगामणि : मैं अपने संशोधन संख्या ५, १२, और १३ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा निवेदन हैं कि शब्द "गर्भपात" की परिभाषा इस प्रकार न की जाये जिस से मालिक इस को कर्मचारी के हित के विरुद्ध प्रयोग कर सकें ।

मजूरी में उपरिसमय भत्ता और इसी प्रकार के अन्य भत्ते भी शामिल किये जायें ।

जहा तक कटौती का सम्बन्ध है केवल 'लाभ के अंश' सम्बन्धी बोनस को ही घटाया जा सकता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं श्री तंगामणि द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरिसमय भत्ते सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करता हूं । मैं नहीं समझ सका कि इसको क्यों वर्जित कर दिया गया है । इस के कारण बताये जाने चाहियें, क्योंकि ऐसा करना इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों के उपबन्धों से संगीत नहीं है ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : संशोधन संख्या ५ के सम्बन्ध में, मूल खंड में पिछले कुछ शब्द नहीं थे । अब वे शब्द जोड़ कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सिद्ध करना उस नियोजक का कर्तव्य है, जो लाभ देने से इन्कार कर रहा है कि वह स्त्री अदायगी की हकदार नहीं है क्योंकि उसे भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दंड मिल सकता है । यदि वह दंडनीय हुई तो पुलिस कार्यवाही करेगी और नियोजक अदायगी से इन्कार कर सकता है । इसलिये इन शब्दों के जोड़ दिये जाने से स्त्रियों को काफी संरक्षण दे दिया गया है और उन्हें यह सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि वे अदायगी के हकदार हैं या नहीं । जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि गर्भपात उस ने अपनी इच्छा से कराया है, उसे अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा । यदि यह सिद्ध न हुआ, वह लाभ की हकदार होगी ।

बोनस सम्बन्धी सुझाव पर भी संयुक्त समिति में चर्चा हुई थी । मूल प्रारूप में काफी सुधार किया गया है । कुछ संस्थाओं में प्रेरणा बोनस की व्यवस्था शुरू होने से प्रत्यक्ष मजूरी कम हो जाती है । इसलिये उसे 'मजूरी' की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है ।

अधिक समय तक काम करने की आय को मजूरी का भाग नहीं माना जा सकता, इसलिये उसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता । अधिक समय तक काम करने की मजूरी दोगुनी पर दी जाती है । संयुक्त समिति में इस पर ब्यौरेवार चर्चा हुई थी । उसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया था ।

अभी मेरे एक मित्र ने अपने भाषण में इस से सम्बन्धित कुछ अधिनियमों का हवाला दिया था । मुझे शक है कि शायद उन में ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। यह सही नहीं है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। मेरा प्रस्ताव था कि प्रेरणा-बोनस, अधिक समय तक काम करने के भत्ते और रात भत्ते को भी सम्मिलित किया जाये। मैंने अपने प्रस्ताव पर आग्रह किया था।

†**श्री आबिद अली :** यदि सर्वसम्मत नहीं था, तो माननीय मंत्री अभी भी सभा के सामने संशोधन रख सकते हैं। मेरा ख्याल था कि वह सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था।

संशोधन संख्या १३ मुनाफे में हिस्सा बंटाने के बारे में है। मैं उसे भी स्वीकार नहीं कर सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सभी संशोधनों को एक साथ रखूं या अगल अलग ?

†**श्री तंगामणि :** संशोधन संख्या ५ को अलग से रखा जाए ?

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ और १३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५—(प्रसूति-लाभ की अदायगी का अधिकार)

†**श्री तंगामणि :** मैं अपने संशोधन संख्या ६, ७ और ८ प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सदस्यगण जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल, आसाम और केरल में अर्हता-अवधि १५० दिन रखी गई है। हमारा यह विधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिये। संयुक्त समिति ने अवधि २४० दिन से घटा कर १६० दिन करके बड़ा अच्छा किया है। मैं चाहता हूं कि उसमें से दस दिन और घटा दिये जायें।

मैं केवल उन मौसिमी कारखानों का उल्लेख कर रहा हूं, जो स्थायी आधार पर खड़े हैं। उनमें भी अर्हता की अवधि १०० दिन रहनी चाहिये। मतलब यह कि वे कम से कम चार महीने तो चलते हों।

संशोधन संख्या ६ में प्रस्ताव है कि एक रुपये के स्थान पर डेढ़ रुपये की व्यवस्था हो।

कुछ ऐसे भी उद्योग हो सकते हैं जिनमें औसत प्रति दिन मजूरी एक रुपये से भी कम हो। मूल विधेयक में केवल ७५ नये पैसे की व्यवस्था की गई थी। संयुक्त समिति ने उसे एक रुपया कर दिया है। मैं चाहता हूं कि डेढ़ रुपया कर दिया जाये।

†**श्री नंजप्प** (नीलगिरि) : मैं अपना संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि सरकार की नीति परिवार आयोजना में सहायक सिद्ध हो। मैं चाहता हूं कि संतान की संख्या चार तक सीमित कर दी जाये।

इससे स्त्रियों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा। इसलिये यह लाभ उन्हीं स्त्रियों को मिलना चाहिये जिनकी संतान चार से अधिक न हो।

†**श्री आबिद अली** : मैंने बताया था कि चार राज्यों में अर्हता अवधि नौ महीने रखी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में यह अवधि ३५–४० सप्ताह रखी है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न व्यवस्थायें हैं। केरल में व्यवस्था यह है कि नोटिस की तिथि से नौ महीने पहले से या बारह महीनों के सेवा-काल में १५० दिन तक पहले सेवा में रही हो। आसाम में भी १५० दिन की अवधि तो है, लेकिन यह जरूरी है कि वह बारह महीने पहले से सेवा में हो। उन सभी के मुकाबले तो हमारी यह व्यवस्था कहीं अच्छी रहेगी।

†**श्री तंगामणि** : १५० दिन उस दिन से, जिस दिन वह प्रसूति-लाभ चाहे।

†**श्री आबिद अली** : यदि राज्यों के अधिनियमों को देखा जाये, तो हमारी यह प्रस्तावित व्यवस्थायें कहीं अधिक लाभदायक रहेंगी।

अब संयुक्त समिति ने ७५ नये पैसे से बढ़ा कर एक रुपये की जो व्यवस्था कर दी है उसका मंशा यही है कि मजदूरों को कम से कम एक रुपया तो मिले। यह नहीं कि एक ही रुपया मिले।

इसलिये मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६, ७, और ८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**श्री नंजप्प** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

संशोधन संख्या १७, सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६—(प्रसूति-लाभ और उसकी अदायगी के दावे का नोटिस)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

प्रसूता को अपने गर्भ के बारे में सूचना देनी पड़ती है, जो प्रसव की अनुमित तिथि से छः सप्ताह पहले होनी चाहिये । उसकी सूचना मिलने पर मालिक उसे छः सप्ताह की छुट्टी दे सकता है । सूचना देने का दायित्व प्रसूता पर है ।

मैं चाहता हूं कि इस खण्ड में एक परन्तुक जोड़ दिया जाये । इसलिये कि चाय बागान जैसे संस्थानों में काम करने वाली मजदूरनियां अपने लिये तुरन्त डाक्टरी प्रमाणपत्र नहीं ले पातीं । डाक्टरी प्रमाणपत्र जुटाने का दायित्व उस पर नहीं रखा जाना चाहिये । मालिकों को डाक्टरों और दाइयों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

†**श्री आबिद अली** : इसको पूरे देश पर लागू किया जाना है, और देश में ऐसे अनेक छोटे-छोटे संस्थान होंगे जो इतनी व्यवस्था नहीं कर पायेंगे । फिर भी हम नियम बनाते समय, इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या १४, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८--(चिकित्सीय बोनस की अदायगी)

†**श्री नंजप्पा** : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं समझता हूं कि २५ रुपये की राशि बहुत कम है । कुछ प्रसूताओं को शल्य-चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ सकती है । इसलिये प्रसूताओं को वास्तविक व्यय मिलना चाहिये ।

†**श्री आबिद अली** : राज्यों में इस सम्बन्ध में जो व्यवस्थायें हैं उनमें सबसे अधिक व्यवस्था २५ रुपये की है । हमने उसी को रखा है ।

यदि प्रसव में कोई पेचीदगी आ पड़े, तो प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा । यह व्यवस्था तो सामान्य रूप से है ।

†**श्री नंजप्प** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या १८, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ से ११ तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ से ११ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १२--(अनुपस्थिति या गर्भकाल में नौकरी से निकालना)

†**श्री तंगामणि :** मैं अपने संशोधन संख्या ९ और १५ प्रस्तुत करता हूं ।

पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन में एक विशेषज्ञ समिति ने इस पर चर्चा की थी कि कुछ आपात-कालीन अवस्थाओं में मजदूरों के लिये कुछ सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

मेरे विचार से यह व्यवस्था बड़ी अवांछनीय है कि यदि किसी दुराचरण के कारण किसी स्त्री को सेवा-मुक्त कर दिया गया हो, तो उसे हर लाभ से वंचित कर दिया जायेगा । यह सामाजिक सुरक्षा के सिद्धान्त के विरुद्ध है ।

[श्री मूल चंद दुबे पीठासीन हुए]

स्त्री होने के नाते उसे प्रसूति लाभ मिलना ही चाहिये । सभी कार्मिक संघ यही चाहेंगे ।

दूसरी चीज़ यह कि दुराचरण पहले पूरी तौर पर सिद्ध हो जाये । व्यवस्था यह होनी चाहिये कि यह भी सिद्ध होना जरूरी है कि दुराचरण इतना गम्भीर है कि उसे प्रसूति लाभ तक से वंचित किया जाये ।

आशा है कि सरकार इन दोनों को स्वीकार करेगी ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर): इस क्लाज की प्राविसो को देखने के बाद मनुष्यता के नाते भी यह उचित मालूम देता है कि इस तरह का प्राविसो न रहे। एक तरफ तो आप बेनिफिट देने जा रहे हैं और सब-क्लाज २ में आप कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी पीरियड में कोई डिसमिसल हो जाए तो उस औरत को आप इसके बेनिफिट्स से डिप्राइव नहीं करेंगे। आपने कहा है कि इतने दिन तक सर्व करने के बाद, इतने दिनों तक सेवा कर चुकने के बाद अगर कोई मैटरनिटी बैनिफिट की एंटाइटल हो जाती है और उसके बाद अगर उसको डिसमिस कर दिया जाता है तो वह मैटरनिटी बैनिफिट की एंटाइटल्ड रहेगी। लेकिन इस प्राविसो को देखने के बाद ऐसा मालूम देता है कि अपील करने की बात को रख कर आप उसको हैरानी और परेशानी में डालने जा रहे हैं। आप यहां पर कहते हैं "प्रैसक्राइब्ड मिस-कंडक्ट"। अब प्रैसक्राइब्ड मिसकंडक्ट का भी पता नहीं है और यह पता नहीं है कि कौन कौन सा प्रैसक्राइब्ड मिसकंडक्ट है। इसका पता तो रूल बन जाने के बाद ही चलेगा। लेकिन अपील की बात को रख कर आप उस औरत के लिए मुकदमेबाजी की सूरत लाने जा रहे हैं। एक तरफ तो आप उस वर्कर के लाभ के लिए कानून बना रहे हैं और चाहते हैं कि उसको इसका लाभ मिले लेकिन दूसरी तरफ कानून का पचड़ा डाल करके मुकदमेबाजी की सूरत पैदा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जहां तक मुम्किन हो, जो मुलाजिम है, जो

†मूल अंग्रेजी में

औरत काम करने वाली है, सेवा करने वाली है उसको आप मुकदमे की पेचीदगी से दूर रखें, अपील करने के झंझट में उसको आप न डालें। उसको दस रुपये का तो इससे फायदा मिलेगा और अगर उसको अपील करने पर मजबूर किया जाता है तो इतना रुपया अपील के आने जाने में ही खर्च हो जाएगा और नतीजा यह होगा कि उसको कोई फायदा नहीं होगा। इस वास्ते मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्राविसो को आप निकाल दें और अगर आप इसको निकालना नहीं चाहते हैं तो बतायें कि क्यों आप इस प्राविसो को रखने जा रहे हैं और क्यों इसका लाभ आप एम्पलायर को पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह भी बतायें कि कौन सा मिसकंडक्ट उसके जरिये से इस बीच में हो जाएगा कि उसको इस बैनिफिट से डिप्राइव करने की नौबत आ जाएगी।

आपने इस बिल में कहा है कि अगर वह डिलिवरी के वक्त के एक साल में से पहले १६० दिन तक नौकरी में रहती है और उसके बाद अगर उसको डिसमिस किया जाता है तो वह इन बैनिफिट्स को हासिल करने के एंटाइटल हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पीरियड में वह कौन सा मिसकंडक्ट कर देगी जिसकी बिना पर कि उसको निकाला जा सकता है और जिसके खिलाफ वह अपील करेगी? आप उसको इस झगड़े में न डालें। सब-क्लाज १ से आपका काम चल सकता है और अगर आप समझते हैं कि कुछ दिक्कत है तो आप ऐसी सूरत पैदा न करें जिससे मुकदमाबाजी हो। अगर मालिक कहता है कि उसने कोई मिसकंडक्ट किया है तो यह जानने के लिए कि क्या यह बात सही है या गलत, आप अपना कोई अधिकारी या कोई और निष्पक्ष व्यक्ति इसका सही सही पता लगाने के लिए भेज सकते हैं। जो प्रेसक्राइब्ड आथोरिटी है, जो इंस्पैक्टर है, वह जाकर इसकी जांच पड़ताल कर सकता है और अपनी रिपोर्ट दे सकता है कि उसने अमुक मिसकंडक्ट किया है जिसकी वजह से उसको डिसमिस किया जा रहा है।

इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप उस बेचारी औरत को मुकदमेबाजी के चक्कर में न डालें और इस प्राविसो को निकाल दें या फिर जो दूसरी एमेंडमेंट दी गई है, उसको मान लें।

श्री आबिद अली : मिस कंडक्ट मामूली तरीके से जैसा समझा जाता है . . .

†श्री तंगामणी : अंग्रेजी में।

†श्री आबिद अली : यहां दुराचरण का अर्थ वह नहीं जो मामूली तरीके से समझा जाता है। दुराचरण की जो परिभाषा विनियमनों और स्थायी आदेशों में दी गई है, उसी को नियमों में सम्मिलित किया जायेगा। दुराचरण का अर्थ यहां मशीन की तोड़-फोड़ वगैरह होगा।

मैं समझता हूं कि पर्यवैक्षक को अधिक व्यापक शक्तियां देना अनुचित होगा। वह मजदूरों के हित में नहीं रहेगा।

†श्री सिंहासन सिंह : अपील करने का दायित्व स्त्री पर नहीं, मालिक पर रखा जाना चाहिये।

†श्री आबिद अली : यह खण्ड अभी तक के प्रभावी सभी अधिनियम में मौजूद था। अभी तक इसके कारण कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है। फिर भी नियम बनाते समय हम माननीय सदस्यों के सुझाव ध्यान में रखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ और १५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३ से १६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १७--(अदायगी का आदेश देने को पर्यवेक्षक की शक्ति)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत करता हूं ।

म चाहता हूं कि दुराचरण है या नहीं इसका निर्णय पर्यवेक्षक ही करे, क्योंकि यह महत्व-पूर्ण चीज है और इसी के आधार पर मजदूरनी को प्रसूति-लाभ से वंचित किया जा सकेगा । इसका निर्णय मालिक द्वारा कराई गई जांच पर नहीं छोड़ना चाहिये ।

†**श्री आबदि अली** : मैं कह चुका हूं कि पर्यवेक्षकों को इतनी व्यापक शक्ति प्रदान करना अनुचित होगा ।

१७(२) के अधीन ऐसी शक्ति नहीं दी गई है कि पर्यवेक्षक नौकरी से हटाने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय दे सके । फिर भी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नियम बनाते समय हम इस पर और बारीकी से विचार करेंगे ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १८ से २५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २६--(संस्थानों को विमुक्ति देने की शक्ति) ।

†**श्री तंगामणि**: मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को मामला सौंपने की व्यवस्था होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि विमुक्ति प्राप्त संस्थानों की सूची केन्द्र द्वारा प्रकाशित की जाये । तभी हम जान सकेंगे कि किस संस्था को क्यों विमुक्ति दी गई है । राज्य सरकारों को ही इसके निर्णय की पूरी शक्ति देना गलत होगा । संसद् को विमुक्ति के कारण जानने का अवसर रहना चाहिये ।

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : यह अधिनियम, खानों के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा ही लागू किया जायेगा, इसलिये इस निर्णय की शक्ति राज्य-सरकारों के पास रहना ही उचित होगा। इसलिये मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २६ विधयक में जोड़ दिया गया।

खंड २७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २८--(नियम-निर्मात्री शक्ति)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं।

मेरा संशोधन यह है कि 'दुराचरण' शब्द सभी खंडों से हटा दिया जाये। कोई नहीं जानता कि दुराचरण की परिभाषा में किस-किस प्रकार का आचरण सम्मिलित कर लिया जायेगा।

†**श्री आबिद अली** : इन सभी विषयों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २९ और ३० विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १--(नाम, विस्तार और प्रारम्भ)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपने संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं।

उचित यही होगा कि इसे प्रवृत्त करने की अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली जाये।

अधिसूचना निकालने की शक्ति राज्य सरकार को नहीं दी जानी चाहिये।

†**श्री आबिद अली** : हमने मोटर परिवहन मजदूरों से सम्बन्धित अधिनियम के बनाने में यही किया था, क्योंकि वह न तो किसी पहले के अधिनियम को निरसित करता था और न किसी के स्थान पर रखा गया था। इसीलिये हमने वह सुझाव मान लिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन इस क्षेत्र में तो सभी राज्यों के अपने-अपने विधान पहले से मौजूद हैं। यह उन राज्य-अधिनियमनों को निरसित करेगा। इसलिये हम कोई तिथि पहले से नियत नहीं कर सकते। इसलिये हम यह सुझाव नहीं मान सकते। हां, हम सभी राज्य सरकारों से कहेंगे कि इस अधिनियम को वे अपने यहां यथाशीघ्र प्रभावी बनायें। आशा है माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस ले लेंगे।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री तंगामणि** : मैं मानता हूं कि संयुक्त समिति ने इस विधेयक के रूप में कुछ सुधार किये हैं।

†**श्री आबिद अली** : काफी किये हैं।

†**श्री तंगामणि** : मुझे आशा है कि यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि उन राज्यों में जहां अर्हता काल १५० दिन है, उन्हें १६० दिन रखने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। इसी तरह प्रतिकर की सुविधा को भी नहीं घटाया जाना चाहिये।

यह विधेयक जिस प्रकार के सामाजिक विधान की श्रेणी में आता है उसमें कदाचार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि विधेयक के अधीन बनाये जाने वाले नियम इतने सही हों कि स्त्रियों को खंड १२ के अन्तर्गत किसी प्रकार की हानि या कठिनाई न हो।

विधेयक के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट केन्द्र की अनुमति से दी जानी चाहिये। इसको न केवल शीघ्र पारित करना चाहिये और राज्य सरकारों से कहना चाहिये कि वे आवश्यक अधिसूचनायें शीघ्र जारी करें। नियमों को जांच के लिये सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री त० ब० विट्ठल राव : अधिनियम को शीघ्र से शीघ्र लागू करना चाहिये और इस के अधीन बनाये जाने वाले नियमों को, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत किये जाने के बाद अन्तिम रूप दे देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपरिसमय की मजूरी को मजूरी का भाग बनाने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं श्रम मंत्री को बधाई देता हूं कि इस विधेयक में सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों को स्थान दिया गया है। संयुक्त समिति के विधेयक के उपबन्धों को श्रमिकों के हित में काफी उदार बना दिया है।

"मजूरी" की परिभाषा बिलकुल उचित है और इसमें कुछ और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है ।

सरकार को यह देखना चाहिये कि केन्द्र की तरह राज्य भी इस विधेयक को क्रियान्वित करने में उतनी ही दिलचस्पी लें। इस लिये नियम बनाते समय यह व्यवस्था की जाये कि अधीक्षण संबंधी अन्तिम शक्तियां राज्यों के पास नहीं वरन् उसके अपने पास रहें।

जहां अर्हता काल पहले ही १५० दिन है, वहां इसे १६० तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

इस विधेयक में निरीक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये इन की योग्यताओं की ठीक ठीक व्याख्या करनी चाहिये और ये ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जिनमें सामाजिक भलाई की भावना हो ।

मेरा निवेदन है कि नियम इसी सत्र में ही बना देने चाहिये ताकि संसद् उन की जांच कर सके ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री राम सिंह भाई वर्मा (निमाड) : सभापति महोदय, हम इस समय इस बिल को कानूनी रूप देने जा रहे हैं। यहां के लेबर लेजिस्लेशन्स में मैंने इतना प्राग्रेसिव बिल नहीं देखा जिस तरह का यह है। यह बड़ा ही सुन्दर बिल है। हमारे सामने बैठने वाले साथियों ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स रक्खे हैं और आलोचनायें की हैं। सेलेक्ट कमेटी में हम दोनों साथ थे जहां पर कि कोई मत-भिन्नता नहीं थी। लेकिन यहां पर उन्होंने मतभिन्नता बतलाई। इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले सेशन में मैंने इस संबंध में काफी कुछ कहा था। मैं केवल एक दो बातें माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

मंत्री महोदय इस बात को भूल न जायें कि जिस इंडस्ट्री में ८० प्रतिशत बहनें काम करती हैं उनको इस बिल का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम इस पर विचार करें, इसकी जांच करें और सोचें कि उनमें काम करने वाली बहनों को किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। एक इंडस्ट्री बीड़ी की है, जो कि बड़ा भारी उद्योग है। लाखों की तादाद में बहनें वहां पर काम करती हैं। उनको पत्ते, डोरा और तम्बाकू दे दी जाती है और वे लोग घरों पर काम करती हैं। इस बीड़ी उद्योग में हमारे प्रदेश में लगभग ४ लाख श्रमिक काम करते हैं जिनमें से लगभग ३ लाख बहनें हैं। उनको इस बिल का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब हमें विचार करना चाहिये कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद उनको किस प्रकार से फायदा मिल सकता है ।

इसी प्रकार से ऊन बीनने का काम करने वाली औरतें हैं। उनको बड़े बड़े कारखानेदार ऊन दे देते हैं और वे घर पर उसको साफ करती हैं और फिर कारखाने में ले जाती हैं। उनको भी इसका फायदा मिलने वाला नहीं है। मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देखा। सफाई का काम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

बहनें अपने घर ले जाती हैं और साफ करके दे जाती हैं। इस कानून से बचने के जो तरीके हो सकते हैं उन पर आप विचार करें।

इसी तरह से सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि जिनिंग फैक्ट्रीज साल में चार महीने चलती हैं। उसमें भी बहनें काफी तादाद में काम करती हैं, लेकिन इस बिल का फायदा उनको नहीं मिलेगा। बहुत से धान कूटने के कारखाने हैं जिनमें बहनें काफी तादाद में काम करती हैं। उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा।

इसलिये मेरा विचार है कि आप इन बातों पर विचार करें, और जब भी सुविधा मालूम हो, इस कानून को अमेंड करें ताकि सब महिलाओं को फायदा मिले।

श्री आबिद अली : अभी माननीय सदस्य ने जो फरमाया वह बिलकुल ठीक है। इस बारे में जो कुछ भी किया जा सकता है उसकी अगर वे सूचना देंगे तो उस पर विचार किया जायेगा। विचार करने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो फायदा बहनों को मिल सकता है उसको इस बिल में देने का प्रबन्ध किया जायेगा। और हमारी यह कोशिश हमेशा जारी रहेगी।

स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में एक यह सूचना की गई थी कि जहां पर अभी १५० दिन हैं उनको बढ़ाया न जाय। इस बारे में माननीय सदस्य श्री शर्मा ने जो फरमाया, उस संबंध में मैं इतना ही अर्ज करूं कि १५० दिन जरूरी हैं। लेकिन जहां तक **अमाउंट आफ बेनिफिट** का सवाल है, वह ५ रु० ४ आ० **पर वीक आर,७/१२ आफ दि ऐवरेज डेली वेज** जो है, उसमें है **ऐवरेज डेली वेज आर** १ रु० **व्हिचएवर इज ग्रेटर**। साथ ही पहले यह रक्खा गया था कि १२ महीनों का ऐवरेज वेज हो, अब पिछले तीन महीनों का ऐवरेज वेतन होगा। इसी तरह से १० रु० मेडिकल बेनिफिट की बात है। जिस स्टेट में १५० दिन रक्खे गये हैं वहीं पर १० रु० रक्खा गया था, उसको यहां पर २५ रु० किया गया है।

इस तरह से अगर पूरा बिल देखा जाय तो यह कानून इस लिहाज से काफी तरक्की की तरफ बढ़ा है। फिर भी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट यह चाहे कि १६० दिन को घटाया जाय और वह इसकी तजवीज भेजें, तो उस पर मुनासिब गौर किया जा सकता है।

बाकी रहा रूल्स बनाने के बारे में, तो मैं आनरेबल मेम्बर्स को यह बतलाना चाहूंगा कि इस संबंध में कार्रवाई जारी हो चुकी है और पहला मस्विदा तैयार है। इधर जो महीने गये उनको हमने व्यर्थ नहीं जाने दिया। इस तरह से उसका उपयोग कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द स्टेट गवर्नमेंट्स को आखिरी मस्विदा बना कर हम भेज देंगे।

जहां तक न्याय का सवाल है उन बहनों के बारे में जो कि काम करती हैं, इस बिल का पूरा फायदा उनको पहुंचाने की जितनी कोशिश हो सकती है वह की जा रही है और आगे भी की जायेगी। कहीं भी इसमें कोई कमी हो और आनरेबल मेम्बर्स और ट्रेड यूनियन्स की मारफत जो सूचनायें आयेंगी तो जो भी आसानियां उनको पहुंचाने की बात कही जायेगी, उन पर भी हम अमल करने की कोशिश करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स भी करेंगी।

†**सभापति महोदय** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिशिक्षु विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब सदन शिशिक्षु विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेगा।

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि व्यवसाय में शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित तथा नियंत्रित करने और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में दिये गये प्रस्तावों की लम्बी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है इसके उद्देश्यों से सदन को कोई असहमति नहीं होगी। इसका महत्व इस लिये है कि गत १० वर्षों से हमने औद्योगिक विकास को बढ़ाने का काम हाथ में ले लिया है। इस विकास का अन्दाजा

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

हमारी योजनाओं के ढांचे से लग सकता है। पहली योजना में, औद्योगिक क्षेत्र में जिसमें खनन भी शामिल है कुल विनियोग २७० करोड़ रुपये के लगभग था। दूसरी और तीसरी योजनाओं में ये आंकड़े क्रमशः १५४५ करोड़ रुपये और २५७० करोड़ रुपये थे। अब हमें आशा है कि पांचवीं योजना के मध्य तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करके अपने जीवन स्तर ऊंचा कर सकेंगे। हमें यह भी आशा है कि अगली दो योजनाओं में हम स्वावलम्बी अर्थ व्यवस्था तक पहुंच जायेंगे। हमारे सामने बड़ी समस्या यह है कि देश के श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या के लिये काम कैसे पैदा करें। यह हमारे विनियोग की कार्य क्षमता और उस से होनी वाली आय पर निर्भर करता है।

योजनाओं की सफलता के लिये आन्तरिक संसाधकों और विदेशी सहायता का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। किन्तु इस से भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रशिक्षित कर्मचारियों का है। ये उच्चकोटि के होने चाहिये और इन की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिये।

आयोजित विकास के पहले सालों में हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी थी और हमने इसे पूरा करने के लिये क़दम उठाये। हम ने प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित किया १९५०–५१ में इंजीनियरिंग और टेक्नालोजी विभाग में हमने १०,००० विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा की शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। १९५५–५६ में यह संख्या १६,३७० तक और १९६० –६१ में यह ३९,४२८ तक बढ़ गई थी। हमें आशा है तीसरी योजना में यह ५६,५२७ तक पहुंच जायेगी। १९५५–५६ में श्रम और रोज़गार मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किये जाने वाले कारीगरों की संख्या १०,५०० थी। १९६०–६१ में यह ४२,००० थी और आशा है १९६५–६६ में यह १ लाख हो जायेगी।

आशा है कि इन सब कार्यवाहियों से विभिन्न व्यवसायों के कर्मचारियों की संख्या में सभी अनुभव नहीं होगा। किन्तु वे अच्छे होंगे या नहीं, यह प्रश्न अब भी है। इस दिशा में स्थिति सुधारने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण संस्थाओं में जो सिखलाई दी जाती है, उस में निरन्तर सुधार किया गया है। किन्तु केवल शिक्षा या प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं है। श्रमिक अच्छा काम करें और पूरा काम करें, इस के लिये आवश्यक है कि उन्हें कारखानों के वातावरण में प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे उन परिस्थितियों का अनुभव कर सकें, जिनमें उन्हें अन्त में काम करना पड़ेगा। प्रशिक्षण केवल विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में समाप्त नहीं हो जाना चाहिये बल्कि आगे भी बढ़ाकर पूरा किया जाना चाहिये। उद्योगों में प्रशिक्षण देने का अलग प्रबन्ध होना चाहिये। ऐसा प्रबन्ध

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

उन्नत देशों में सरकारों ने विधि द्वारा किया हुआ है। स्तर को समान रखने के लिये प्रशिक्षण का विनियमन आवश्यक है, ताकि श्रमिकों को कहीं भी काम पर लगाया जा सके और उन के हितों की रक्षा भी की जा सके।

पिछले २० वर्षों में विभिन्न समितियों ने उद्योग में प्रशिक्षण प्रबन्धों की जांच की है और इस में पायी गई त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है। श्रम जांच समिति ने १९४३ में रिपोर्ट की थी १९४४–४५ में एक और समिति नियुक्त की गई थी। उन्होंने देखा था कि बड़े कारखानों में भी नियमित प्रशिक्षण का प्रबन्ध नहीं है। हाल में चीनी उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया था। उसने देखा कि आठ, दस या १८ वर्षों तक भी उन्हें शिशिक्षु कहा जाता है और वास्तव में उन से सस्ते श्रमिकों के रूप में काम लिया जाता था।

विधान बनाने की आवश्यकता पिछले १० वर्षों से अनुभव की जाती रही है। भारतीय श्रम सम्मेलन ने १९५१ में इस सम्बन्ध में सहमति प्रकट की थी। शिवा राव समिति ने कहा था कि स्वेच्छा से प्रशिक्षण का प्रबन्ध कराया जाये, यदि यह सफल न हुआ, तो विधान बनाया जाये। कई सालों तक सरकार ने इस बात की प्रतीक्षा की कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये उद्योग स्वयं आगे आये किन्तु सरकार सफल नहीं हुई।

अब सरकार इस को अनिवार्य बनाने के लिये विवश हो गई है। हम एक और दिशा में, अर्थात कारीगरों के प्रशिक्षण के मामले में भी, कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। अब उन की संख्या बहुत बढ़ जायेगी। किन्तु उनका प्रशिक्षण ६ महीने तक कारखाने में काम किये गये बिना अधूरी रहेगी। इसलिये हम ने अनुविहित आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। नियोजकों के अखिल-भारतीय संघ की ४ अगस्त, १९६० की बैठक में संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मान लिया था कि न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित करने बल्कि पर्याप्त संख्या में शिशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाये और एक निश्चित संख्या को अनिवार्यरूप से प्रशिक्षण के लिये दाखिल किया जाये।

फिर एक समिति नियुक्त की गई थी जिस ने विधान के लिये सिद्धांत तैयार किये हैं।

इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सिफ़ारिश संख्या ६ के अनुसार मुख्य दायित्व उद्योगों पर है। सरकार केवल उन की सहायता कर सकती है। मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण को नियमित करना, सम्बन्धित पक्षों के उत्तरदायित्व बताना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है।

इस विधेयक में विभिन्न प्राधिकारियों का उल्लेख है, जो इसे कार्यान्वित करेंगे। राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद् के अलावा, प्रत्येक राज्य में एक राज्य परिषद् होगी। केन्द्रीय शिशिक्षु परिषद् और राज्य शिशिक्षु का संगठन भी बताया गया है। विधेयक का कार्यान्वय केन्द्रीय प्रशिक्षण सलाहकार और राज्यों के तत्सम अधिकारियों के हाथ में रहेगा।

खंड ६ में दो प्रकार के शिशिक्षुओं की परिभाषा दी गई है। खंड ३ में उन के प्रशिक्षण की शर्तें और अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। खंड ४ में यह उपलब्ध है कि शिशिक्षु को प्रशिक्षण के लिए एक शिशिक्षु सलाहकार के साथ एक संविदा करना पड़ेगा। खंड ८ में शिशिक्षुओं और श्रमिकों का अनुपात निश्चित करने की व्यवस्था की गई है। बहुत से नियोजक मिल कर भी शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार वित्तीय सहायता देकर अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगी। खंड ९ और १० में प्रशिक्षण की किस्में बताई गई हैं। बुनि-

†मूल अंग्रेजी में

यादी प्रशिक्षण के अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक नियोजक को प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिसका कार्य-क्रम सलाहकार द्वारा अनुमोदित करवाना पड़ेगा। तीसरी किस्म सम्बन्धित प्रशिक्षण है, जिस के कार्यक्रम को शिशिक्षु परिषद् की सलाह से सरकार से अनुमोदित करवाना पड़ेगा।

अब मैं प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को लेता हूं। मैं समझता हूं कि इसका उल्लेख खंड ९ में किया गया है। इस खंड में बहुत से उपबन्ध बनाये गये हैं। सरकार का सम्बन्ध यहां उन्हीं मालिकों से है जिनके यहां ५०० से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। वही सरकार बुनियादी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी लेती है। ऐसे मामलों में जहां कि संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या ५०० से कम है वहां प्रशिक्षण व्यय का आधा खर्चा सरकार देती है। खंड ११ से १९ में विनियोजकों एवं प्रशिक्षार्थियों के आधार और उनके अधिकारों का उल्लेख मिलता है। विनियोजकों को उचित प्रबन्ध करना चाहिये ऐसी आशा उससे की जाती है। विशेष रूप से उन्हें एक उपयुक्त प्रशिक्षण पदाधिकारी नियुक्त करना चाहिये। प्रशिक्षार्थियों से यह उपेक्षा की जाती है कि वे कारखाने में ठीक ढंग से अनुशासन रखेंगे। और इसके लिये और भी उपबन्ध बनाये गये हैं। उनके हितों की सुरक्षा करने के लिये ही यह कार्यवाही की गई है। सामान्य विधि की निगाह में उन्हें कर्मचारी न समझकर प्रशिक्षार्थी ही समझा जाये। कुछ मामलों को छोड़ कर ही श्रमिकों सम्बन्धी नियम उन पर लागू नहीं किये जायेंगे। सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में इन पर क्रमशः कारखाना अधिनियम के अध्याय ३, ४ और ५ तथा खान अधिनियम का अध्याय ५ ही लागू किया जायेगा। इस प्रकार इन प्रशिक्षार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की उचित देखभाल की जा सकेगी। उनके आराम के घंटे तथा अवकाश का समय भी निर्धारित किया जायेगा। नियोजक प्रत्येक शिशिक्षु को निर्धारित दर के आधार पर छात्रवृत्ति भी देगी इस के अतिरिक्त शिशिक्षु को और कुछ नहीं मिलेगा। चूंकि यह केवल प्रशिक्षण मात्र है और नियोजकों के लाभार्थ कुछ भी नहीं अतः बोनस तथा अन्य प्रेरणावर्द्धक योजनाएं उन पर लागू नहीं होंगी क्योंकि वे कर्मचारी नहीं हैं। प्रशिक्षण के दौरान में आई चोट के लिये शिशिक्षुओं को प्रतिकर भी मिलेगा। ये सुविधाएं उपयुक्त रूप से लागू की जा सकें इस कारण कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में कुछ संशोधन भी किये गये हैं। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिशिओं की परीक्षा भी ली जायेगी ताकि उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जा सके। परीक्षा पास करने के बाद उसे सर्टीफिकेट दिया जायेगा।

आज देश में प्रवीण कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता है। सरकार का विचार है कि प्रशिशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिये जो सुविधायें उपलब्ध है उनका पूरा पूरा लाभ उठाना नितान्त आवश्यक है। और विशेषज्ञ निकायों द्वारा प्रशिक्षण के लिये जो पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, स्तर आदि तैयार किया गया है उससे पूरा पूरा लाभ उठाया जाये। इस विधेयक का उद्देश्य इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करना है। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे और इसे पारित कराने में सहायता देंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा)** : हमारे देश में मजदूर संघ आंदोलन बहुत दिनों से यह प्रकट कर रहा है कि प्रवीण कर्मचारियों एवं कलाकारों को जन्म देने के लिये प्राशिशिक्षुओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाये। यह अच्छी बात है कि यह विधेयक सरकार स्वयं उपस्थित किया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहम्मद इलियास]

है भले ही देर से क्यों न किया हो। एक देश जो तीव्रता से औद्योगीकरण करना चाहता है उसे इस बात की आवश्यकता है कि उसके पास प्रवीण कर्मचारी, अच्छे इंजीनियर, और अच्छे कलाकार हों। इनके बिना तीव्रता से औद्योगीकरण नहीं हो सकता। हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। आशा है कि यह विधेयक ऐसे लोगों की उपलब्धित कराने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे देश में बहुत से कारखानों में प्रशिशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की सुविधा है। किन्तु यह खेद की बात है कि इन प्रशिशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने की इतनी सुविधायें नहीं मिलतीं। उन्हें कोई उचित सहायता नहीं दी जाती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१ / ३० कार्तिक १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २० नवम्बर, १९६१
२९ कार्तिक, १८८३ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . .		१ २६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	बोनस आयोग . . .	१–३
२	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें .	३–४
३	चीन द्वारा नेपाल को कपड़े का निर्यात	४–५
४	स्ट्रेप्टोमाईसिन की शीशी में मरी मक्खी .	६–८
६	पाकिस्तान द्वारा झूठा प्रचार	९–१०
७	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के कारणों का सर्वेक्षण	१०–१२
८	पेकिंग में भारतीय राजदूतावास .	१२–१५
९	दण्डकारण्य परियोजना . . .	१५–१८
१०	फिल्म सेंसर बोर्ड	१८–२०
११	चीन का भारत विरोधी प्रचार	२०–२१
२१	बेलग्रेड सम्मेलन	२१–२३
१२	कोयला खानों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के संबंध .	२४
१३	सिन्दरी उर्वरक कारखाना . . .	२५–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२७–८६
तारांकित प्रश्न संख्या		
५	दत्ता सेंट्रल कजोरा कोयला खान .	२७
१४	राष्ट्रीय आय का वितरण .	२७
१५	नागा विद्रोहियों की गतिविधियां	२८
१६	ब्रूसेल्स स्थित भारतीय राजदूतावास . .	२८–२९
१७	पाकिस्तानियों द्वारा जम्मू सीमा पर गोली वर्षा .	२९
१८	संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का पुनर्गठन .	३०–३१
१९	चाय बागानों को ऋण	३१–३२
२०	मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र	३२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२	पूर्वी क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	३२–३३
२३	अध्यापक प्रशासक	३३–३४
२४	सूती कपड़े का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	३४
२५	भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां	३५
२६	सोना, चांदी आदि के तेजी-मन्दी के सौदे	३५
२७	पांडिचेरी का विधिसम्मत् हस्तांतरण	३६
२८	अफगानिस्तान से व्यापार शिष्टमंडल	३६
२९	फैरो-मेंगनीज का निर्यात	३७
३०	मथुरा रोड, नई दिल्ली पर प्रदर्शनी का मैदान	३७
३१	अमरीका के शांति दल के स्वयंसेवक	३७
३२	भारत-लंका व्यापार वार्ता	३८–३९
३३	काश्मीर में शरणार्थी	३९
३४	भारत में अमरीकी उद्योगपति	३९–४०
३५	केरल राज्य में "फार्म" छापने वाला प्रेस	४०
३६	पांडिचेरी के लिये चौदह सदस्यों का आयोग	४०
३७	दण्डकारण्य परियोजना	४१
३८	तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन	४१
३९	कच्चे पटसन की कीमतें	४२
४०	पूर्व-निर्मित ढांचे	४२ ४३
४१	अखबारी कागज़ की कमी	४३
४२	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये उपदान	४३
४३	ड्यूरेंड लाइन और मैकमहोन लाइन	४४
४४	श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे का पुर्तगाल भेजा जाना	४४
४५	संयुक्त प्रबन्ध परिषदें	४५
४६	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	४५–४६
४७	नागालैंड	४६
४८	ट्रांसफार्मरों का निर्माण	४६
४९	लाहौर में पाकिस्तानी महान्यायवादी का वक्तव्य	४७
५०	बर्मा से मनीआर्डर भेजना	४७
५१	गृह-निर्माण के लिये ऋण	४७–४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

५२	भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण . .	४८
५३	पाकिस्तान में अमरीकी सहायता से हवाई अड्डे . .	४८
५४	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता	४९
५५	"जनता" कार . .	४९–५०
५६	फिज़ो के विरूद्ध आरोप .	५०–५१
५७	मद्रास राज्य में सीमेंट की फैक्टरियां	५१

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१	कोयला खान भविष्य निधि योजना	५१
२	कोयला खानों में ठेके के श्रमिक .	५१–५२
३	सीमेंट फैक्टरियां . . .	५२
४	आयात तथा निर्यात के लाइसेंस	५२
५	ऊनी माल का निर्यात	५२
६	उत्पादकों द्वारा उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को उत्पादों का संभरण	५२–५३
७	काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा तोड़ फोड़ के मामले	५३
८	विदेशों में बसने के लिये जाने वाले भारतीय .	५३
९	पंजाब के पंजोकृत बेरोजगार लोग	५३–५४
१०	कांगो जाने वाले भारतीयों को पारपत्र	५४
११	पारपत्रों के लिये आवेदन पत्र .	५४
१२	यूनाटेड स्पाइसिज़ इम्पोटर्स लि० .	५५
१३	एशियाई उत्पादिकता संगठन	५५
१४	उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थी	५५
१५	तृतीय योजना और उड़ीसा . . .	५५
१६	परदीप पत्तन का विस्तार . .	५६
१७	सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना	५६
१८	आसाम के विस्थापित व्यक्ति . . .	५६–५७
१९	प्रशुल्क व्यवस्था . . .	५७
२०	आगरा के निकट मीडियम वेव ट्रांसमीटर . .	५८
२१	अखबारी कागज की चोर बाजारी	५८
२२	तिब्बती शरणार्थी .	५८–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२३	मेजर टिटोव का भारत आगमन	५९
२४	आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कम्पनी की कोयले की खानें	५९–६०
२५	उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना को फिर से तैयार करना	६०
२६	इंजीनियरिंग निर्यात वृद्धि परिषद्	६०
२७	राज्य उपक्रमों पर कृष्णा मेनन समिति	६१
२८	वनस्पति	६१–६२
२९	जापानी टेबल फैन	६२
३०	सयाजी जुबली काटन एंड जूट मिल, सिधपुर	६२
३१	अभ्रक सहायक श्रम कल्याण केन्द्र का कालीवेडू जाना	६२–६३
३२	सरकारी कर्मचारियों का सरकारी उपक्रमों में लगाया जाना	६३
३३	आसाम के चाय श्रमिकों को बोनस	६४
३४	उर्वरकों का उत्पादन	६४–६५
३५	भारतीयों को अमेरिका जाने के बारे में	६५
३६	विदेशों में भारतीय दूतावासों के कर्मचारी	६५–६६
३७	केन्द्रीय सूचना सेवा	६६
३८	उड़ीसा में ट्रांसमीटरों की स्थापना	६६
३९	पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी	६७
४०	"तृतीय पंचवर्षीय योजना"	६७
४१	बिजली के बल्बों के मूल्य	६८
४२	रेयन लुगदी का निर्माण	६८
४३	उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में बड़ा उद्योग	६९
४४	मनीपुर लोक-निर्माण विभाग	७०
४५	अम्बर चरखा	७०
४६	उद्योगों का मूल्य निर्धारण	७१
४७	निर्यात	७१
४८	अखबारी कागज का आयात	७२
४९	एशियाई और सुदूर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार	७२
५०	निर्यात	७२–७३
५१	मिल के बने कपड़े के मूल्य	७३
५२	जूट का व्यापार	७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
५३	कलकत्ता में पारपत्र-प्रपत्रों की चोरी	७४
५४	गोआ को मनीआर्डर भेजना	७४
५५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का अवकाश वेतन	७४–७५
५६	नौकरों के क्वार्टरों में सफेदी . . .	७५
५७	संसद् सदस्यों के नौकरों के क्वार्टरों में पानी के नल	७५
५८	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में क्वार्टरों में सफेदी	७६
५९	चाय बागानों का सर्वेक्षण .	७६
६०	सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	७६–७७
६१	धारवाड़ (मैसूर) में प्रशारण उपकरण .	७७
६२	विदेशी सरकारों को मान्यता दिया जाना	७८
६३	ब्रिटेन को चाय का निर्यात	७८
६४	कुवैत राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में . . .	७८–७९
६५	भूटान में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी . . .	७९
६६	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् .	७९–८०
६७	अग्निनिरोधक रासायनिक मिश्रण .	८१
६८	जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तानियों का प्रवेश	८१
६९	गुजरात में उद्योग . .	८१–८२
७०	प्रेस सूचना कार्यालय .	८२
७१	छोटे पैमाने के उद्योग	८२–८३
७२	दिल्ली में फिल्म समारोह	८३
७३	जूतों का निर्यात . .	८३–८४
७४	कागज उद्योग . .	८५
७६	नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर में पार्क . .	८५–८६
७७	नई दिल्ली के मोती बाग २ में मार्केट	८६
निधन संबंधी उल्लेख . . .		८६–८७

अध्यक्ष महोदय ने श्री बालासाहेब सालुंके, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, सरदार सन्त सिंह, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, श्री पुरुषोत्तम कुमार पटेरिया, जो प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे और श्री बी० एन० हीरे, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा तथा अस्थायी संसद के सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया।

विषय **पृष्ठ**

इसके बाद सदस्य गण सम्मान प्रकट करने के लिये कुछ देर तक मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्ताव . . ८७–९६

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी पेश करने को अनुमति नहीं दी :

(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हाल के साम्प्रदायिक दंगे ।	सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, स० मो० बनर्जी, तंगामणि और प्रकाशवीर शास्त्री ।
(२) निर्वाचन आयोग का राजनैतिक दलों को राज्य स्तर पर मान्यता देने न और राष्ट्रीय आधार पर मान्यता न देने का निश्चय ।	श्री वाजपेयी ।
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि ।	सर्वश्री बलराज मधोक, नाथ पाई और यादव नारायण जाधव ।
(४) जम्मू और काश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की नई घटनायें ।	सर्वश्री ब्रजराज सिंह और प्र० ना० सिंह ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९७–१००

(१) राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा निकाले गये वक्तव्य की एक प्रति ।

(२) देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य ।

(३) संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत २९ सितम्बर, १९६१ को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किये गये चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का संख्या ३) ।

(४) व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये व्यापार चिह्न पंजीयन कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

(५) संविधान के अनुच्छेद ३३९ (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन (खंड १ और २) की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(६) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(क) कुटीर कताई एकक के लिये १,००,००० रुपये के इनाम देने के हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीशों की तालिका का प्रतिवेदन ।

(ख) उक्त रिपोर्ट का सारांश ।

(७) १९५९–६० के लिये नमक विभाग का प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(८) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(क) सीमेंट उत्पादकों को देय उचित मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६१) ।

(ख) दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या सीम–८ (२७)।६१ ।

(९) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८–क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २११८ की एक प्रति ।

(१०) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८–जी के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५६१ में प्रकाशित सीमेंट नियंत्रण आदेश १९६१ की एक प्रति ।

(११) खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९७ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(१२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति ।

(१३) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०–क के अन्तर्गत दिनांक १६ सितम्बर, ६९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४० में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, ६९६१ की एक प्रति ।

(१४) ९ और १० अक्तूबर, १९६१ को बंगलौर में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के उन्नीसवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

(१५) "एस्टडी आफ दी स्ट्राइक इन दी कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता, फ्राम दी प्वाइंट आफ व्यू आफ दी कोड आफ डिसिप्लिन" नामक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(१६) त्रिपुरा में हैनी नदी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १११६ पर, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के ३१ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य ।

(१७) विधि आयोग की निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) महाप्रशासक के अधिनियम, १९१३ के संबंध में उन्नीसवीं रिपोर्ट ।

(ख) क्रयावक्रय विधि के संबंध में बीसवां प्रतिवेदन ।

(१८) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८१ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ख) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८२ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ग) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११८३ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (महाराष्ट्र) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(घ) दिनांक २५ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना जी० एस० आर० ११८४ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (पश्चिम बंगाल) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(ङ) दिनांक १३ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या संख्या जी०एस० आर० १२७३ में प्रकाशित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(१९) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निर्वाचकों की पंजीयन नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३१५ की एक प्रति ।

(२०) ऐसे समवायों की एक सूची, जिन्हें सरकार को निर्देश करने पर १९६०–६१ में यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा अपने समवाय के अंशधारियों को वितरित किये गये लाभांशों के संबंध में भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६–क के अन्तर्गत रियायतें दी जायेंगी ।

विषय पृष्ठ

(२१) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२८६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, १९६१ की एक प्रति ।

(२२) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५२ में प्रकाशित कोयला खान सुरक्षा (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२३) कोयला खान सुरक्षा केन्द्र समिति, धनबाद की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२४) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक लेखे की एक प्रति, उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १०१

सचिव ने गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चौदहवें सत्र में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :

(१) विनियोग (संख्या ४) बिल, १९६१
(२) गन्ना उपकर (वैधकरण) बिल, १९६१
(३) आय-कर बिल, १९६१
(४) संविधान (दसवां संशोधन) बिल, १९६१
(५) भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) बिल, १९६१
(६) दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) किरायेदारों को सहायता बिल, १९६१
(७) न्यूनतम मजूरी (संशोधन) बिल, १९६१
(८) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) बिल, १९६१
(९) दादरा और नगरहवेली बिल, १९६१
(१०) समाचार-पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना बिल, १९६१
(११) भारतीय रेलवे (संशोधन) बिल, १९६१
(१२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) बिल, १९६१
(१३) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) बिल, १९६१
(१४) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल, १९६१

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य १०१–१०९

(१) **वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** ने फिजी के लिये ब्रिटिश नागरिकता के बारे में ८ सितम्बर, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ पर पूछे गये प्रपूरक प्रश्नों के उत्तरों को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

(२) **रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** ने २० अक्तूबर, १९६१ को दक्षिण-पूर्व रेलवे पर ८३ अप हावड़ा-रांची एक्सप्रैस और २९ अक्तूबर, १९६१ को उत्तर रेलवे की नं० २ टी० एफ० पैसेंजर गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत वक्तव्य सभा पटल पर भी रखा ।

(३) **खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** ने सरकार और तेल कम्पनियों के बीच पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के प्रश्न और अन्य सम्बन्धित विषयों पर चल रही बातचीत की नवीनतम स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत वक्तव्य सभा पटल पर भी रखा ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना १०९

प्रत्यर्पण विधेयक पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत किया गया समय ३० नवम्बर, १९६१ तक के लिये बढ़ा दिया गया ।

विधेयक पुरस्थापित ११०

चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक ।

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया । ११०

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा जिसमें यह बताया गया कि चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ द्वारा तत्काल विधान बनाने के क्या कारण थे ।

विधेयक पारित ११०–२४

प्रसूति लाभ विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा, प्रतिवेदित रूप में १० अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत किये गये विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन १२५–२८

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने प्रस्ताव किया कि शिशिक्षु विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि १३८

शिशिक्षु विधेयक पर अग्रेतर विचार और पारित किया जाना । वेतन में स्वेच्छा से कटौती (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक, उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, कहवा (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारित करना ।

GMGIPND—LSIII—1434 (Ai) LSD—15-12-61—125